Friday, 11 September, 1964

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनुदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[नवां सत्र / Ninth Session]

Preservation Unit
Fumigated On
Parliament Library

[खंड 33 में अंक 1 से 10 तक हैं / Vol. XXXIII contains Nos. 1—10]

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025.
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

250 (Ai) LSD—1.

विषय-सूची

अंक 5—शुक्रवार, 11 सितम्बर, 1964/20 भाद्र, 1886 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
117	पटसन मिल उद्योग .	439–42
118	दक्षिण में नया रेलवे जोन . . .	442–47
119	सैलम के लोह अयस्क पर आधारित इस्पात संयंत्र .	447–50
120	ब्रनो अन्तर्राष्ट्रीय मेला . . .	451–55
121	स्वामीनाथन समिति का प्रतिवेदन	455–58
122	मोटर गाड़ी उद्योग . .	458–62

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या		
123	बोकारो इस्पात कारखाना	462–64
124	इस्पात परियोजनायें	464
125	बोनैगढ़ (उड़ीसा) में इस्पात कारखाना	464–65
126	सीमेंट का मूल्य .	465
127	सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्र . .	465–66
128	मैंगनीज़ अयस्क का निर्यात .	466
129	मिल के बने कपड़े के मूल्य . .	467
130	अमरीका के साथ व्यापार . . .	467–68
131	रेलवे कर्मचारियों को रेल यात्रा में रियायत . .	468
132	गोआ-हास्पेट और बेलाडिला-विशाखापटनम् क्षेत्रों में इस्पात संयंत्र	468–69
133	विश्व व्यापार सम्मेलन . . .	469–70
134	द्वितीय ढलाई-गढ़ाई कारखाना . . .	470
135	सीमेंट का आयात	471
136	आन्ध्र प्रदेश में तम्बाकू का स्टाक . .	471–72
137	कच्चे लोहे के लिये धमन भट्टी . .	472–73
138	भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार .	473
139	बर्मा को मूंगफली के तेल का निर्यात . .	473
140	सूती कपड़े की कीमतें	474

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

CONTENTS

No. 5—*Friday, September* 11, 1964/*Bhadra* 20, 1886 (*Saka*)

Oral Answers ro Questions.

**Starred Questions Nos.*	Subject	PAGES
117.	Jute Mill Industry	439—42
118.	New Railway Zone in South	442—47
119.	Steel Plant with Salem Iron Ore	447—50
120.	International Fair	451—55
121.	Swaminathan Committee Report	455—58
122.	Automobile Industry	458—62

Written Answers to Questions

Starred Questions Nos.		
123.	Bokaro Steel Plant	462—64
124.	Steel Projects	464
125.	Steel Plant at Banaigarh in Orissa	464-65
126.	Price of Cement	465
127.	Public Sector Steel Plants	465-66
128.	Export of Manganese Ore	466
129.	Prices of Mill Cloth	467
130.	Trade with U. S. A.	467-68
131.	Fare Concession to Railway Employees	468
132.	Steel Plant in Goa-Hospect and Bailadilla-Vishakhapatnam Areas	468-69
133.	World Trade Conference	469-70
134.	Second Foundry Forge Plant	470
135.	Import of Cement	471
136.	Stock of Tobacco in Andhra Pradesh	471-72
137.	Blast Furnaces for Pig Iron	472-73
138.	Indo-U. K. Trade	473
139.	Export of Groundnut Oil to Burma	473
140.	Prices of Cotton Textiles	474

*The sign — marked above the game of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

तारांकित

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
141	निपटान तथा सम्भरण निदेशालय . . .	474–75
142	कच्चा लोहा . .	475
143	मोटर गाड़ी उद्योग	476
144	दुर्गापुर इस्पात कारखाने का विस्तार . .	476–77
145	कोरबो में अल्युमिनियम परियोजना . .	477–78
146	रेलवे मंत्री का अमरीका का दौरा . .	478

अतारांकित

प्रश्न संख्या		
332	पंजाब में औद्योगिक बस्तियां	478
333	रेलवे लाइनें	478–79
334	वायदा व्यापार	479
335	सप्ताह में दो बार चलने वाली एक्सप्रेस रेलगाड़ी . .	479–80
336	राजस्थान में औद्योगिक बस्तियां . .	480
337	उत्तर रेलवे के कर्मचारियों में भ्रष्टाचारके मामले . .	480
338	फोलाद उत्पादन मूल्य . . .	481
339	बाल और रोलर बैयरिंग का आयात . .	481–82
340	दिल्ली-शाहदरा लाइन पर इंजन का पटरी पर से उतर जाना	482–83
341	हथकरघा कपड़े का निर्यात . . .	483
342	पश्चिमोत्तर रेलवे पर भ्रष्टाचार के मामले	483–84
343	फलोदी में नमक उद्योग	484
344	अलमोड़ा में भूतत्वीय सर्वेक्षण	484
345	कल्याण जंक्शन रेलवे यार्ड में गाड़ी का पटरी से उत्तर जाना .	484–85
346	पूर्वोत्तर रेलवे पर झंडी स्टेशन . .	485
347	कपड़ा मिलों में काम करने के घण्टे . . .	485–86
348	राज्य व्यापार निगम	486
349	विदेशी मुद्रा का दुरुपयोग	486
350	कोयले पर आधारित उद्योग माला . . .	486–87
351	रेलवे पासधारी	487
352	काफी का निर्यात	487–88
353	पश्चिमोत्तर रेलवे पर ट्रक और रेलगाड़ी की टक्कर . .	488–89
354	इस्पात-कार्य निगम	489
355	बिक्री कर समिति का प्रतिवेदन . . .	489
356	तलचेर और टिकापारा बांध के बीच रेल की पटरी . .	490
357	रेलवे दुर्घटना समिति	490
358	राजधानी में रिंग रेलवे	490–91

	Subject	PAGES
Starred Questions Nos.		
141.	Directorate of Disposals and Supplies	474–75
142.	Pig Iron	475
143.	Automobile Industry	476
144.	Expansion of Durgapur Steel Plant	476–77
145.	Aluminium Project at Korba	477–78
146.	Railway Minister's Visit to U.S.A.	478
Unstarred Questions Nos.		
332.	Industrial Estates in Punjab	478
333.	Railway Lines	478–79
334.	Forward Trading	479
335.	Bi-weekly Southern Express Train	479–80
336.	Industrial Estates in Rajasthan	480
337.	Corruption Cases amongst Northern Railway Employees	480
338.	Steel Production Cost	481
339.	Import of Ball and Roller Bearings	481–82
340.	Derailment of Engine on Delhi-Shahdara Line	482–83
341.	Export of Handloom Cloth	483
342.	Corruption Cases on South Eastern Railway	483–84
343.	Salt Industry at Phalodi	484
344.	Geological Survey of Almora	484
345.	Derailment at Kalyan Junction Railway Yard	484
346.	Flag Station on N. E. Railway	485
347.	Working Hours in Textile Mills	485–86
348.	State Trading Corporation	486
349.	Misuse of Foregin Exchange	486
350.	Coal-based Industrial Complex	486–87
351.	Railway Pass Holders	487
352.	Export of Coffee	487–88
353.	Truck-Train Collision on S.E. Railway	488–89
354.	Steel Works Corporation	489
355.	Sales Tax Committee Report	489
356.	Railway Line between Talcher and Tikerpara Dam	490
357.	Railway Accidents Committee	490
358.	Ring Railway in the Capital	490–91

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
359	लोहे तथा इस्पात के अभ्यंश	491
360	लोह अयस्क खनन का यंत्रीकरण	492–93
361	ओंगोल से हैदराबाद तक नई रेलवे लाइन	493
362	कांच उद्योग	493–94
364	दियासलाई उद्योग	494
365	रेलों पर तोड़ फोड़	494–95
366	केरल में भारत-कनाडा जस्ता परियोजना	495
367	वायदा व्यापार	495
368	कुवेत में कच्चे लोहे का संयंत्र तथा इस्पात मिल	496
369	विस्फोटक पदार्थों की चोरी	496
370	गोदावरी नदी पर रेल का दूसरा पुल	496–97
371	हथकरघा वस्त्र का उत्पादन	497
372	लोह अयस्क का निर्यात	498
373	अम्बाला के निकट चलती गाड़ियों में चोरियां	498
374	भारतीय रेलवे में चोरियां	499
375	ब्रिटेन को चाय का निर्यात	499–500
376	आयात की गई कारें	500
377	लोह अयस्क का निर्यात	500
378	खेतरी तांबा परियोजना	501–02
379	औद्योगिक पुनर्वास निगम, कलकत्ता	502
380	कांगड़ा में सीमेंट कारखाना	502
381	चाय वाले क्षेत्रों का तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण	503
382	दिल्ली रेलवे स्टेशन	503
383	रेल गाड़ियों के साथ दोहरे जलपान डिब्बे	503–04
384	मसालों का निर्यात	505
385	लकड़ी के स्लीपर	505
386	रेलवे के डिब्बे में धूल	506
387	खाने वाले तेलों का निर्यात	506
388	राजधानी में रेलगाड़ियों का देर से पहुंचना	506–07
389	चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिये परिव्यय	507–08
390	बोकारो इस्पात संयंत्र	508
391	बिहार में ऊपरि पुल	508
392	भाप, डीजल तथा बिजली के इंधन	509
393	ऊन का उद्योग	509–10
394	मलारना स्टेशन के समीप माल गाड़ी का पटरी से उतरना	510
395	रेलवे सेवा आयोग	511

Unstarred Questions Nos.	Subject	PAGES
359.	Iron and Steel Qoutas	491
360.	Mechanization in Iron Ore Mining	492-93
361.	New Railway line from Ongole to Hyderabad	493
362.	Glass Industry	493-94
364.	Match Industry	494
365.	Sabotages on the Railways	494-95
366.	Indo-Canadian Zinc Project in Kerala	495
367.	Forward Trading	495
368.	Pig Iron Plant and Steel Mill in Kuwait	496
369.	Theft of Explosives	496
370.	Second rail-bridge on Godavari	496-97
371.	Production of Handloom Cloth	497
372.	Export of Iron Ore	498
373.	Thefts on Running Trains Near Ambala	498
374.	Thefts on Indian Railways	499
375.	Export of Tea to U. K.	499-500
376.	Imported Cars	500
377.	Export of Iron Ore	500
378.	Khetri Copper Project	501-02
379.	Industrial Rehabilitation Corporation, Calcutta	502
380.	Cement Factory in Kangra	502
381.	Techno-Economic Survey of Tea Growing Areas	503
382.	Delhi Railway Station	503
383.	Double Dining Cars in Trains	503-04
384.	Export of Spices	505
385.	Wooden Sleepers	505
386.	Dust in Railway Compartments	506
387.	Export of Edible Oils	506
388.	Late Arrival of Trains in the Capital	506-07
389.	Outlay for the Fourth Plan	507-08
390.	Bokaro Steel Plant	508
391.	Overbridge in Bihar	508
392.	Steam, Diesel and Electric Locomotives	509
393.	Woollen Industry	509-10
394.	Derrailment of goods trains near Malarna Station	510
395.	Railway Service Commissions	511

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
396	उत्तर रेलवे के केटरिंग विभाग में भ्रष्टाचार	511–12
397	विशाखापटनम का जिंक संयंत्र	512
398	कटनी-बिलासपुर (दक्षिण पूर्वी रेलव) भाग पर दुर्घटना	512–13
399	घली राजहारा से नारायणपुर तक रेलवे लाइन	513
400	उत्तर रेलवे के यात्रियों को सुविधायें	513–14
401	नांगला बांध पर हैवी इलैक्ट्रिकल फैक्टरी	514
402	जूतों का निर्यात	515
403	वातानुकूलित डिब्बे (वैस्टीबूल)	515
404	लेमन ग्रास तेल बोर्ड	515
405	केरल में पैकेज पेपर मिल	515–16
406	आस्ट्रलिया को निर्यात	516
407	रेलगाड़ियों का यात्रा समय	516–17
408	रेल यात्रियों का तंग किया जाना	517–18
409	टी० टी० ई०	518
410	सोयाबीन तेल का आयात	519
411	कागज उद्योग	519
412	धातु आयात लाइसेंस	519–20
413	चाय उद्योग	520
414	भिलाई इस्पात संयंत्र	520
415	लोहे की नालीदार चादरें	521
416	झुंड-कांडला रेल	521
417	मैसूर में भूतत्वीय सर्वेक्षण	521–22
418	बीकानेर डिवीजन में रेलवे स्टेशन	522
419	बीकानेर डिवीजन में ऊपर के और नीचे के पुल	522
420	मध्य प्रदेश में इस्पात संयंत्र	523
421	कार्बनीकरण संयंत्र	523
422	राजस्थान में सीमेन्ट के कारखाने	524
423	रेल के फाटक	524
424	विद्युत वस्तुओं का निर्माण	524
425	पूर्व रेलवे के हावड़ा मुगलसराय खंड का विद्युतीकरण	525
426	विद्युदग्रों का निर्माण	526
427	आविष्कार संवर्धन बोर्ड	527
428	केरल में नई रेलवे लाइनें	527–28
429	सतपुड़ा में कोयले के रक्षित भण्डार	528
430	देहरादून से डाकपठार और कालसी तक रेल की लाइन	528
431	बम्बई-मद्रास जनता एक्सप्रेस में डाका	529

Unstarred Questions Nos.	Subject	PAGES
396.	Corruption among Catering Department Personnel of N. Railway.	511-12
397.	Zinc Smelting Plant at Vishakhapatnam	512
398.	Accident on the Katni-Bilaspur Section (S.E. Railway)	512-13
399.	Railway Line from Dhali-Rajhara to Narayanpur	513
400.	Amenities for Passengers on Northern Railway	513-14
401.	Heavy Electrical Factory at Nangal Dam	514
402.	Export of Shoes	515
403.	Air-conditioned Vestibules	515
404.	Lemon Grass Oil Board	515
405.	Package Paper Mill in Kerala	515-16
406.	Exports to Australia	516
407.	Running Time of Trains	516-17
408.	Hararsment of Railway Passengers	517-18
409.	Travelling Ticket Examiners	518
410.	Import of Soyabeen Oil	519
411.	Paper Industry	519
412.	Metal Import Licences	519-20
413.	Tea Industry	520
414.	Bhilai Steel Plant	520
415.	Corrugated Iron Sheets	521
416.	Zhund-Kandla Rail	521
417.	Geological Survey in Mysore	521-22
418.	Railway Stations in Bikaner Division	522
419.	Overbridges and Underbridges Bikaner Division	522
420.	Steel Plant in Madhya Pradesh	523
421.	Carbonisation Plant	523
422.	Cement Factories in Rajasthan	524
423.	Rail way Crossings.	524
424.	Manufacture of Electric Goods.	524
425.	Electrification of Howrah Mughal Sarai Section of E. Railway	525
426.	Manufacture of Electrodes	526
427.	Inventions promotion Board	527
428.	New Rail Lines in Kerala	527-28
429.	Coal Reserves in Satpura	528
430.	Rail Link from Dehra Dun to Dakpathar and Kalsi	528
431.	Robbery in Bombay Madras Janta Express	529

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
432	अलीगढ़-बरेली यात्री गाड़ी में हुई एक घटना	529–30
433	कालका मेल का रेल की पटरी से उतर जाना	530
434	दक्षिण पूर्व रेलवे पर रायपुर के निकट रेलगाड़ी का पटरी से उतरना	530
435	माल गाड़ी का पटरी से उतरना	531
436	पूर्वोत्तर रेलवे में कपड़े की चोरी	531
437	मध्य प्रदेश में नई रेलवे लाइनें	531–32
438	मेरठ के निकट मालगाड़ी और ट्रक की टक्कर	532
439	रेल के डिब्बों का निर्माण	532–33
440	उत्तर रेलवे के लेखा विभाग के कर्मचारी	533
441	कोयले का उत्पादन	533
442	न्यूयार्क में विश्व मेला	533–34
443	न्यूयार्क में विश्व मेला	534
444	अमरीका और कैनेडा को चाय का निर्यात	534–35
445	वाणिज्यिक क्लर्क	535
446	उत्तर रेलवे के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले	535–36
447	रेलवे कर्मचारियों के काम के घंटे	536
448	नार्थ-फ्रन्टियर रेलवे पर रेलगाड़ियों का पटरी से उतर जाना	536
449	केन्द्रीय रेलवे पर समपार	537
450	कराईकुड्डी, मद्रास में कोयले की परतें	537
451	दुर्गापुर में कच्चे लोहे का संयंत्र	538
452	ट्रैक्टर और सवारी गाड़ी की टक्कर	538
453	जापान से वस्त्र मशीन का क्रय	538–39
454	हावड़ा-आमता छोटी रेलवे	540
455	रेलवे कर्मचारी	540
456	लुम्डिंग तथा डिब्रूगढ़ के बीच रात में रेलगाड़ियों का चलना	540
457	रेलवे ट्रेनिंग स्कूल	541
458	रेलवे दुर्घटनायें	541
459	औरंगाबाद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड	541–42
460	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स	542
461	एच० एम० टी० द्वारा घड़ियों का निर्माण	542
462	चाय का निर्यात	542–43
463	कांगड़ा घाटी में तीसरी श्रेणी के रेल डिब्बे	543
464	छोटे पैमाने के उद्योग	543–44
465	बौदपुर स्टेशन पर रेल गाड़ी की टक्कर	544
466	सम्भावित लाइसेंस खनन पट्टे सम्बन्धी आवेदन-पत्रों का—निबटारा	544–45
467	टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का विस्तार	545
468	बाढ़ों के कारण रेलवे को हुई क्षति	545–46

Unstarred Questions Nos.	Subject	PAGES
432.	Incident in Aligarh-Bareilly Passenger Train	529-30
433.	Derailment of Kalka Mail	530
434.	Derailment near Raipur on S. E. Railway	530
435.	Derailment of Goods Train	531
436.	Theft on Cloth on N. E. Railway.	531
437.	New Rail Lines in M. P.	531-32
438.	Goods train truck collision near Meerut	532
439.	Manufacture of Railway Wagons	532-33
440.	Employees of Northern Railway Accounts Department	533
441.	Production of Coal	533
442.	World Fair at New York	533-34
443.	New York World's Fair	534
444.	Export of Tea to USA and Canada	534-35
445.	Commercial Clerks	535
446.	Corruption cases Against Officers of Northern Railway	535-36
447.	Working Hours of Employment of Railway Staff	536
448.	Derailment on N.F. Railway	536
449.	Level crossings on Central Railway	537
450.	Coal Seams in Karaikkudoi (Madras)	537
451.	Pig Iron Plant at Durgapur	538
452.	Tractor-Passenger Train Collision	538
453.	Purchase of Textile Machinery from Japan	538-39
454.	Howrah-Amta Light Railways	540
455.	Railway Employees	540
456.	Night Trains between Lumding and Dibrugarh	540
457.	Railway Training Schools	541
458.	Railway Accident	541
459.	Aurangabad Textile Mills Ltd.	541-42
460.	Hindustan Machine Tools	542
461.	Manufacture of Watches by H. M. T.	542
462.	Export of Tea	542-43
463.	Third Class Railway Coaches in Kangra Valley	543
464.	Small Scale Industries	543-44
465.	Train Collision at Baudpur Station	544
466.	Disposal of prospecting licence mining lease applications	544-45
467.	Expansion of Tata Iron and Steel Co.	545
468.	Damage to Railways due to Floods	545-46

विषय	पृष्ठ
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
अन्दमान में मज़दूर संघ नेताओं और लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों की गिरफ्तारी	
श्री सेझिहृटन . . .	546
श्री ल० ना० मिश्र . . .	546—49
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	549—52
प्राक्कलन समिति	
चौसठवां प्रतिवेदन	552
स्वर्ण नियंत्रण विधेयक—	
(1) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन . .	553
(2) संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य .	553
सभा का कार्य .	553—55
धन-कर (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	555–56
मंत्रि-परिषद में अविश्वास प्रस्ताव	556—61
श्री नि० चं० चटर्जी	556–57
श्री नारायण दांडेकर	558–59
श्री उ० मू० त्रिवेदी	559—61
श्री हनुमन्तैया . . .	561
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बंधी समिति	
छयालीसवां-प्रतिवेदन-स्वीकृत	561–62
विधेयक पुरःस्थापित	562–65
(1) दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, (धारा 127, 128 और 129 का संशोधन) [श्री हरि विष्णु कामत का]	562
(2) पुस्तकें तथा समाचारपत्र पहुंचाना (सार्वजनिक पुस्तकालय) संशोधन विधेयक (धारा 2 और 3 का संशोधन) [श्री हरि विष्णु कामत का]	562–63
(3) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 316 का संशोधन) [श्री श० ना० चतुर्वेदी का] . . .	563
(4) दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा 109 का लोप) [डा० राम मनोहर लोहिया का] . . .	563

Subject	PAGES
Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	546–49
Arrest of trade union leaders and PWD workers in Andamans.	
Papers laid on the Table	549–52
Estimates Committee	
Sixty-fourth Report	552
Gold Control Bill	
Report of Joint Committee; and Evidence before Joint Committee.	553
Business of the House	553–55
Wealth-tax (Amendment) Bill—introduced	555-56
Motion of No-confidence in the Council of Ministers	556–61
Shri N. C. Chatterjee	556-57
Shri N. Dandekar	558-59
Shri U. M. Trivedi	459–61
Shri Hanumanthaiya	561
Committee on Private Members' Bills and Resolutions	
Forty-sixth Report—adopted.	561-62
Bills introduced	562–65
1. Code of Crminal Procedure (Amendment) Bill (*Amendment of sections* 127, 128 *and* 129) by Shri Hari Vishnu Kamath.	562
2. Delivery of Books and Newspapers (Public Libraries) Amendment Bill (*Amendment of sections 2 and 3*) by Shri Hari Vishnu Kamath.	562-63
3. Constitution (Amendment) Bill (*Amendment of article* 316) by Shri S. N. Chaturvedi.	563
. Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill-(*Omission of section* 109) by Dr. Ram Manohar Lohia	563

(5) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 295 का संशोधन) [श्री पाराशर का] 564

(6) भारतीय स्टाम्प (संशोधन) विधेयक (धारा 3 और अनुसूची 1 का संशोधन) [श्री नि० रं० लास्कर का] . . 564

(7) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 75 का संशोधन) [श्री यशपाल सिंह का] . . 564–65

(8) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 75, 153 और 164 का संशोधन) [श्री कृष्णपाल सिंह का] 565

(9) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 331 का लोप) [श्री प० ला० बारूपाल का] . . . 565

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 370 का लोप) [श्री प्रकाशवीर शास्त्री का] . . . . 566—72

श्री प्रकाशवीर शास्त्री . 566–67
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा 567
श्री हरि विष्णु कामत 567
श्री श्यामलाल सर्राफ 567–68
श्री सरजू पाण्डेय 568
श्री हनुमन्तैया . 569
डा० राम मनोहर लोहिया 569
श्री राम सहाय पाण्डेय 569–70
श्री गोपाल दत्त मैंगी 570–71
श्री भागवत झा आजाद . . 571
श्री काशी राम गुप्त . . 571–72
श्री दी० चं० शर्मा . . 572

5. Constitution (Amendment) Bill—(*Amendment of article* 295) by Shri V. C. Parashar 564

6. Indian Stamp (Amendment) Bill—(*Amendment of section* 3 *and Schedule 1*) by Shri N. R. Laskar. 564

7. Constitution (Amendment) Bill—(*Amendment of article 75* by Shri Yashpal Singh. 564-65

8. Constitution (Amendment) Bill—(*Amendment of articles* 75, 153 *and* 164) by Shri Krishnapal Singh. . . . 565

9. Contitution (Amendment) Bill—(*Omission of article* 331) by Shri P.L. Barupal

Consutitution (Amendment)Bill—(*Omissionof article* 370) by Shri Prakash Vir Shastri. 566-72

Shri Prakash Vir Shastri 566-67
Shri Inder J. Malhotra 567
Shr Hari Vishnu Kamath 567
Shri Sham Lal Saraf 567-68
Shri Sarjoo Pandey 568
Shri Hanumanthaiya 569
Dr. Ram Manohar Lohia 569
Shri R.S. Pandey 569-70
Shri Gopal Datt Mengi 570-71
Shri Bhagwat Jha Azad 571
Shri Kashi Ram Gupta 571-72
Shri D.C. Sharma 572

लोक-सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 11 सितम्बर, 1964/20 भाद्र, 1886 (शक)

Friday, September 11, 1964/Bhadra, 20, 1886, (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

MR. SPEAKER *in the chair.*

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

पटसन मिल उद्योग

\+

*117. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री मोहन स्वरुप :
श्री षवन :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री विशन चन्द्र सेठ :
श्री द्वारका दास मंत्री :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में पटसन मिल उद्योग का आधुनिकीकरण करने के लिये सरकार ने एक नइ योजना प्रारम्भ की है; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

जूट उद्योग को अपना उत्पादन बढ़ाने के हेतु आवश्यक मशीनें प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त कराने के उद्देश्य से, 1963 के आरम्भ में ऐसी मशीनों का आयात करने की अनुमति देने का निश्चय किया गया था जो देश में उपलब्ध नहीं हैं । यह आयात एक उपयुक्त अवधि में क्या

किया जाना था। जूट मिलों को इस योजना के अन्तर्गत उनके अपने उपयोग के लिये केप्टिव पावर-जनरेटिंग सैटों के आयात की भी सामान्य निकासी की शर्तों पर अनुमति दी जा रही है ।

जो मिलें कताई, तैयारी तथा कताई के पश्चात् उपयोग की मशीनों के आयात के लिये किसी विदेशी व्यापारी के साथ ऋण की व्यवस्था कर लती हैं उनको, देश में सामान की उपलब्धि के दृष्टिकोण से जांच करके एसी मशीनों के आयात के लिये लाइसेंस दे दिये जाते हैं। इन आयात लाइसेंसों में मशीनों की कीमतों को इच्छानुसार दो वार्षिक किश्तों या चार छमाही किश्तों में भुगताने की अनुमति दी जाती है जिसमें से पहली किश्त मशीन लगा लेने के पश्चात् देनी पड़ती है। यदि आवश्यकता हो तो मशीनों का आर्डर देने और लदान के समय 20 प्र० श० तक भुगतान करने की भी अनुमति दे दी जायगी। शेष धन पर ऐसी दर से ब्याज दिया जा सकता है जो 6 प्र० स० से अधिक न हों और इससे आयकर में छट लेने की योग्यता प्राप्त हो जाती है। यदि ब्याज 6 प्रतिशत से अधिक हो जाता है तो ब्याज की सम्पूर्ण राशि पर कर लग सकता है। आवेदन करने वाली मिलों को एक ऐसा प्रतिज्ञापत्र लिख कर देना होगा जिसके अनुसार उन्हें भुगतान करने की तिथि से पहले प्रत्येक भुगतान के मूल्य को पूरा करने के लिये अतिरिक्त निर्यात करना होगा।

श्री रामेश्वर टांटिया : कितने प्रतिशत पटसन मिलों का राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के वित्त से आधुनिकीकरण किया गया था और सरकार ने जो नई योजना बनाई है उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

श्री से0 वें0 रामस्वामी : प्रतिशत संख्या को जानकारी मुझे नहीं है। कताई विभाग का आधुनिकीकरण हो गया है और हम बुनाई विभाग का आधुनिकीकरण करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री रामेश्वर टांटिया : मेरा प्रश्न यह था कि किस प्रकार के साधनों से उन मिलों का आधुनिकीकरण करने में सहायता मिलेगी जिनका कि अभी तक आधुनिकीकरण नहीं किया गया है।

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): संसद् की प्राक्कलन समिति ने यह विचार प्रकट किया था कि जहां तक पुनर्वास का सम्बन्ध है राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम के कार्य को औद्योगिक वित्त निगम भी भली प्रकार कर सकता है। इस सम्बन्ध में दो प्रकार के मत थे और हम ने प्राक्कलन समिति के मत को स्वीकार कर लिया। इसलिये, पुनर्वास कार्य अब हम ने राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम से लेकर औद्योगिक वित्त निगम को दे दिया है।

श्री रामेश्वर टांटिया : पटसन मिलों को कुल कितने ऋण दिये गये थे और क्या उन में से कोई ऋण डूब भी गया था ?

श्री मनुभाई शाह : कोई भी ऋण नहीं डूबा। कताई विभाग के 85 प्रतिशत भाग का आधुनिकीकरण कर दिया गया है।

Shri D. D. Mantri How many applications were received from the jute mill industry for modernisation and how much amount was provided for their modernisation ?

Shri Manubhai Shah The work of distributing funds was entrusted to N.I,D.C. and we have provided them about Rs. 14-15 crores for this.

श्री भागवत झा आजाद : क्या इस बात का अनुमान लगाया गया है कि ये जो सुविधायें उनको दी जा रही हैं उनसे उनको अंतर्राष्ट्रीय मण्डी में प्रतिस्पर्द्धा के लिये अपनी क्षमता को बढ़ाने में कितनी सहायता मिलेगी ?

श्री सं० वें० रामस्वामी : इसी प्रयोजन के लिये तो हम उनका आधुनिकीकरण करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री भागवत झा आजाद : इस प्रयोजन को तो मैं भी जानता हूं; परन्तु क्या इस सम्बन्ध में स्थति का मूल्यांकन किया गय है अथवा नहीं ?

श्री मनुभाई शाह: आधुनिकीकरण से इसमें भारी सहायता मिली है। सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि तृतीय योजना के तृतीय वर्ष में पटसन उद्योग ने उत्पादन और निर्यात के अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। गत वर्ष इसका निर्यात 157 करोड़ रुपये का था जो कि तृतीय योजना के पांचवें वर्ष के निर्धारित लक्ष्य से भी अधिक है। आन्तरिक उत्पादन 13 लाख 34 हजार टन का हुआ था जो कि पटसन उद्योग के इतिहास में सबसे अधिक है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या पटसन मिलों के लिये देश में ही आधुनिक मशीनों का उत्पादन करने का कोई कार्यक्रम है और यदि हां, तो इस कार्यक्रम की पंजी लागत कितनी होगी तथा इसके उत्पादन के लिये निर्धारित समय क्या है ?

श्री मनुभाई शाह : पटसन मिल उद्योग अपने कताई विभाग में बीच के विभागों के लिये सभी प्रकार की मशीनों का निर्माण करता है; ड्राइंग और साज-सज्जा सम्बन्धी 80 प्रतिशत मशीनें यहां बनाई जाती हैं। करघों का हम निर्यात कर रहे हैं। गत वर्ष 3 करोड़ 89 लाख रुपये के मूल्य की मशीनों का उत्पादन किया गया था जो कि उससे पहिले वर्ष के उत्पादन से दुगना था। केवल कुछ विशेष प्रकार की मशीनों का ही आयात किया जाता है और शेष सभी यहीं पर बनाई जाती है।

Shri Yashpal Singh : Have Government made any assessment regarding the village labour which will be thrown out of employment after inplementation of this modernisation scheme ?

Shri Manubhai Sahh : Village labour from Bihar, Uttar Pradesh and Orissa goes to jute mills in Calcutta.

डा० रानेन सेन : पटसन मिल मालिकों की एक कठिनाई यह थी कि उन्हें मिल उत्पादों को अनेक रूप देने पड़ते थे। अब जब कि आधुनिकीकरण की समस्या को हल किया जा रहा है और उन्हें आयात लाइसेंस दिये जा रहे हैं, क्या ऐसी भी कोई योजना तैयार की गई है जिससे कि पटसन उद्योग अपने उत्पादों को अनेक रूप दे सके ?

श्री मनुभाई शाह : उद्योग तथा सरकार की सम्पूर्ण नीति ही, जैसा कि माननीय सदस्य ने ठीक ही बताया है, उत्पादों को अनेकरूपता देने की रही है। तृतीय योजना में गलीचे के पीछे लगाये जाने वाले कपड़े का एक नया अनुभाग खोला गया था। पहले हमारा परम्परागत उत्पाद टाट और बोरियां था। गलीचे के पीछे लगाये जाने वाले कपड़े के लिये एक चौड़ा करघा है। आजकल हम अपने प्रतिस्पर्धियों से कहीं अधिक संख्या में उत्पादन कर रहे हैं और यह उद्योग की ही सफलता है। प्लास्टिक की लाइनों वाला टाट और बोरियां बनाने का नया कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। इस विभाग ने अपनी भारी कार्यक्षमता प्रदर्शित की है। गत वर्ष स्व-वित्तपोषी योजना में हमने इस उद्योग को उत्पादों की अनेकरूपता के लिये 9 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा दी थी।

श्री रामनाथन चट्टियार : राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने इस उद्योग को आधुनिकीकरण के लिये कुल कितना रुपया दिया था और औद्योगिक वित्त निगम के इस कार्य को अपने हाथ में लेने के पश्चात् उसने कार्य के लिये कुल कितना रुपया दिया है ?

श्री मनुभाई शाह : स्पष्ट बात तो यह है कि औद्योगिक वित्त निगम के हाथ में इस कार्य के जाने से मैं बहुत ही अप्रसन्न हूं। परन्तु हम विवश हैं। जब एक उच्च निकाय यह कहता है कि इस कार्य का हस्तांतरण करना ही है तो हम इसका परीक्षण कर रहे हैं। राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने 14 करोड़ रुपये दिये थे। यदि नवीन प्रणाली सफल सिद्ध नहीं हुई तो हमें प्राक्कलन समिति से यह प्रार्थना करनी होगी कि वह अपनी राय को बदले तथा यह कार्य राष्ट्रीय औद्योगिक वित्त निगम को वापिस दे दिया जाये।

Shri Kashi Ram Gupta : Are there any such jute mills which have been organised or are likely to be organised by self-financing, without taking any assistance from Government or N.I.D.C.?

Shri Manubhai Sah : Such mills are very few because there is a lot of financial stringency. There can be no capital formation for industrialisation unless the loans are advanced by Government or the agencies functioning under Government

श्री दाजी: इस आधुनिकीकरण के लिये राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम को कुल कितने ऋण की आवश्यकता है और मिलें स्वयं इसमें कितना रुपया देंगी ?

श्री मनुभाई शाह : यदि इस सम्पूर्ण पटसन उद्योग का आधुनिकीकरण करें तो उसके लिये तथा उद्योग के विस्तार के लिये लगभग 65 करोड़ रुपये के ऋण की आवश्यकता होगी परन्तु इस समय हम केवल 20 करोड़ रुपये की ही व्यवस्था करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री दाजी: इस 65 करोड़ रुपये में से पटसन मिलें कितना रुपया देंगी तथा राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम कितना रुपया देगा ?

श्री मनुभाई शाह : आम अनुपात पचास-पचास प्रतिशत का रखा जाता है। हम जो कोई भी ऋण देते हैं उसके लिये यह आशा करते हैं कि मिलें भी उसके बराबर रुपया देंगी।

श्री फ० गो० सेन : कलकत्ते से बाहर कहां कहां पर आधुनिकीकरण की योजना लागू की जायेगी ?

श्री मनुभाई शाह : कानपुर में दो मिलों के लिये, आंध्र प्रदेश में एक मिल के लिये और मेरा ख्याल है कि बिहार में एक मिल के लिये।

दक्षिण में नया रलवे जोन

\+

*118. **श्री रामनाथन चेट्टियार** :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री कोल्ला वकैया :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री कजरोलकर :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने दक्षिण में एक नया जोन बनाने का निर्णय किया है जिसका मुख्यालय

सिकन्दराबाद में होगा;

(ख) यदि हां, तो कब;

(ग) इस नये जोन के अन्तर्गत कौन-कौन से क्षेत्र आयेंगे; और

(घ) इससे यातायात के गमनागमन की क्षमता में कितनी वृद्धि होने की संभावना है ?

रलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) अभी नहीं । लेकिन रेलों की परिचालन सम्बन्धी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

(ख) और (ग). जब और जैसे इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय किया जायेगा, उसकी विधिवत् सूचना निकाली जायेगी ।

(घ) रेल उपयोगकर्ताओं को जो सेवा प्रदान की जाती है, उसका स्तर प्रत्यक्ष रूप से रेलवे की परिचालन और प्रशासन सम्बन्धी कार्य कुशलता पर निर्भर है । इस कार्य-कुशलता को बढ़ाने के लिए जब और जैसी जरूरत होती है, रेलवे संगठन में परिवर्तन किया जाता है ।

श्री रामनाथन चेट्टियार : इस नये जोन को बनाने के बारे में निर्णय करने में रेलवे मंत्रालय को कितना समय लगेगा ?

डा० राम सुभग सिंह : जैसा कि मैंने बताया है इस मामले पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है और हाल ही में शायद 8 जुलाई को हम ने रेलवे बोर्ड के अधिकारियों का एक दल हैदराबाद में इस मामले की जांच करने के लिये भेजा था, उनके प्रतिवेदन की जांच की जा रही है तथा उसके बाद आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

श्री रामनाथन चेट्टियार : क्या इस सम्बन्ध में वे किसी ठोस निर्णय पर पहुंचे हैं कि इस जोन के अन्तर्गत कौन कौन से क्षेत्र आयेंगे ?

डा० राम सुभग सिंह : विचार यह है कि दक्षिण रेलवे के दो डिवीजनों और केन्द्रीय रेलवे के दो डिवीजनों को मिलाकर यह नया जोन बनाया जायेगा ।

श्री वी० चं० शर्मा : क्या दक्षिण में एक नया जोन बनाने का प्रश्न ही विचाराधीन है अथवा भारतीय रेलवे की सम्पूर्ण जोनल प्रणाली को ही नया रूप देने के बारे में विचार किया जा रहा है?

रलवे मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : एक नीति निर्णय के रूप में गत अनेकों वर्षों से हम यह कहते आ रहे हैं कि जहां भी कहीं परिचालन और प्रशासन सम्बन्धी कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिये नया जोन आवश्यक होगा वहीं पर नया जोन बना दिया जायेगा और यही कारण है कि हम ने 6 से 7 और फिर 7 से 8 जोन बना दिये थे । अब यदि यह नया जोन बनाया गया तो यह नवां होगा । परन्तु यह सब रेलवे की परिचालन और प्रशासन सम्बन्धी कार्य कुशलता पर निर्भर है ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंहः इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये पूंजीगत व्यय कितना होगा ?

डा० राम सुभग सिंह : इस बात की जांच की जायेगी और बाद में हम यह बात बता सकेंगे ।

Shri Yashpal Singh : Have Government received any representation from the people of Sholapur to the effect that they do not want to be included in the new zone and wish to continue in S‿nepur zone itself and if so why are those people being compelled in this regard ?

Shri S. K. Patil : All this does not depend on the wishes of the people, but new zones are constructed keeping in view the betterment of Railways.

श्रीमती यशोदा रेड्डी: माननीय मंत्री ने यह बताया है कि इस मामले पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है । क्या मैं माननीय मंत्री का ध्यान इस बात की ओर दिला सकती हूं कि भूतपूर्व रेलवे मंत्री, श्री स्वर्ण सिंह, ने बड़ी दृढ़तापूर्वक सदन को यह आश्वासन दिया था कि आंध्र प्रदेश के लिये एक नया ज़ोन बनाया जायेगा, तो फिर क्या मैं जान सकती हूं कि सरकार के और रेलवे मंत्रालय के सामने अब कौन सी विशेष अथवा नई कठिनाइयां आ रही हैं ?

श्री स० का पाटिल : जहां तक इसका सम्बन्ध है यह बात मंत्रियों द्वारा कई बार बताई जा चुकी है । पीछे हटने की बात नहीं है । यह कहना कि ज़ोन होना चाहिये एक बात है और क्षेत्रों का सीमांकन करना और अन्य कार्य करना सर्वथा भिन्न बात है ।

श्रीमती यशोदा रड्डी: ज़ोन बनाना अत्यावश्यक था और उन्होंने कहा था कि इसे अन्तिम रूप दिया जा रहा है । यह आश्वासन दिया गया था ।

श्री स० का० पाटिल : यह माना कि ज़ोन अत्यावश्यक है । परन्तु हम ज़ोन केवल आन्ध्र के लिये ही नहीं बना रहे हैं । हम ज़ोन इसलिये बना रहे हैं कि इससे परिचालन और प्रशासनिक कार्यों में सुविधा मिलेगी ।

श्री कजरोलकर : क्या सरकार को सार्वजनिक निकायों तथा महाराष्ट्र सरकार से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें शोलापुर डिवीज़न को नये ज़ोन में रखने के प्रति विरोध प्रकट किया गया है और यदि हां तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री स० का० पाटिल: हमें बहुत अभ्यावदन प्राप्त होते हैं । महाराष्ट्र सरकार और शोलापुर डिविज़न ही क्यों, अन्य व्यक्ति भी हैं जो अपने स्थानों में रेलवे ले जाना चाहते हैं । इसलिये हम किसी प्रादेशिक या भाषाई विचार को लेकर ज़ोन नहीं बनाते ।

श्री नम्बियार : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पश्चिमी रेलवे में 8 डिविज़न हैं और 6000 मील लम्बी रेल की पटरी है, क्या इनको इस प्रकार बांटना आवश्यक नहीं है कि चरम दक्षिण में चार से अधिक डिविज़न न हों ?

श्री स० का० पाटिल : ज़ोन किसी गणित के तरीके से नहीं बनाये जाते । यह प्रत्येक रेलवे के कार्य भार और कार्यकुशलता पर निर्भर करता है । हम हर एक पहलू पर पूरा पूरा ध्यान देते हैं । जिससे कि जो भी ज़ोन हम बनाएं उससे कार्यकुशलता में वृद्धि हो ।

श्री नाथ पाई : यह हम अच्छी तरह जानते हैं कि माननीय रेलवे मंत्री स्थानीय, संकुचित और भाषाई विचारों पर ध्यान नहीं देते ।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपना प्रश्न पूछना चाहिये ।

श्री नाथ पाई : कभी कभी जब तक प्रश्न का स्पष्टीकरण न किया जाये वह अर्थपूर्ण नहीं बनता । हम जानते हैं कि वह केवल परिचालन और प्रशासनिक कार्यकुशलता से अधिक प्रभावित हैं । क्या वे कृपया बतायेंगे कि शोलापुर का वर्तमान ढांचा परिचालन और प्रशासनिक कार्यकुशलता में किस प्रकार बाधा डाल रहा है और वे इसे वर्तमान ढांचे से हटाना क्यों आवश्यक समझते हैं ?

श्री स० का० पाटिल : प्रश्न का कुछ तो उत्तर उन्होंने स्वयं ही दे दिया है । क्योंकि बहुत सारे अभ्यावेदन आये हैं इसलिये उन पर ध्यानपूर्वक विचार करने में देरी हो रही है ।

डा० सरोजिनी महिषी: पश्चिम तट के विकास को ध्यान में रखते हुए और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मर्मागांव पत्तन को वाणिज्यिक और समुद्री अड्डे में बदला जायेगा, क्या सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि हुबली में नये केन्द्रीय मुख्यालय किन किन स्थानों पर रखे जायेंग ?

श्री स० का० पाटिल: मुझे फिर उसी बात को दोहराना पड़ता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने राज्य के लिये एक जोन चाहता है । हम समस्त भारत को ध्यान में रख कर इसका निर्णय करते हैं और जहां भी परिचालन कार्यकुशलता के हित में जोन बनाना आवश्यक समझा जाता है हम वहां जोन बनाते हैं ।

श्री हेम बरुआ: क्या यह सदस्यों पर आक्षेप नहीं है कि सदस्य तो भारत के टुकड़े करने की बातें सोचते हैं और केवल मंत्री महोदय ही भारत के हित की बात सोचते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री ने ऐसा नहीं कहा है ।

श्री हेम बरुआ : उन्होंने ऐसा कहा नहीं है परन्तु उनके कहने का अर्थ यही है ।

श्री शं० शा० मोर : पूना जिले की क्या स्थिति होगी ?

डा० राम सुभग सिंह : शोलापुर डिवीजन को इस नये जोन में मिला दिया जायेगा और एक लाइन पूना को छूती हुई जायेगी ।

श्री प्र० प्र० शर्मा: 1952 में जोन बनाने के समय रेलवे के विभिन्न रेलवेज से आने वाले कर्मचारियों की परस्पर वरिष्ठता के निर्धारित करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई थी । यहां भी ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ रेलवेज की कुछ डिवीजनों को मिला दिया जायेगा । अत: क्या सरकार विभिन्न डिवीजनों से आने वाले कर्मचारियों की वरिष्ठता निर्धारित करने के लिये एक और समिति नियुक्त करने के बारे में सोच रही है ?

Shri Sheo Narain : Is it a fact that Govt. is starting new Railways instead of establishing new zones?

Dr. Ram Subhag Singh : This will also be considered.

Shri P. L. Barupal : Are Govt. considering the question of forming a new zone for the meter gauge of Northern Railway ?

Mr. Speaker : We are discussing South at persent.

श्री तुलशी जाधव : क्या सरकार इस बात से अवगत है कि 1953 में, एक उच्च शक्ति प्राप्त छोटी तकनीकी समिति द्वारा रेलवे जोनों के विभिन्न पहलुओं पर जांच के पश्चात्, रेलवे भ्रष्टाचार जांच समिति ने सिफारिश की कि वर्तमान जोनों को छोटा किया जाये ? क्या सरकार ने इस मामले में कोई समिति नियुक्त की है और यदि नहीं, तो इस समिति के बिना जोन कैसे बनेंगे ।

डा० राम सुभग सिंह: वास्तव में समस्त मामले पर तकनीकी विशषज्ञों द्वारा जांच की जा रही है ।

श्री दासप्पा : एक अभ्यावेदन दिया गया है कि हुबली और मैसूर डिवीजनों को एक साथ रखा जाना चाहिये । क्या उस पर विचार किया जायेगा ?

श्री स० का० पाटिल : इन पर विचार के कारण विलम्ब हो रहा है । यदि इन पर विचार न किया जाता तो देर न होती ।

श्री मं० र० कृष्ण : क्या किसी तकनीकी समिति ने पहले कभी इन सब मामलों पर जांच की है और सिकन्दराबाद को मुख्यालय रख कर एक जोन बनाने की सिफारिश की है ?

डा० राम सुभग सिंह : यह सच है ।

श्री अल्वारेस : क्या यह सच नहीं है कि जब श्री स्वर्ण सिंह मंत्री थे तो हुबली को मूलतः जोन में शामिल किया गया था और जब श्री दासप्पा मंत्री बने तो हुबली को जोन से हटा दिया गया था ?

डा० रामसुभग सिंह : वास्तव में यह जोन चार डिवीजनों के लिये बनाया जाना है । वे मुख्य डिवीजनें हैं । छोटा मोटा परिवर्तन बाद में भी हो सकता है ।

श्री नाथ पाई : तो क्या हम यह समझें कि जब तक शोलापुर का अपना मंत्री नहीं होगा तब तक उसके साथ इंसाफ नहीं किया जायेगा ? हम नहीं समझ सकते कि छोटे परिवर्तनों के बारे में वक्तव्य रेलवे मंत्री के प्रशासनिक कार्यकुशलता के बड़े दावे से किस प्रकार मेल खा सकता है ? श्रीमन्, आप इसका स्पष्टीकरण करवाइये । वह कहते हैं कि जैसा वह चाहें परिवर्तन कर सकते हैं । क्या इसमें राष्ट्रीय एकीकरण की बू है ?

डा० राम सुभग सिंह : जी हां ।

श्री नाथ पाई : कैसे ?

डा० रामसुभग सिंह : जोन बनाने के लिये मुख्य विचारार्थ बातें प्रशसानिक और परिचालन की कार्यकुशलता होंगी ।

श्री दासप्पा: मंत्री कहते हैं कि मामला विचाराधीन है जब कि राज्य मंत्री कहते हैं कि निर्णय कर लिया गया है । वास्तव में स्थिति क्या है ?

डा० राम सुभग सिंह : मैंने कब कहा कि निणय कर लिया गया है ? मैंने दो केवल वह कहा था कि हम सभी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं और निर्णय बाद में किया जायेगा । श्री अल्वारेस के उत्तर में मैंने कहा कि छोटे मोटे परिवर्तन जोन बनाने के बाद में भी किये जा सकते हैं । स्वयं जोन बनाने के प्रश्न पर भी जांच की जा रही है ।

श्री अल्वारेस : मेरा प्रश्न शोलापुर के बारे में था **(अन्तर्बाधाएं)** ।

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति । यदि माननीय सदस्यों की इस प्रश्न में इतनी अधिक रुचि है तो उन्हें चर्चा के लिये कहना चाहिये ।

श्री सोनावने : जोनों की बढ़ती हुई संख्या और भारी प्रशासन को ध्यान में रखते हुए, क्या रेलवे मंत्री, प्रवर समिति द्वारा 1956-57 में अपने 19वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिश के

अनुसार रेलवे के पुनर्गठन के समस्त प्रश्न पर जांच करने के लिये एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही के लिये सुझाव है ।

श्री दी० चं० शर्मा : विभिन्न वक्तव्यों में जो उलट-पुलट बातें हैं वे स्पष्ट होनी चाहिये। कुछ लोग कहते हैं कि श्री स्वर्ण सिंह ने एसा किया, कुछ का कहना है कि श्री दासप्पा ने ऐसा किया और कुछ श्री पाटिल का नाम लेते हैं। मैं अनुभव करता हूं कि इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट होनी चाहिये ।

श्री स० का० पाटिल : सब मंत्री एक नीति के अनुसार कार्य कर रहे थे।

सैलम के लोह अयस्क पर आधारित इस्पात संयंत्र

+
*119. **श्री सेझियान** :
श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री कजरोलकर :
श्री धर्मलिंगम :
श्री रामनाथन चेट्टियार :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री ट० सुब्रह्मण्यम :
श्री इम्बीचिबावा :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री नम्बियार :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सेलम के लौह अयस्क तथा नेवली के लिग्नाइट पर आधारित इस्पात संयंत्र की स्थापना करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): नेवेली-सैलम लोह तथा इस्पात परियोजना के लिये विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन हाल ही में प्राप्त हुआ है और इस समय सरकार के विचाराधीन है।

श्री सझियान : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चौथी योजना के लिये इस्पात का लक्ष्य 180 लाख टन है और बोकारो संयंत्र समेत वर्तमान संयंत्रों की क्षमता केवल 150 लाख टन के लगभग है और इस बात पर विचार करते हुए कि दस्तूर एंड कम्पनी ने जो प्रतिवेदन दिया है उसमें इस संयंत्र को लाभप्रद बताया गया है, सैलम में इस्पात संयंत्र के बारे में अंतिम निर्णय करने में सरकार क्यों हिचकिया रही है ?

श्री संजीव रेड्डी: यह सच है कि तकनीकी समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है। परियोजना पर अन्तिम निर्णय करने से पूर्व हमें कई बातों पर विचार करना है।

श्री सेझियान: : माननीय मंत्री ने, 9 अगस्त को हैदराबाद में कहा कि मद्रास, मैसूर और आन्ध्र के मुख्य मंत्रियों को आपस में बातचीत करके इस बारे में निर्णय करना चाहिए कि पश्चिम में

इस्पात संयंत्र कहां था पित क ना चाहि । क्या इस्पात संयंत्र के लिये स्थान विशषज्ञों की समिति की सलाह से चुना जायेगा अथवा इस पर राज्यों के मुख्य मंत्रियों की सौदेबाजी होगी ?

श्री संजीव रड्डी : मैंने केवल यही कहा था कि प्र येक रा य अपना अपना दृ टकोण रख रहा है। यह वांछनीय नहीं है, इस म ले को तकनीकी व्यक्तियों पर छोड़ देना चाहिये । इसलिये मैंने मुख्य मंत्रियों से अपील की कि वे हमारी सहायता करें और इस प्रादेशिकवाद को न भड़कायें ।

श्री रामसहाय पांडेय : भैलाडिल्ला में बढ़िया किस्म का लौह अयस्क उपलब्ध है । क्या वहां पर इस्पात संयंत्र स्थापित करने के प्रश्न पर सरकार ने विचार किया है ?

श्री संजीव रेड्डी : जिन तीन परियोजनाओं के सम्बन्ध में जांच की जा रही है उनके लियेइस प निश्च ही विचार किया ज येगा । गोआ, होज़ पेट, बैलाडिल्ला, विशाखा टनम और सैलम इन सब पर विचार किया ज येगा ।

श्री रामनाथन चेट्टियार : क्या दस्तूर ऐंड कम्पनी का सम्पूर्ण प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जायेगा ?

श्री संजीव रेड्डी : जी, हां ; प्रतिवेदन के रखने में हमें कोई कठिनाई नहीं है । परन्तु इसके लिये हमें पहले प्रतिवेदन की जांच करनी है और निर्णय करना है ।

श्री ट० सुब्रह्मण्यम : सैलम और होजपेट के अयस्कों में कितने प्रतिशत लोहा है ।

श्री संजीव रेड्डी : प्रतिवेदन के अनुसार सैलम के अयस्क में लगभग 35 प्रतिशत लोहा है और होजपेट के अयस्क में लगभग 70 प्रतिशत ।

श्री अ० प्र० जैन : बहुत बड़ा अन्तर है ।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : चांदा और बलहारशाह प्रदेश में जो उच्चस्तरीय कोक और कोयला पाया गया है उसको ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने उस प्रदेश में इस्पात संयंत्र स्थापित करने की संभावनाओं की जांच की है ?

श्री संजीव रेड्डी : प्रश्न होजपेट और चांदा के बारे में और स्वभावतः अन्य स्थान इस समय विचाराधीन नहीं हैं ।

श्री बासप्पा : क्या माननीय मंत्री ने, हाल ही में होजपेट नगरपालिका की स्वर्ण जयन्ती का उद्घाटन करते हुए, कहा था कि होज़पेट क्षेत्र पर उचित विचार किया जायेगा क्योंकि इस्पात संयंत्र की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है ?

श्री नम्बियार : हम सैलम की बात कर रहे हैं होजपेट की नहीं ।

श्री संजीव रड्डी : मैंने कहा था कि सभी स्थानों के बारे में उचित विचार किया जायेगा और जो उन में सर्वोत्तम होगा वह चुन लिया जायेगा । यही बात मैं ने प्रत्येक स्थान पर कही थी और इसे ही यहां दोहरा रहा हूं ।

श्रीमती यशोदा रेड्डी : यद्यपि इसका सम्बन्ध केवल सैलम से है, फिर भी मैं पूछना चाहूंगी कि चूंकि हमारे पास सीमित निधियां हैं और स समय हम इन से केवल एक ही संयंत्र स्थापित कर सकते हैं और सैलम संयंत्र का उत्पादन केवल 15 लाख टन होगा तो क्या सरकार . . .

श्री नम्बियार : श्रीमन्, मेरा एक औचित्य प्रश्न है ।

श्रीमती यशोदा रेड्डी : . . . कि यह नीति होगी कि इस बात पर विचार किया जाये कि किस स्थान पर संयंत्र लगाना अधिक लाभप्रद होगा ।

अध्यक्ष महोदय : यह एक अच्छा सुझाव है ।

श्री नम्बियार : श्रीमन्, प्रश्न सैलम में इस्पात संयंत्र के बारे में था और अब इस प्रश्न को इस प्रकार घुमाया जा रहा है जैसेकि होज़पेट में दूसरे इस्पात संयंत्र के साथ इसका मुकाबिला हो ।

अध्यक्ष महोदय : क्या वह अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं ?

श्री नम्बियार : जी हां, मैं चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : वह एक प्रश्न पूछ सकते हैं ।

श्री नम्बियार : औचित्य प्रश्न के अतिरिक्त ।

श्री प्र० क० देव : पहले आप औचित्य प्रश्न को निबटा लीजिये ?

अध्यक्ष महोदय : औचित्य प्रश्न कोई नहीं है ।

श्री नम्बियार : क्या सैलम में इस्पात संयंत्र स्थापित करने का एक मुख्य कारण यह भी है कि सैलम के निकट नेवेली में लिग्नाइट उपलब्ध है ?

श्री संजीव रेड्डी : सभी पहलुओं पर विचार किया जायेगा । इस समय मैं इस से अधिक और कुछ नहीं कह सकता ।

श्री उमानाथ : क्या यह सच है कि तकनीकी समिति ने यह सिफारिश की है कि सैलम में विशेष प्रकार का इस्पात पैदा किया जाये जिसे कि होज़पेट अथवा अन्य क्षेत्रों में पैदा नहीं किया जायेगा; यदि हां, तो इसमें अन्य मुख्य मंत्रियों द्वारा अपने राज्यों में संयंत्र स्थापित करने की बात किस प्रकार आती है ?

श्री संजीव रेड्डी : नहीं, मेरे माननीय मित्र ने जो कहा वह पूरी तरह सच नहीं है । आखिरकार पहले हमें इस्पात पैदा करना पड़ता है और फिर इसका विशेष इस्पात बनाना पड़ता है । यह कार्य अन्य स्थानों पर भी किया जा सकता है केवल एक ही स्थान पर नहीं ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : There was a report to the effect that huge quantities of iron ore have been discovered in Bastar District of Madhya Pradesh. May I know the decisions taken by Governinment that regard ?

Mr. Speaker : That is a separate question.

श्री संजीव रेड्डी : हमारे पास भिलाई में पहले से तो एक इस्पात संयंत्र है और मेरा ख्याल है कि भैलाडिला भी मध्य प्रदेश में ही किसी स्थान पर है । उस पर भी विचार किया जायेगा ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती: क्या सरकार ने इस्पात संयंत्र स्थापित करने सम्बन्धी वित्तीय ब्योरे तैयार कर लिये हैं यदि हां, तो इस पर कितनी लागत आयेगी ?

श्री संजीव रेड्डी : प्रतिवेदनों को तैयार करने का काम हम विभिन्न कम्पनियों को देते हैं । सैलम के सम्बन्ध में प्रतिवेदन मिल गया है । जहां तक अन्य प्रतिवेदनों का सम्बन्ध है वे प्रारम्भिक प्रतिवेदन हैं । इसलिए विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त करने पड़ेंगे और इस के पश्चात् ही मैं प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं ।

श्रीमती सावित्री निगम : इस संयंत्र में कितना इस्पात पैदा किया जायेगा और इसे सैलम में स्थापित किया जा रहा है अथवा नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : वह कई बार उत्तर दे चुके हैं कि समस्त प्रश्न पर विचार किया जायेगा । श्री अ० प्र० जैन ।

श्रीमती सावित्री निगम: मैं संयंत्र के उत्पादन और आकार के बारे में जानना चाहती हूं ।

अध्यक्ष महोदय : पहले इस पर विचार तो होने दीजिए । श्री अ० प्र० जैन ।

श्री अ० प्र० जैन : क्या मंत्री महोदय यह आवशसन दे सकते हैं कि सभी विभिन्न परियोजनाओं के बारे में सम्पूर्ण प्रतिवेदनों के प्राप्त होने के पश्चात् इस्पात संयंत्र के स्थान के बारे में निर्णय किया जायेगा और वह गुणदोषों के आधार पर होगा न कि राजनैतिक विचारों के आधार पर ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नों के घन्टे में किसी आश्वासन के लिये नहीं कहा जा सकता ।

श्री संजीव रेड्डी : मैं यही कह सकता हूं कि सभी गुण दोषों पर विचार किया जायेगा ।

श्री कन्डप्पन : समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने में सरकार कितना समय लेगी ।

श्री संजीव रेड्डी : मैं इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दे सकता ।

श्री कन्डप्पन : इस में 10 वर्ष तो उन्होंने पहले ही लगा दिये हैं ।

श्री अलवारे : इस्पात संयंत्र के लिये मद्रास, मैसूर और आन्ध्र के बीच जो बड़ी तनातनी है इस को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि इसके लिये गोआ पर भी उचित विचार किया जायेगा ?

श्री संजीव रेड्डी : गोआ विचाराधीन है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न । इन दो प्रश्नों के कारण प्रश्नों का घन्टा बहुत रुचिकर बन गया है ।

ब्रनो अन्तर्राष्ट्रीय मेला

+

*120. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री ओंकारलाल बरवा :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री धवन :
श्री प्र० च० बरुआ :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री श्यामलाल सर्राफ :
श्री राम हरख यादव :
श्री बसवन्त :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत इस समय हो रहे ब्रनो (चैकोस्लोवाकिया) अन्तर्राष्ट्रीय मेले में भाग ले रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कुल कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है ; और

(ग) भारतीय उद्योग तथा व्यापार की कौन सी वस्तुएं इस मेले में प्रदर्शनार्थ रखी गई हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) लगभग 2,13,242 रु० का अनुमित खर्च होने की सम्भावना है जिसमें विदेशी मुद्रा का अंश 1,66,622 रु० होगा।

(ग) यह मेला इन्जीनियरी तथा धातु शोधन उद्योगों और चुने हुए कच्चे माल का एक विशिष्ट प्रदर्शन होगा। सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में प्रविधिक श्रेणियां और प्रदर्शनीय वस्तुओं की सूची दी गयी है। [पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०—3088/64]

श्री रामेश्वर टांटिया : क्या वहां विक्रय के लिये वस्तुएं रखी जायेंगी और, यदि हां, तो वे किस प्रकार की वस्तुएं होंगी ?

श्री मनुभाई शाह : मैं इस सम्बन्ध में पूरा विवरण दे चुका हूं।

श्री प्र० च० बरुआ : प्रदर्शनार्थ रखे गये भारतीय सामान में विदेशियों को सब से अधिक आकर्षित किस वस्तु ने किया। प्रदर्शनार्थ रखी गई भारतीय चाय के प्रति चैकोस्लावाकिया की रुचि किस सीमा तक पैदा हुई है और क्या इस बीच कोई 'आर्डर' प्राप्त किया गया है ?

श्री मनुभाई शाह : मैं बता चुका हूं कि यह विशिष्ट मेला है और विशेषीकृत इन्जीनियरिंग तथा धातुशोधन उत्पादों के प्रदर्शनार्थ आयोजित किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : क्या इस में चाय भी है ?

श्री मनुभाई शाह : चाय का पहले ही निर्यात किया जाता है —बड़ी मात्रा में।

श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या उद्योग प्रधान देशों द्वारा प्रदर्शनार्थ रखे गये इंजीनियरी सामान और खनन मशीनों का चुनाव करने के लिए एक विशेषज्ञ दल मेले में भेजा गया है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है ?

श्री मनुभाई शाह : मेले में एक विशेषज्ञ दल भेजा गया है क्योंकि पूर्व यूरोपीय देशों के साथ हमारे व्यापार में काफी वृद्धि हो रही है और हम उन देशों को अधिक मात्रा में निर्मित माल और इंजीनियरी सामान भेजना चाहते हैं। इस दृष्टि से विशेषज्ञ दल का ब्रनों में शामिल होना हमारे लिये लाभदायक सिद्ध होगा।

श्री श्यामलाल सर्राफ : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इंजीनियरी सामान तथा खनन मशीनों का चुनाव करने तथा उन्हें इस मेले से खरीदने लिये के वहां कोई विशेषज्ञ दल जा रहा है ?

श्री मनुभाई शाह : यह काम इस दल को नहीं सौंपा गया है। यह दल भारतीय सामान का चैकोस्लावाकिया को निर्यात करने की व्यवस्था करने के उद्देश्य से गया है।

श्री कपूर सिह : विवरण में दी गई 50 वस्तुओं में से ऐसे कितने औद्योगिक उत्पाद हैं जिन का पहले से चैकोस्लावाकिया को निर्यात नहीं किया जा रहा है?

श्री म भाई शाह : हो सकता है कि इन वस्तुवों के द्वारा ढाई करोड़ रुपये के मूल्य का माल निर्यात किया जाय। इन में से अधिकांश वस्तुओं का निर्यात किया जा रहा है।

श्री कपूर सिंह : इन 50 वस्तुओं में से कितनी वस्तुओं का चैकोस्लावाकिया को पहले निर्यात किया जा रहा है ?

श्री मनुभाई शाह : विवरण के भाग (क) में उल्लिखित वस्तुओं का सम्बन्ध है, उनमें से इस समय प्रायः कोई भी निर्यात नहीं की जा रही हैं। यही बात भाग (ख) पर भी लागू होती है। जहां तक भाग (ग) का संबंध है पंखे तथा सीने की मशीनों जैसी वस्तुओं का निर्यात किया जा रहा है और शेष वस्तुएं नई हैं। जहां तक भाग (घ) का सम्बन्ध है, चाय, काजू, नारियल जटा सामान, अभ्रक आदि वस्तुओं का पहले से ही निर्यात किया जा रहा है। ३६ से ५० तक के क्रम में दी गई वस्तुओं का तो पहले ही व्यापार चल रहा है।

डा० सरोजिनी महिषी : उन वस्तुओं का मूल्य कितना है जो न्यूयार्क अन्तर्राष्ट्रीय मेले में, जिसमें भारत ने भाग लिया था, न तो बेची जा सकी और न ही भारत वापिस लाई गईं और क्या सरकार वहां पर मेले में जो वस्तुएं नहीं बिकी हैं उन्हें भारत वापिस लायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न का पहला भाग मल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है और दूसरा भाग केवल एक सुझाव है।

Shri M. L. Dwivedi : The hon. Minister has said that only engienering goods and raw materials were to be exhibited there. May I know whether the items mentioned in part (d) like foods, cashed and tea, are also included in the definition of engineering goods and raw materials and; if not, why are the cultural items not being sent there?

Shri Manubhai Shah : The International conevention had two sections, one of which was called country pavilion

हमें यह दिखाना है कि भारत में क्या हो रहा है । हमारे पास केवल 50 वर्ग मीटर जगह है हम उसमें कुछ विशेष उत्पाद ही प्रदर्शनार्थ रख सकते हैं । सभी वस्तुओं के लिये तो वहां स्थान है नहीं । यह एक विशष मेला है जिसमें 90 प्रतिशत स्थान इंजीनियरी सामान रखने के लिये उपयोग में लाया गया है । इसी लिये प्रदर्शन के लिये अधिकतर इंजीनियरी सामान ही रखा गया है ।

Shri K. N. Tiwary: It is clear from the statement that no manufacturing goods has been sent there. Whether some country has sent a cheap tractor there; if so what is its cost and whether any steps are being taken to procure that tractor ?

Shri Manubhai Shah : A number of agricultural products, such as cashew, coir, jute, tobacco etc., are there in the fair.

Mr. Speaker : A number of agricultural products are there but the hon. Member wants to procure cheap tractor for agricultural production.

Shri Manubhai Shah : When we are importing tractors it is out of question to export them.

Shri K. N. Tiwary : I want to know the same thing whether there is any cheap tractor dislayed in the fair, and whether any steps are being taken to procure the same?

Mr. Speaker : It does not relate to this question.

श्री स० चं० सामन्त : क्या निर्यात संवर्द्धन समितियों के कुछ प्रतिनिधि इस मेले में वस्तुओं के प्रदर्शनार्थ भेजे गये हैं, और यदि हां, तो उन वस्तुओं के सम्बन्ध में क्या किया गया है जिनके लिये निर्यात संवर्द्धन समितियां नहीं हैं?

श्री मनुभाई शाह : अब मेला समाप्त होने वाला है । चैकोस्लावाकिया में यह मेला 6 सितम्बर से 20 सितम्बर, 1964 तक रहेगा । मेले की समाप्ति पर ही इसके परिणामों के बारे में सभा को बता सकता हूं । किन्तु इसके परिणाम स्पष्ट हैं । गत तीन वर्षों में हमने चैकोस्लावाकिया में अनेक मेलों में भाग लिया है । इस से हमरा व्यापार तिगुना हो गया है । हम आगामी तीन वर्षों में वर्तमान निर्यात को 17 करोड़ रुपय से बढ़ाकर 25 करोड़ रुपये हैं करना चाहते हैं ।

श्री वी० चं० शर्मा : क्या सरकार को पता है कि पाश्चात्य देशों में भारतीय साड़ियों तथा आकर्षक भारतीय पगड़ियों की बहुत मांग है और यदि हां, तो क्या विभिन्न प्रकार की साड़ियों और आकर्षक पगड़ियों को लोकप्रिय बनाने के लिये कोई कार्रवाई की जा रही है ? मैं जानना चाहता हूं कि श्रृंगार-सामग्री में क्या क्या वस्तुएं शामिल की गई हैं ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि साड़ियों तथा श्रृंगार सामग्रियों को भी प्रदर्शनीय वस्तुओं में शामिल किया गया है ?

श्री मनुभाई शाह : यह एक सुझाव है ।

डा० रानेन सेन : भारती हस्तशिल्प की विदेशों में बहुत प्रसंशा की जाती है । किन्तु विवरण में इन्हें उन वस्तुओं के साथ शामिल नहीं किया गया है जो मेले में प्रदर्शनार्थ भेजी गई हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि इसके क्या कारण हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने सभा को बताया है कि यह प्रदर्शनी मुख्यत: इंजीनियरी सामान के लिये आयोजित की गई है ।

डा० रानेन सेन : किन्तु भारतीय मंडप में और अनेक वस्तुएं हैं ।

श्री मनुभाई शाह : मैं बता चुका हू कि प्रदर्शनी प्राय: इंजीनियरी सामान के लिये आयोजित की गई है ।

श्री प्र० के० देव : कुछ वष पहले लाओस में हुई अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भारत के मंडप में कुछ पुस्तिकाओं और कुछ हस्तशिल्प की वस्तुओं के अतिरिक्त कुछ नहीं था वहां भारी मशीनों का प्रदर्शन नहीं किया गया जब कि उस देश को भारत द्वारा सामान का निर्यात करने की काफी गुंजाइश है । हमें पता चला है कि भारतीय निर्माता अपनी निर्मित मशीनों को तब तक भेजना नहीं चाहते जब तक कि उहें अग्रिम मल्य न मिल जाये ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को जिन बातों की जानकारी है उससे यहां पर कहने की आवश्यकता नहीं है । वह वही बात पूछ सकते हैं जिनकी उन्हें जानकारी नहीं है ।

श्री प्र० के० देव : विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में सरकार के तत्वावधान में प्रदर्शनार्थ जो निर्मित सामान भेजा जाता है क्या वह निर्माताओं द्वारा मुफ्त दिया जाता है अथवा व इस बात पर जोर देते हैं कि सरकार उसे खरीद कर प्रदर्शनार्थ विदेशों में भेजे ?

श्री मनुभाई शाह : यह विभिन्न देशों के रिवाज पर निर्भर करता है । माननीय सदस्य की जानकारी के लिये दो तीन उदाहरण देना चाहता हूं । पूर्वी यरोपीय देशों में यह धारणा है कि जो भी सामान प्रदर्शनार्थ रखा जाता है प्राय: वह सब बिक जाता है । किन्तु पश्चिमी यूरोपीय देशों और अमेरिका में एसा नहीं है । अत: हम कोई शर्त नहीं लगा सकते हैं । हम केवल भाग लेने वाले एक देश हैं । हमेशा यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि माल बिक ही जायगा; यहां के निर्यात करने वालों का, जो अपना सामान बेचना चाहते हैं । यह जोखिम उठाना होगा । निर्यात करने वाले सामान अपनी जिम्मेवारी पर ले जाते हैं, यदि सामान बिक जाता र तो उसका धन वसूल हो जाता है और यदि सामान न बिके तो वह वापिस आ जाता है । हमारा अनुभव यह है कि पश्चिमी यूरोपीय देशों में भी प्राय: सामान बिक ही जाता है ।

Shri Rameshwaranand : The hon. Minister stated that government intends to export various kinds of goods of the value of Rs. 30 crores. May I know the different kinds of goods that would be exported?

Shri Manubhai Shah : The required information is given in the list.

स्वामीनाथन समिति का प्रतिवेदन

\+

*121. श्री यशपाल सिंह :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री कपूर सिंह :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री रा० गि० दुबे :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री बवन :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री ओंकारलाल बेरवा :

क्या उद्योग तथा संभरण मंत्री 20 मार्च, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 691 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वामीनाथन समिति द्वारा उद्योगों के विकास के तरीकों के बारे में की गई सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी हां। सिफारिशें सिद्धान्त रूप में स्वीकर कर ली गई हैं।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—3089/64]

Shri Yashpal Singh: It had been strongly recommended that foreign exchange for industries should be speedily released. A number of industries have been held up to day due to shortage of foreign exchange. I want to know what action has been taken by Government in this regard?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : मुख्य उद्योगों के लिये विदेशी मुद्रा किस प्रकार नियत की जानी चाहिए इस विषय में विवरण में जानकारी दी गई है । मुख्य उद्योगों को पर्याप्त महत्व दिया गया है ।

Shri Yashpal Singh: It is nowhere mentioned in the Statement how foreign exchange will be arranged for the industries which have been held up.

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : मुख्य मुख्य उद्योगों के बारे में प्रतिवेदन में बताया गया है ।

1250 (Ai) LSD—3

उद्योग तथा संभरण मंत्री (श्री दासप्पा) : इस रिपोर्ट का सम्बन्ध मुख्यतया प्रक्रियाओं से है न कि विदेशी मुद्रा के नियतन से। यदि विदेशी मुद्रा उपलब्ध हो तो दे दी जाती है अन्यथा स्थिति के निरीक्षण पर निर्भर करता है। परन्तु मुख्य-मुख्य उद्योगों के बारे में मैं कह सकता हूं कि हम ने महत्वपूर्ण उद्योगों को गैर-महत्व के उद्योगों से अलग कर रखा है। मुख्य उद्योगों के बारे में दो बातें हैं : एक यह कि यथासम्भव शीघ्र और यदि सम्भव हो तो एक मास के अन्दर अन्दर उन की आवश्यकतायें पूरी की जायें दूसरी बात यह कि यथासम्भव शीघ्र उन के लिये विदेशी मुद्रा सुनिश्चित की जाय। इस तरह इन उद्योगों को संरक्षण किया जाता है।

Shri Yashpal Singh : What are the views of Government regarding the suggestions made by the Indian Chambers of Commerce and the recommendations of the Swaminathan Committee?

श्री दासप्पा : स्वामीनाथन समिति ने सभी बातों पर विचार किया है। सिफारिशों की प्रति मैं ने सभा पटल पर रखी है।

श्री कपूर सिंह : विवरण में बताया गया है कि एक 'समन्वय तथा लाईसेंसिग प्रगति शाखा' बनाई गई है जो फरवरी, 1964 से काम कर रही है। मैं जानना चाहता हूं कि इस शाखा के विरुद्ध शिकायतों की सुनवाई के लिये हमें क्या करना चाहिए?

श्री दासप्पा : आप उस की चर्चा यहां कर सकते हैं।

श्री कपूर सिंह : क्या मैं सभा में एक विशेष मामला उठा सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री चाहते हैं कि इस विषय में आप उन्हें मिलें।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : स्वामीनाथन समिति ने इसी कर्मचारी वर्ग की जिस समिति के नियुक्त करने का सुझाव दिया था क्या उस के पुनर्गठन के लिये समय सूची के सिलसिले में सरकार ने निर्णय किया है और क्या सरकार का विचार औद्योगिक विकास प्रक्रियाओं संबंधी समिति स्थायी तौर पर नियुक्त करने का है जो प्रक्रियाओं और विकास आदि का पुनर्विलोकन करती रहे।

श्री विभुचन्द्र मिश्र : समिति की सिफारिश है कि पुनर्विलोकन के लिये प्रति वर्ष एक समिति नियुक्त की जाय। इसे 10-6-64 को स्वीकार कर लिया गया था। इस लिये हम एक वर्ष पश्चात् समिति नियुक्त करेंगे।

श्री स० मो० बनर्जी : विवरण से पता चलता है कि समन्वय तथा लाईसेंसिग प्रगति शाखा स्थापित की गयी है। इस विशेष विभाग में लाईसेंस देने के बारे में जो गड़बड़ हुई थी क्या स्वामीनाथन समिति ने उस मामले पर भी विचार किया और क्या वही व्यक्ति जो इस विभाग के सचिव थे लाईसेंसिंग समिति प्रधान रहेंगे? यदि इस बारे में विचार किया गया था तो उस का परिणाम क्या निकला और उस विषय में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

श्री दासप्पा : इस विशेष मामले में हमें कोई साक्ष्य नहीं मिला था।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरे प्रश्न के दूसरी भाग का मंत्री महोदय उत्तर नहीं दे रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि विभाग के सचिव लाईसेंसिंग समिति के प्रधान भी हैं। वह एक अन्य समिति के प्रधान भी हैं।

श्री दासप्पा : मैं नहीं समझ सका कि कौन से सचिव बहुत सी समितियों के सदस्य हैं ?

श्री स० मो० बनर्जी : श्री रंगानाथन विभाग के सचिव हैं और लाईसेंसिंग समिति के सभापति भी । मैं जनना चाहता हू . . .

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति ।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख : समाचारपत्रों में इस बारे में बहुत सी खबरें छपी हैं कि औद्योगिक आवेदन-पत्रों के साथ बहुत ज्यादा कागजात लगाने पड़ते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि समिति ने इस सिलसिले में क्या सिफ़ारिश की है ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : स्वामीनाथन समिति के प्रतिवेदन के साथ साधारण प्रक्रिया वाला लाईसेंस फार्म लगाया गया है जिस को माननीय मंत्री देख सकते हैं ।

श्री रामेश्वर टांटिया : बोनस आयोग के प्रतिवेदन को कार्यान्वित करने के परिणाम स्वरूप उत्पादन की लागत अत्यधिक बढ़ जाने के बारे में भी क्या प्रतिवेदन में कुछ कहा गया है और यदि हां, तो उत्पादन लगात को कम करने के विषय में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री दासप्पा : यह प्रश्न अप्रांसगिक है ।

Shri Vishwa Nath Pandey. Has the Swaminathan Committee recommended that industries should be developed on cooperative lines and if so, whether Government are taking any step in that regard?

The Minister of Heavy Engineering in the Ministry of Industry and Supply (Shri T.N. Singh) The Swaminathan Committee was appointed for the specific object of procedure. It had nothing to do with cooperation.

श्रीमती सावित्री निगम : यह कहा गया है कि फालतू पुर्जों के लिये आयात लाईसेंस बहुत शीघ्र दे दिये जाने चाहिएं । आयात लाईसेंस के लिये कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए और गत दो महीनों में उनमें से कितनों को निबटाया गया ?

श्री दासप्पा : इस बारे में आंकड़ मेरे पास नहीं हैं ।

Shri M.L. Dwivedi. It is evident from the Statement that Government have considered only 11 recommendations of the Committee and no reply has been given regarding so many other important ones. Why such important recommendations were kept secret and why was the whole report not accepted?

श्री दासप्पा : किसी सिफारिश के बारे में उत्तर न देने का प्रयास नहीं किया गया । हमने सिद्धान्त रूप से सब कुछ स्वीकार किया है और जो बात महत्वपूर्ण एवं सुसंगत थी उसका उत्तर दिया गया है । तथापि, समूचा प्रतिवेदन सभा के समक्ष है और कोई भी माननीय सदस्य उस की ओर निर्देश कर सकता है ।

श्री बाजी : पहले शिकायत यह थी कि लाईसेंस जारी किये जाने से पूर्व 76 औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ता है । यह कहा गया है कि अब उन में कमी कर दी

गयी है। मैं जानना चाहता हूं कि अब कितनी औपचारिकतायें पूरी करनी पड़ती हैं? मैं यह और जानना चाहता हूं कि अब कौन सी समय-सूची निर्धारित की गयी है?

श्री दासप्पा : जहां तक मुख्य-मुख्य उद्योगों का सम्बन्ध है एक मास का समय रखा गया है। शेष मामलों में तीन मास का समय हैं। हम प्रयत्न कर रहे हैं कि इसी समय सूची के अनुसार काम हो। जहां तक फार्मों की सख्या का सम्बन्ध है औद्योगिक लाइसेंसों, पूंजीगत वस्तुओं के आयात आदि के लिये सिफारिश की गयी है कि इनके लिये आवेदन-पत्र साधारण प्रकार के होने चाहियें।

श्री श्यामलाल सर्राफ : समिति को मालूम हो गया था कि देशी एवं आयात किये गये कच्चे माल की, विशेषकर इंजीनियरी उद्योग में, कुछ कमी है तो यह सुनिश्चित करने के लिये कि कच्चा माल बराबर मिलता रहे और कुछ मामलों में वितरण व्यवस्था में जो कमियां पाईं गईं वह भी दूर हो जायें इस बीच में क्या कदम उठाये गये हैं?

श्री दासप्पा : हम सभी मत्रालयों से सम्पर्क रखते हैं। लाईसेंस के लिये आवेदन-पत्रों के साथ साथ हम यह भी मालूम कर लेते हैं कि किन वस्तुओं का आयात किया जाना है, कितनी विदेशी मुद्रा आवश्यक है, आदि। इद सब बातों को साथ साथ ही देख लिया जाता है ताकि पहले जो लम्बी प्रक्रिया थी वह न रहे।

मोटर गाड़ी उद्योग

+

*122. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री प्र० के० देव :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रामनाथन चेट्टियार :

क्या **उद्योग तथा संभरण मंत्री** 29 मई, 1964 के तारांकित प्रश्न सख्या 54 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कुशलतापूर्ण और सस्ते उत्पादन के लिए क्षमता संग्रहीत करने के बारे में मोटर गाड़ी उद्योग की क्या प्रतिक्रिया रही है; और

(ख) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया एवम् योजना है?

उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) और (ख). कम लागत पर कुशलतापूर्वक उत्पादन करने के सुझावों के उत्तर-स्वरूप तीन यात्री कारों के निर्माताओं से सुझाव प्राप्त हुए हैं जिनकी जांच की जा रही है लकिन मूलतः उनके सुझाव बहुत उसाहवर्द्धक नहीं हैं।

डा लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मन्त्री महोदय से हम यह जानना चाहते हैं कि छोटी कार परियोजना का क्या बना? क्या इसे अन्तिम रूप में त्याग दिया गया है अथवा इसे समय समय पर पुनः आरम्भ कर लिया जायेगा?

श्री त्रि० ना० सिंह : इस प्रश्न में तीन कार निर्माताओं की बात थी और उसे इस प्रश्न में निपटा दिया गया है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : श्रीमान् जी आपको याद होगा कि श्री सुब्रह्मण्यम् इस प्रश्न का उत्तर दे रहे थे उन्होंने इस प्रश्न को छोटी कार परियोजना के साथ सम्बद्ध करने की अनुमति दे दी थी। आखिरकार उद्देश्य तो यही है कि देश के सभी साधन एकत्रित किये जायें और छोटी कार का निर्माण किया जाय जिसका प्रयोग सारे देश में हो।

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता, माननीय सदस्य दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी: देश में कारों और गाड़ियों के निर्माण की सारी क्षमता को इकट्ठी करने की दिशा में सभी प्रस्थापनाओं के विचार को अन्तिम रूप देने में कितना समय लगेगा। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार देश की कुछ निर्माण करने वाली सार्थों को आयात लाइसेंस की सुविधायें देंगे जिन्हें कि कुछ विदेशी सार्थों ने दुहार देना माना है ?

श्री त्रि०ना० सिंह : विभिन्न सार्थों ने जो इस सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं उनके बारे में मैं सदन को विश्वास में लेना चाहता हूं। उसके सम्बन्ध में दो विकल्प निर्माताओं के समक्ष है। एक यह कि सभी निर्माण सुविधाओं को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाय और एक प्रकार की कार निर्माण की जाय। अधिक से अधिक दो तरह की कारों का निर्माण हो जाय। परन्तु इस बात को किसी ने पसन्द नहीं किया। दूसरा विकल्प यह था कि वर्तमान निर्माताओं में से कुछ को कुछ तथ्यों को दृष्टि में रख कर चुना जाय। इसकी प्रतिक्रिया भी सन्तोषजनक नहीं रही है। प्रत्येक निर्माता अपनी अपनी कार निर्माण करना चाहता था, जिससे मामला सामूहिक रूप से असन्तोषजनक ही है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : यह मेरे प्रथम प्रश्न का उत्तर है।

श्री त्रि० ना० सिंह : जब से मैंने उत्तरदायित्व सम्भाला है मैं इस मामले का अध्ययन कर रहा हूं और जब भी मैं इस मामले में किसी परिणाम पर पहुंच जाऊंगा अपना वक्तव्य सदन के समक्ष प्रस्तुत करूंगा।

श्री प्र० के० देव : जब तक यह कम्बख्त अम्बैसेडर कारें १८,००० रुपये में बिकेंगी तब तक स्पष्ट है प्रतिक्रिया... (अन्तर्बाधायें)

अध्यक्ष महोदय : क्या इस विशेषण से कार की किस्म में सुधार हो जायेगा ?

श्री प्र० के० देव : शायद हो जाय।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री प्र० के० देव : जब उन्हें पता है कि अच्छे उत्पादन के लिए साधन एकत्रित करने का उत्तर उत्साहजनक नहीं तो उपभोक्ताओं के प्रयोग के लिए देश में सस्ती कारों के निर्माण की दृष्टि से साधन इकट्ठे करने के बारे में सरकार की विशेष रूप से प्रस्थापनायें क्या हैं ?

श्री त्रि० ना० सिंह : हम विचार कर रहे हैं कि वर्तमान हालत के अनुसार हमें क्या कार्यवाही करनी चाहिए। स्थिति यह है कि आज के उत्पादन दर और उत्पादन की मात्रा दोनों ही महगे हैं। हमने सारी समस्या को समझ लिया है और जो भी सम्भव होगा हम इस दिशा में कार्यवाही कर सकेंगे। (अन्तर्बाधायें)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने सदन के विचार देखे होंगे । सदन इस बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने का इच्छुक है ।

श्री भागवत झा आजाद : दिये जाने वाले आश्वासन बहुत पुराने है ।

श्री प्र० चं० बरुआ : भूतपूर्व मन्त्री महोदय ने सदन में कहा था कि कीमत लगभग आधी हो जायेगी । क्या अब सरकार की सारी आशायें इस दिशा में समाप्त हो गयी हैं कि कार का मूल्य कम होगा, क्योंकि इस तरह की बात हाल ही में मन्त्री महोदय ने अखबार वालों से कही है । क्या इस दिशा में कुछ अध्ययन किया गया है और अब अन्तिम रूप में मान लिया है कि कीमतें नहीं कम हो सकतीं ।

श्री त्रि० ना० सिंह: मैं इस शिकायत के प्रति सचेत हूं और मेरे विचार में यह उचित भी है । हम इसका पूर्ण परीक्षण करेंगे । इन कारों की कीमत बहुत ज्यादा है और इस बात की आवश्यकता है कि इसका परीक्षण किया जाय । परन्तु एक बात यह समझ लेना चाहिए कि यह गैर-सरकारी क्षेत्र है । और कीमतों का निर्णय एक निर्धारित सूत्र के अनुसार है । यह व्यय और उसमें कुछ जमा करके है । मैं सारे मामले का परीक्षण करूंगा ।

श्री रामनाथन चेट्टियार : जब कार के ३ निर्माताओं के लिए काफी विदेशी विनिमय की व्यवस्था की गयी है फिर भी क्या कारण है कि उत्पादन १९६२-६३ में २२,००० से कम होकर १५,००० हो गया है ।

श्री त्रि० ना० सिंह : १९६३ में कारों का उत्पादन १५,००० है । यह विदेशी विनिमय की कमी के कारण है ।

श्री रामनाथन चेट्टियार : मेरा प्रश्न है कि विदेशी विनिमय की काफी व्यवस्था होने के बाद भी उत्पादन कम क्यों हुआ ।

श्री त्रि० ना० सिंह: मुझे मामले का परीक्षण करना होगा ।

श्री जोकीम आल्वा : क्या माननीय मन्त्री को इस बात का पता है कि हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्टरी, जो कि हमारे लिए विमान निर्माण करती है कोई ५००० रुपये के मूल्य की कार निर्माण कर रही है, जो कि भारतीय मण्डी में सबसे अच्छी कार होगी, क्या सरकार ने इस प्रस्थापना पर विचार किया है ? दूसरे, क्या सरकार को इस बात का पता है कि ३६० लाख डालर का ऋण अमरीकी सरकार ने तीन भारतीय कार निर्माताओं को दिया है । और तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कारों की संख्या १,००,००० हो जायेगी । क्या सरकार को मूर्ख बनाया जायेगा और उपभोक्ताओं को हानि पहुंचाई जायेगी ?

श्री त्रि० ना० सिंह : मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार की इच्छा किसी से मूर्ख बनने की नहीं है ।

श्री भागवत झा आजाद : और आज तक जो आप करते आये हैं । (अन्तर्बाधायें)

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री त्रि० ना० सिंह : मामला बहुत जटिल है, क्योंकि बहुत तरह की कारों को देश में निर्माण करने की अनुमति दे दी गयी है ।

श्री वाजी : गैर सरकारी क्षेत्र की तीनों सार्थों को समाप्त क्यों नहीं कर दिया जाता ।

श्री त्रि० ना० सिंह : इस सुझाव पर मैं विचार करने को तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति, एक साथ सभी माननीय सदस्यों को नहीं बोलना चाहिए। मैं जोश को खूब समझता हूं।

श्री म० ला० द्विवेदी : जनता की भावनाओं को कैसे व्यक्त किया जा सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : सभी को समय मिलेगा, और अपनी बारी पर वे जनता की भावना को व्यक्त कर सकते हैं।

श्री वी० चं० शर्मा : क्या मन्त्री महोदय इस प्रश्न का भी परीक्षण करेंगे कि कारों को सरकारी क्षेत्र में निर्माण करने का कार्य क्यों नहीं किया जा रहा ?

श्री त्रि० ना० सिंह : बिल्कुल।

श्री भागवत झा आजाद: कई मन्त्रियों ने आश्वासन दिये और कई तरह के वायदे किये। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार कितनी देर इस बात की प्रतीक्षा करती रहेगी कि वे तीन निर्माता ठीक हो जायें, और अपनी परियोजना तुरन्त आरम्भ कर देगी ? सरकार की इच्छा क्या है ?

श्री त्रि० ना० सिंह : मुझे खेद है कि किसी मन्त्री ने गलत आश्वासन दे दिये।

श्री भागवत झा आजाद : सदन का सदस्य होने अथवा योजना आयोग के सदस्य होने में थोड़ा अन्तर है। माननीय मन्त्री को हमें उपदेश नहीं देने चाहिएं। (अन्तर्बाधाएं)।

श्री तिरुमल राव : क्योंकि माननीय मन्त्री नये हैं, अतः पुराने मन्त्रियों को उत्तर देने को कहा जाना चाहिए।

उद्योग तथा सम्भरण मंत्री (श्री दासप्पा): मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रश्न क्या चल रहा है ? (अन्तर्बाधाएं)

श्री भागवत झा आजाद : आपने मुझ एक प्रश्न की ही अनुमति दी है। माननीय मन्त्री महोदय को इसका पता लगना चाहिए।

Shri Bagri : Sir, this is my point of order . . .

Mr. Speaker: Please take your seat.

Shri Bagri : My point of order is that inspite of your ruling that Minister should reply to the question at some cooler moment, this is a disgrace to the House if he states that he does not know the question.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: He is thinking of his home while sitting here.

श्री स० मो० बनर्जी : सब कुछ सुनने के बाद मन्त्री महोदय यह कह रहे हैं कि प्रश्न क्या है। जैसे सारी रामायण सुनने के बाद यह कहा जाय कि सीता किस की मां थी।

अध्यक्ष महोदय : क्या इसका उत्तर मैं दूं ?

श्री स० मो० बनर्जी : क्या मन्त्री महोदय का ऐसा कहना उचित है। क्या उन्होंने सदन का मजाक नहीं उड़ाया ?

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि यह दुर्भाग्य की बात है कि मन्त्री जी ने ऐसा कहा. . .

श्री नाथ पाई : क्या सारहीन बातें हैं !

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी हो हमने काफी देर से इस पर चर्चा की है। इतने अनुपूरक प्रश्नों के बाद मन्त्री महोदय को केवल यह पूछना चाहिए था कि उसे किस अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देना है।

श्री वासप्पा : मेरा मतलब अनुपूरक प्रश्न से ही था।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया उनसे यह मतलब नहीं निकलता था। उससे तो यही अर्थ निकलता था कि उन्हें यह पता ही नहीं कि हम कौन सा प्रश्न ले रहे हैं, यद्यपि हम उस पर अपना काफी समय लगा चुके हैं।

श्री वासप्पा : यदि यह मतलब लिया गया है तो मुझे इस पर खेद है। मेरी कठिनाई यह थी कि मैं यह जानना चाहता था कि मुझे कौन से अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देना है।

श्री भागवत झा आजाद : श्रीमान् जी, आपने केवल एक ही अनुपूरक की अनुमति दी थी अन्य अनुपूरकों का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री वासप्पा : यदि श्री आजाद का अनुपूरक है तो मेरे मित्र उसका उत्तर देंगे, परन्तु और भी अनुपूरक प्रश्न किये जा रहे थे, अतः मैंने पूछ लिया कि कौनसा प्रश्न चल रहा है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नों का घंटा समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

बोकारो इस्पात कारखाना

*123. **श्री विश्राम प्रसाद** :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डा० सारादीश राय :
डा० रानेन सेन :
श्री स० मो० बनर्जी
श्री दी० चं० शर्मा
श्री यशपाल सिंह :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री प्र० चं० बरुआ :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

श्री हेमराज :
श्री सोलंकी :
श्री कपूर सिंह :
श्री बूटा सिंह :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री राम हरख यादव :
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री दलजीत सिंह :
श्री कर्णी सिंहजी :
श्री प्र० के० देव :
श्री फ० गो० सेन :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री बे० ना० कुरील :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय
श्री हेम बरुआ :

क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे **कि** :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बोकारो इस्पात कारखाने की स्थापना में मदद करने के बारे में रूस सरकार से बातचीत की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला और इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख). इस वर्ष मई में बोकारो इस्पात कारखाने के लिए सहायता देने के बारे में रूस सरकार की घोषणा के पश्चात् रूस सरकार के साथ सहायता के क्षेत्र के बारे में बातचीत की गई हैं । विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तथा उस पर हमारी तकनीकी समिति की रिपोर्ट की प्रतियां उन्हें भेजी गईं । जुलाई के मध्य में इस्पात विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक टीम रूस गई । टीम के दौरे का मुख्य उद्देश्य सोवियत सरकार को इस प्रायोजना को अग्रता के आधार पर पूरी करने के बारे में हमारी इच्छा को व्यक्त करना था, और इस उद्देश्य के अनुसार एक समय अनुसूची तैयार करना था । टीम ने विदेशी आर्थिक मामलों सम्बन्धी राज्य समिति, लोहा और इस्पात उद्योग की राज्य समिति, सोवियत व्यापार संगठन टयाजप्रोम-एक्सपोर्ट, धातुकार्मिक सन्यन्त्रों के सोवियत केन्द्रीय रूपांकन संस्थान, जिप्रोमेज, के साथ विचार विमर्श किया ।

सोवियत सरकार ने प्रायोजना को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने की हमारी उत्सुकता को माना और अब सोवियत विशेषज्ञों का एक दल अधिक छानबीन करने के लिए तथा तकनीकी मामलों पर विस्तार से विचार-विमर्श करने के लिए यहां आया हुआ है । यह दल आजकल विभिन्न इस्पात कारखानों का दौरा कर रहा है और खनिज खानों और खदानों तथा सन्यन्त्र स्थल का कार्यस्थल पर अध्ययन कर रहा है । यह दल लौह खनिज, कोयला, बिजली और पानी की सप्लाई से सम्बन्धित मामलों पर राष्ट्रीय खनिज विकास कारपोरेशन, राष्ट्रीय कोयला विकास कारपोरेशन,

दामोदर घाटी कारपोरेशन इत्यादि से भी विचार विमर्श करेगा। इस अध्ययन और तकनीकी अफसरों के साथ और विचार विमर्श करने के पश्चात्, जिसके इस मास में पूर्ण होने की आशा है, सोवियत विशेषज्ञों का यह दल अपनी सरकार को एक रिपोर्ट देगा जिसके पश्चात् रूस सरकार के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

इस्पात परियोजनाएं

*124. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री शशिरंजन :
डा० रानेन सेन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
डा० सारादीश राय :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :
श्री बै० ना० कुरील :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी तथा ब्रिटिश प्राइवेट फर्मों के अन्तर्राष्ट्रीय "कन्सारटियम" ने इस देश में निकट भविष्य में स्थापित किये जाने वाले इस्पात कारखानों में रुचि दिखाई है और उसने इस बारे में पहले से ही भारत सरकार को अपने प्रस्ताव पेश कर दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो "कन्सारटियम" ने किस प्रकार की सहायता देने का प्रस्ताव किया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) और (ख). एक अन्तर्राष्ट्रीय "कन्सारटियम" ने भारत में इस्पात कारखाने लगाने में रुचि दिखाई है। इस "कन्सारटियम" के सदस्य अक्तूबर में भारत आने वाले हैं और उस समय ठोस प्रस्ताव पेश किये जाने की सम्भावना है।

बोनैगढ़ (उड़ीसा) में इस्पात कारखाना

*125. श्री हेम बरुआ :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री प्र० के० देव :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बोनैगढ़ (उड़ीसा) में एक इस्पात कारखाना स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या इस परियोजना के लिये विदेशी सहायता स्वीकार की गई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग). जी, नहीं, लेकिन लोहा बनाने वाली कुछ इकाइयां लगाने के लिए, जिन्हें बाद में इस्पात कारखानों में बदला जा सके, कई क्षेत्रों के, जिनमें बोनैगढ़ भी सम्मिलित है, दो व्यवहार्यता अध्ययन किए जा रहे हैं। स्थानों के बारे में निर्णय व्यवहार्यता प्रतिवेदनों के मिलने के पश्चात् किया जा सकता है । प्रतिवेदनों के जून, 1965 तक मिलने की आशा है । विदेशी सहयोग और अन्य मामलों के बारे में अभी विचार करना समयपूर्व है।

सीमेंट का मूल्य

*126. श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री कोल्ला वेंकैया :

क्या उद्योग तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सरकार द्वारा सीमेंट के मूल्य बढ़ा दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने ; और

(ग) मूल्य बढ़ाये जाने के कारण क्या हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) एफ० ओ० आर० निर्दिष्ठ स्थान के मूल्य में 1 जुलाई, 1964 से 2 रु० प्रति मीट्रिक टन की बढ़ोतरी कर दी गई है ।

(ग) सीमेन्ट उत्पादकों को कारखाने के द्वार पर सीमेन्ट के मूल्य को बढ़ाने की अनुमति देने के कारण और भाड़े की दर में वृद्धि होने के कारण सीमेन्ट के मूल्य में बढ़ोतरी कर दी गई है । खान स्थल पर कोयले, बिजली और रेल-भाड़े इत्यादि में वृद्धि होने के कारण ही कारखाने के द्वार पर कोयले के मूल्य में बढ़ोतरी करनी पड़ी है ।

सरकारी क्षेत्र में इस्पात संयंत्र

*127. श्री स० चं० सामन्त :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में उनकी पूर्ण क्षमता के अनुसार उत्पादन हो रहा है ;

(ख) यदि नहीं, तो ऐसे किन किन संयंत्रों में उन की क्षमता से कम उत्पादन हो रहा है तथा उस कमी की सीमा क्या है और इस कमी के कारण क्या हैं ; और

(ग) उन संयंत्रों में उन की पूर्ण क्षमता के अनुसार उत्पादन हो इसके लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग). चालू वर्ष में भिलाई इस्पात कारखाने में निर्धारित क्षमता से अधिक उत्पादन हो रहा है और दुर्गापुर इस्पात कारखाने का उत्पादन निर्धारित क्षमता के बहुत निकट है। राउरकेला इस्पात कारखाने में इस्पात पिण्ड-क्षमता के लगभग 79 प्रतिशत तक और विक्रेय इस्पात क्षमता के 77 प्रतिशत तक उत्पादन हुआ। उत्पादन में कमी मुख्यतः जनवरी से जुलाई 1964 तक रीलाइनिंग के लिए धमन भट्टी नं० 1 को बन्द करने तथा मार्च 1964 के उत्तरार्द्ध में सिविल उपद्रवों से विस्थापन होने के कारण हुई। अगस्त 1964 से तीनों धमन भट्टियां काम कर रही हैं और उत्पादन पुनः बढ़ने लगा है। ऐसा सोचने के लिए कोई कारण नहीं है कि पूर्ण उत्पादन शीघ्र ही प्राप्त नहीं होगा।

मैंगनीज अयस्क का निर्यात

*128. **श्री नम्बियार** :
डा० सारादीश राय :
श्री प० कुन्हन :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री लक्ष्मी दास :
श्री इम्बीचिबावा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने मैंगनीज़ अयस्क के निर्यात के सिलसिले में वर्तमान वस्तु विनिमय व्यापार पद्धति को समाप्त कर देने का निश्चय किया है ;

(ख) क्या गैर-सरकारी निर्यातकर्ताओं को आवश्यक तौर पर निगम के द्वारा नहीं वरन् सीधे ही अयस्क निर्यात करने की अनुमति दी जायेगी ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसा निर्णय किये जाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) 1 जनवरी, 1965 से मैंगनीज़ अयस्क का निर्यात वस्तुविनिमय के आधार पर खनिज तथा धातु व्यापार निगम सीधे अपने हाथ में ले लेगा और वह प्रायवेट पार्टियों के माध्यम से नहीं किया जायगा, जैसाकि इस समय हो रहा है।

(ख) जी, हां। जहाजी व्यापारी तथा खान मालिकों द्वारा मैंगनीज़ अयस्क के निर्बाध निर्यात की वर्तमान नीति को चालू रखने का सरकार का विचार है।

(ग) वस्तु-विनिमय के व्यापार को नियंत्रित दशाओं के अन्तर्गत करने की आवश्यकता होती है। वस्तु-विनिमय के अधीन होने वाले मैंगनीज़ अयस्क का निर्यात खनिज तथा वस्तु व्यापार निगम की ओर से काम करने वाले बीच के व्यापारियों के माध्यम से न कर के खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा सीधे ही किया जायेगा।

मिल के बने कपड़े के मूल्य

*129. श्री वी० चं० शर्मा :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री प्र० चं० बरुग्रा :
श्री बड़े :
श्री यशपाल सिंह :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री दे० जी० नायक :
श्री कजरोलकर :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री प्र० के० देव :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूती कपड़ा परामर्शदाता बोर्ड ने सरकार से सिफारिश की है कि मिल के बने लोकप्रिय किस्म के कपड़े के उत्पादन और मूल्यों पर संविहित नियंत्रण लागू किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस सुझाव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार सिफारिशों पर तत्परता से विचार कर रही है ।

अमरीका के साथ व्यापार

*130. +श्री प्र० चं० बरुग्रा :
श्री हेम राज :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह इस वर्ष जून में अमरीकी सरकार के पदाधिकारियों के साथ व्यापार संबंधी बातचीत करने के लिए वाशिंगटन गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उन के साथ किन विशिष्ट मामलों पर बातचीत की गई थी ; और

(ग) इस बातचीत का क्या परिणाम निकला ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). मैं ने जून 1964 में सं० रा० अमरीका का दौरा किया था। अनेक मामलों के सम्बन्ध में बातचीत की गई थी, जिसमें (1) व्यापार तथा विकास सम्बन्धी राष्ट्र संघ के सम्मेलन के बारे में राष्ट्रसंघीय अधिकारियों के साथ बात करना (2) सं० रा० अमरीका अधिकारियों तथा आयातकों के संगठन के साथ हमारे कपड़ा, काजू, गरम मसाले, मछली तथा समुद्री खाद्य, खनिज मैंगनीज, हथकरघा के वस्त्र, दस्तकारियां, अभ्रक, इंजीनियरी का माल, निर्मित माल आदि के निर्यात व्यापार के बारे में बात करना (3) अमरीकी अधिकारियों से पी–एल 480 के अधीन रुई, सोयाबीन के तेल तथा दवा के आयात सम्बन्धी बात करना और (4) न्यूयार्क मेले में अपने मंडप का निरीक्षण करना शामिल है।

Travel Concession to Railway Employees

*131. **Shri Bagri.** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether any decision has been taken by Government to implement the recommendation of the Pay Commission regarding travel concessions to the Railway employees ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) and (b). Presumably the Member is referring to Second Pay Commission's recommendation for curtailment in the existing number of free passes and privilege ticket orders admissible to Railway servants. It may be explained that the views of the two Labour Federations dealing with the Ministry of Railways had to be obtained. Both Federations strongly represented against any curtailment in the existing concessions. The practice obtaining in this respect on Railways in other countries has also been ascertained. In the light of information obtained and having regard to travel concessions allowed by other transport organisations also (like airline companies and shipping companies), the matter is under consideration.

गोआ–हास्पेट और बेलाडिल्ला–विशाखापटनम् क्षेत्रों में इस्पात संयंत्र

श्री विद्या चरण शुक्ल :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री भीं० प्र० यादव :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री धवन :
श्री दीं० चं० शर्मा :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सोलंकी :
*132. श्री ईश्वर रेड्डी :

श्री अ० सिं० सहगल :
श्री बासप्पा :
श्री प्र० के० देव :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री कजरोलकर :
श्री रा० बरुआ :
श्री मि० सू० मूर्ति :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री राम हरख यादव :
श्री बसवन्त :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री टे० सुब्रह्मण्यम :

क्या इस्पात और खान मंत्री 1 जून, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 44 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ-हास्पेट और बेलाडिल्ला-विशाखापटनम् क्षेत्रों में एक इस्पात संयं स्थापन करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिये नियुक्त की गयी तकनीकी समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) सामान्यतः समिति हास्पेट में कारखाना स्थापित करने के पक्ष में है वह बैलाडिल्ला-विशाखापटनम् क्षेत्र तथा गोवा को भी उपयुक्त एवं और अधिक के योग्य समझती है ।

विश्व व्यापार सम्मेलन

*133. श्री हेम राज :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री प्र० के० देव :
श्रीमती रेणुका राय :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में जेनेवा में हुए विश्व व्यापार सम्मेलन का अन्तिम परिणाम क्या निकला ;

(ख) विकसित देशों ने अपने साथ अल्प विकसित देशों का व्यापार बढ़ाने के लिये किस हद तक सहायता देना स्वीकार किया है और किन शर्तों पर ; और

(ग) इस से सभी पश्चिमी देशों और यूरोपीय साझा बाजार के देशों के साथ भारत के निर्यात व्यापार को कहां तक सहायता मिलेगी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) व्यापार और विकास सम्बन्धी राष्ट्र संघीय सम्मेलन में गये भारतीय शिष्टमंडल की रिपोर्ट सदन की मेज पर 7 सितम्बर, 1964 को ही रखी जा चुकी है ।

(ख) और (ग). यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ई० ई० सी०) तथा अन्य विकसित देशों ने विकासोन्मुख देशों के निर्यात में वृद्धि करने और उन के आर्थिक विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में तत्काल सहायता की आवश्यकता के सम्बन्ध में जागरूकता दिखाई है और इस लक्ष्य को पूरा करने के सम्बन्ध में उपयुक्त उपाय करने के लिये वे राजी हो गये हैं । किन्तु विकासोन्मुख देशों की व्यापार सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये, व्यापार तथा विकास के राष्ट्रसंघीय सम्मेलन तथा व्यापार और विकास बोर्ड, सम्मेलन के वर्तमान प्रशासन को अन्तर्राष्ट्रीय कार्यवाही के लिए ठोस कार्यक्रम तैयार करने पड़ेंगे । इसलिए,इन वार्ताओं से भारतीय निर्यातों को किस सीमा तक लाभ पहुंचेगा, उसका अभी इतनी जल्दी अनुमान लगाना सम्भव नहीं है ।

द्वितीय ढलाई-गढ़ाई कारखाना

*134. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री म० र० कृष्ण :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री बै० ना० कुरील :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या उद्योग तथा संभरण मंत्री 14 फरवरी, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 93 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय ढलाई-गढ़ाई कारखाना स्थापित करने के प्रश्न पर इस बीच अन्तिम रूप से विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) इस कारखाने की प्रायोजना की विस्तृत रिपोर्ट अभी तैयार की जा रही है ।

सीमेन्ट का आयात

*135. { श्री सं० ब० पाटिल :
श्री बासप्पा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय : }

क्या उद्योग तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में सीमेंट की भारी कमी को दूर करने के लिये इसका आयात करने का बिचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो कितना सीमेंट आयात किया जायेगा और किन किन देशों से ; और

(ग) देश का वार्षिक उत्पादन तथा मांग कितनी है ?

उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख). कुछ सीमेंट आयात करने का एक सुझाव अब सरकार के विचाराधीन है ।

(ग) 1963-64 के वर्ष में देश में 1,10,75,000 मीट्रिक टन सीमेंट की अनुमानित मांग के विरुद्ध 90,42,000 मीट्रिक टन सीमेंट का उत्पादन हुआ ।

आन्ध्र प्रदेश में तम्बाकू का स्टाक

*136. { श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री अ० व० राघवन :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री लक्ष्मी दास :
श्री प० कुन्हन :
श्री नम्बियार :
श्री इम्बीचिबावा :
डा० सारादीश राय : }

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष आन्ध्र प्रदेश में तम्बाकू का भारी स्टाक जमा हो गया

1250 (Ai) LSD4.

है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) जमा स्टाक का निपटारा करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) और (ख). थोड़ा सा स्टाक निम्न कारणों से जमा हो गया था :—

(1) इस वर्ष भारत में धूम्र शोधित वर्जीनिया तम्बाकू के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि होना ।

(2) विदेशी बाजारों में उच्च श्रेणी के तम्बाकू की मांग घट जाना ।

(3) कुछ देशों की मांग का गत वर्षों की तुलना में कम हो जाना ।

(ग) वर्तमान फसल के जमा हुए स्टाक को खपाने की समस्याओं की जांच करने तथा उन्हें हल करने के हेतु सरकार को दीर्घावधि तथा लघु अवधि के उपायों को सिफारिशें करने के लिये एक तदर्थ समिति बनाई गई है । जमा हुए स्टाक को खपाने की सम्भावनाएं ढूंढने के लिए पूर्वी यूरोप, पश्चिमी यूरोप तथा अफ्रीका को शिष्टमंडल भी भेजे गये हैं ।

कच्चे लोहे के लिए धमन भट्टी

*137. **श्री दे० द० पुरी** :
डा० सारादीश राय :
डा० रानेन सेन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री अ० सिं० सहगल :
श्री रामपुरे :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे लोहे के उत्पादन के लिये धमन भट्टियां स्थापित करने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिये कुछ भारतीय तकनीकी परामर्शदात्री फर्मों को 'आर्डर' दिये गये हैं ;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिये चुनी गई फर्मों को इस प्रकार के व्यवहार्यता का पूर्व अनुभव है ;

(ग) इस परियोजना पर कितना व्यय होगा ; और

(घ) सरकार को कब तक प्रतिवेदन पेश किये जाने की आशा है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) और (ख). कच्चे लोहे के उत्पादन के लिए प्रस्तावित धमन भट्टियों के स्थानों की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए पहले ही दो फर्मों को चुना जा चुका है। दोनों को अनुभवी समझा गया है। सरकार एक तीसरा अध्ययन कराने पर भी विचार कर रही है।

(ग) कुल लागत 3.00 लाख रुपये होगी।

(घ) प्रतिवेदन के जून, 1965 तक मिलने की संभावना है।

भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार

*138. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान यूरोपीय साझा बाजार के देशों में भारत के राजदूत, श्री के० बी० लाल, के लन्दन में प्रकाशित उस लेख की ओर दिलाया गया है जिसमें भारत और ब्रिटेन के बीच होने वाले व्यापार के ढांचे में परिवर्तन किये जाने का समर्थन किया गया है; और

(ख) क्या सरकार लेख में व्यक्त श्री लाल के इस विचार से सहमत है कि भारतीय बाजार में ब्रिटेन को पर्याप्त सुविधायें प्राप्त नहीं हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). श्री के० बी० लाल के लेख ने भारत-ब्रिटेन के व्यापर का, जिसमें और अधिक विस्तार होने की जरूरत है, तथ्यात्मक स्थिति प्रस्तुत की है।

भारत के निर्यात को ब्रिटेन में बढ़ाने के लिये अपेक्षित उपायों पर ज़ोर देते हुए उन्होंने यह भी व्यक्त किया है कि हमारी विकासशील अर्थव्यवस्था के सन्दर्भ में ब्रिटेन द्वारा भारत को अधिक निर्यात किये जाने की सम्भावनाओं के प्रति भी हमारा देश जागरूक है।

बर्मा को मूंगफली के तेल का निर्यात

*139. **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री बड़े :
श्री यशपाल सिंह :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत से बर्मा को निर्यात किया जाने वाला मूंगफली का तेल चीन को भेजा जा रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि राज्य व्यापार निगम बर्मा को मूंगफली के तेल के और संभरण के लिए नई शर्तों के आधार पर बातचीत कर रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत का भेजा हुआ तेल, चीन को निर्यात न किया जाये, क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सूती कपड़े की कीमतें

*140. श्री यशपाल सिंह :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री कपूर सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री प्र० चं० बरुम्रा :
श्री प्र० के० देव :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई की दो प्रमुख कपड़ा मिलों ने केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना सूती कपड़े की कीमतें 10 प्रतिशत बढ़ा दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह वृद्धि उचित है ; और

(ग) क्या इन मिलों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामास्वामी) : (क) से (ग). ऐसी सूचना मिली थी, कि जून, 1964 में, बम्बई तथा अन्य स्थानों के कुछ मिलों ने, अपने कपड़े पर, ऐच्छिक मूल्य नियंत्रण योजना के अन्तर्गत लीजाने वाली कीमतों में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि कर दी थी। टैक्सटाइल कमिश्नर ने, इंडियन काटन मिल्स फैडरेशन को हस्तक्षेप करने के लिये कहा कि वह सूती कपड़ा मिलों को पुरानी कीमतें ही लगाने के लिये कहे। ज्ञात हुआ है कि इसके परिणाम-स्वरूप उन मिलों के कपड़े की कीमतें पहले जैसी ही कर दी गई हैं।

निपटान तथा सम्भरण निदेशालय

*141. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या उद्योग तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस दिशा में कोई प्रयत्न किया जा रहा है कि निपटान तथा संभरण निदेशालय

के अन्तर्गत होने वाले कार्यों के टेंडर और ठेके देने की प्रक्रिया को सुधारा जाय ; और

(ख) यदि हां, तो किस रूप में ?

उद्योग तथा सम्भरण मन्त्रालय में सम्भरण मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख). सम्भरण तथा निपटान महानिदेशालय के कार्य की जांच करने के लिये एक अध्ययन दल (स्टडी टीम) की स्थापना की गई है। यह अध्ययन दल टेंडर तथा ठेके सम्बन्धी प्रक्रियाओं की जांच करेगा।

कच्चा लोहा

*142. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री बड़े :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० के० देव :
श्री प्रं० च० बरुआ :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कच्चे लोहे का उत्पादन मांग के अनुसार नहीं हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो देश में कच्चे लोहेके उत्पादन में कमी होने के क्या कारण हैं और वह कमी कितनी है ; और

(ग) कच्चे लोहेका उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग). जिस समय तीसरी योजना बनाई गई थी उस समय यह अनुमान लगाया गया था कि 1965–66 तक फाउण्ड्री ग्रेड लोहेके की मांग 1.5 मिलियन टन होगी। इसमें से 1 मिलियन टन सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों से और आधा मिलयिन टन निजी क्षेत्र के कारखानों के उत्पादन से प्राप्त किया जाना था। परन्तु, वास्तविक मांग इन पूर्वानुमानों से बढ़ गई है। अब यह अनुमान है कि 1965–66 तक कच्चे लोहेकी वार्षिक मांग लगभग 2 मिलयिन टन होगी। मांग के इस स्तर के मुकाबले में वर्तमान उत्पादन (मुख्यत: सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों से लगभग 1.2 से 1.3 मिलियन टन तक है)। कमी 0.7 मिलियन टन के लगभग है। कमी का एक बड़ा कारण यह है कि निजी क्षेत्र के कारखानों को दिए गए लाइसेंसों की कार्यान्वितिमें धीमी प्रगति हुई है। वर्तमान कमी पर काबू पाने के लिए 100,000 टन तक तात्कालिक आयात का प्रबन्ध करने के अतिरिक्त चौथी योजना के आरम्भिक वर्षों में कच्चे लोहेकी और अधिक उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए उठाये गये हैं।

मोटर गाड़ी उद्योग

*143. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प्र० के० देव :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सरकार ने भारतीय मोटर गाड़ी उद्योग की सहायता के लिए कुल 378 लाख डालर के तीन ऋण देना स्वीकार किया है जिससे कि उस उद्योग का विस्तार किया जा सके, उसकी उत्पादन सुविधाओं को आधुनिक बनाया जा सके और उसकी भारी इंजीनियरिंग क्षमता बढ़ायी जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो उस ऋण की क्या शर्तें हैं और उसे किस प्रकार इस्तेमाल करने का विचार है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री प्रि० ना० सिंह) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय विकास ऐजेन्सी, वाशिंगटन अमेरिका द्वारा तीन निम्नलिखित ऋणों को हाल ही में अधिकृत किया गया है ।

विवरण	(राशि दस लाख डालरों में)
1. मेसर्स टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी लि० को उनके ट्रक विस्तार कार्यक्रम के लिए	11.80
2. मेसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स को उनके ट्रक विस्तार कार्यक्रम और इंजन निर्माण कार्यक्रमों के लिए	23.00
3. मेसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स को उनके शावेल निर्माण कार्यक्रम के लिए .	2.95
कुल .	37.75

इन ऋणों की शर्तों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना शेष है ।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने का विस्तार

*144. { **श्री प्र० चं० बरूआ :**
श्री रामचन्द्र मलिक :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात कारखाने के विस्तार के लिए ब्रिटिश रसरकार ने कोई ऋण देने का प्रस्ताव रखा है ;

(ख) यदि हां, तो ऋण कितना होगा ; और

(ग) कारखाने की क्षमता में कितनी वृद्धि करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग). चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में दुर्गापुर इस्पात कारखाने का 1.6 मिलियन टन पिण्डों से 3 मिलियन टन पिण्डों तक विस्तार करने का विचार है। ब्रिटिश सरकार ने विस्तार में खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा के लिए धन लगाना मंजूर कर लिया है। ऋण की रकम तथा अन्य शर्तें यथासमय निश्चित की जाएंगी।

कोरबा में अल्युमीनियम परियोजना

*145. { **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री धवन :
श्री राम सहाय पाण्डय
श्री अ० सिं० सहगल :
श्री दे० जी० नायक :
श्री चाण्ड़क :
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री उइके :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मध्य प्रदेश के कोरवा में एक अल्युमिनियम कारखाना परियोजना स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या इस परियोजना में कोई विदेशी सहयोग मांगा गया है ;

(ग) यदि हां, तो किस देश से ; और

(घ) इस परियोजना की क्रियान्विति में क्या प्रगति हुई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (घ). मध्य प्रदेश में कोरवा स्थान पर एक समाकलित एल्यूनिनियम परियोजना की स्थापना का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है, जिसकी क्षमता, 1,20,000 मीट्रिक टन वार्षिक एल्यूमिना (Alumina), 30,000 मीट्रिक टन वार्षिक एल्यूमिनियम धातु की होगी तथा एल्यूमिनियम सेमिज़ के उत्पादन की व्यवस्था भी होगी।

कोरवा एल्यूमिना परियोजना के लिए एल्युमिना अवस्था (अर्थात् बोक्साइट खनन तथा बोक्साइट से ऐल्यूमिना का उत्पादन) तक हंगरी की आर्थिक तथा तकनीकी सहायता लेने का विचार है। एल्यूमिनियम धातु (एल्यूमिना से) तथा एल्यूमिनियम सेमिज़ के उत्पादन के लिए प्रबन्ध प्रथम-चरण अर्थात् एल्यूमिना अवस्था तक हंगरी से सहायता प्रबन्ध पूरे हो जाने पर, किया जायेगा।

हंगरी ने परियोजना की एल्यूमिना अवस्था तक की परियोजना रिपोर्ट के लिए प्रस्ताव पेश किये हैं, जिनकी जांच की जा रही है ।

रेलवे मंत्री का अमरीका का दौरा

*146. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री बासप्पा :
श्री मोहन स्वरूप :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री राम हरख यादव : }

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने भारत में रेलवे के विकास के लिये अमरीकी सहायता लेने की संभावनाओं का पता लगाने के लिये जुलाई, 1964 में अमरीका का दौरा किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उन्होंने इस सम्बन्ध में जो बातें कीं उसका क्या परिणाम निकला ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जुलाई, 1964 में जब रेल मंत्री संयुक्त राज्य अमरीका गये थे, तो उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ भरत में रेलवे के विकास के लिए अमरीका और विश्व बैंक से सहायता मिलने की संभावनाओं का पता लगाया था ।

(ख) सहायता मिलने के आसार अच्छे हैं । इस हफ्ते भरत से रेलवे का एक शिष्टमंडल अमरीका गया है । यह शिष्टमंडल विश्व बैंक से सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था और अमरीकी सरकार की एजेंसियों तथा अमरीका के निर्यात-आयात बैंक से बातचीत करेगा ।

Industrial Estates In Punjab

332. { **Shri Bagri :**
Shri Daljit Singh : }

Will the Minister of **Industry and Supply** be pleased to state :

(*a*) the places in Punjab where there were industrial estates at the end of 1963; and

(*b*) the number of industrial estates (alongwith the places) to be established in 1964-65?

The Deputy Minister in the Ministry of Industry and Supply (Shri Bibudhendra Mishra): (*a*) and (*b*) A statment is attached [Placed in Library *See* No. L. T. 3090/64.]

Railway Lines

*333. **Shri Bagri.** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(*a*) the particulars of railway lines laid in India from 1947 to 1st January, 1964; and

(*b*) the total expenditure incurred thereon?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (*a*) and (*b*). A statement is attached. [Placed in Library. *See* No. L.T-3091/64] Estimated costs of the projects have been indicated, since in certain cases though the line is opened, some balance works are still left, and the accounts of the project have not been closed yet. In a few cases, only portions of the line have been opened, and the actual expenditure incurred for these portions alone are naturally not readily available and as such estimated cost of the whole project is shown.

वायदा व्यापार

334. **श्री राम हरख यादव :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तन्तुक धागे और कपास का वायदा व्यापार करने पर प्रतिबन्ध हटा लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी हां।

(ख) **तन्तुक धागा** :–मूल्यों के स्थैर्यीकरण तथा तन्तुक के सूत उत्पादकों द्वारा अग्रिम विक्रय में सहायता करने के लिये, जिसके कि उद्योग के छोटा होने के कारण अग्रिम विक्रय के मामले में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था।

कपास : प्रतिबन्ध 1962 में लगाया गया था, जबकि कपास की संभरण स्थिति में संकट था और मूल्य कम से कम स्तर पर आ चुके थे। जब कपास की संभरण स्थिति में 1963–64 के कपास के मौसम में सुधार हो गया था, तो नवम्बर, 1963 में यह प्रतिबन्ध हटा दिया गया था।

सप्ताह में दो बार चलने वाली सदरन एक्सप्रेस रेलगाड़ी

335. **श्री राम हरख यादव :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और मद्रास के बीच चलने वाली सप्ताह में दो बार चलने वाली एक्सप्रेस रेल गाड़ी को सरकार का सप्ताह में 5 बार चलाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा कब से शुरू होगा; और

(ग) क्या देश के उत्तरीय और दक्षिण भागों को मिलाने वाली रेल गाड़ियों में नये सीधे जाने वाले डिब्बे लगाये जायेंगे ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) 1-10-64 से जब कि नया टाइमटेबल लागू होगा।

(ग) 1-10-64 से शुरू होने वाले टाइमटेबल में एक पहले और तीसरे दर्जे का संयुक्त सीधा जाने वाला डिब्बा निम्न स्टेशनों के बीच शुरू किया जायेगा :—

सदरन एक्सप्रेसों और सम्बन्धित गाड़ियों से

(1) नई दिल्ली और कोचीन (सप्ताह में पांच दिन)

(2) नई दिल्ली और मंगलौर (सप्ताह में दो दिन)

(3) नई दिल्ली और बंगलौर (दो दिन की बजाय सप्ताह में पांच दिन)

जी० टी० एक्सप्रेस और सम्बन्धित गाड़ियां

(4) लखनऊ और मद्रास (सप्ताह में दो दिन)

(5) वाराणसी और मद्रास (सप्ताह में दो बार)

राजस्थान में औद्योगिक बस्तियां

336. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में राजस्थान के लिए कितनी औद्योगिक बस्तियों की मंजूरी दी गई है; और

(ख) इन में से कितनों में काम शुरू हो चुका है, कितनों को अभी आवंटित किया जाना है और कितनों में अब काम बन्द हो चुका है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय म उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) (क) राजस्थान में तीसरी योजना में औद्योगिक बस्तियों के लिए 157.00 लाख रुपये रखे गये हैं और इस को अवधि में 26 बस्तियां स्थापित करने का विचार है । तथापि राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को अभी कोई योजना नहीं दी ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

उत्तर रेलवे के कर्मचारियों में भ्रष्टाचार के मामले

337. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963-64 में फिरोज़पुर और दिल्ली विभागों के कितने रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले पकड़े गये थे; और

(ख) ये किस प्रकार के हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 216 ।

(ख) (1) घूस लेना ।

(2) सरकारी धन का ग़बन ।

(3) रेलवे श्रमिकों के सामान का दुरुपयोग ।

(4) पास और पी० टी० ओज़ का दुरुपयोग ।

(5) माल की प्राप्ति के बिना रेलवे रसीद जारी करना ।

(6) गाड़ियों में अनियमित रूप से स्थान सुरक्षित करना ।

(7) रेलवे में नौकरी पाने के लिए अपने पिछले हालात छुपाना ।

(8) गाड़ियों में यात्रियों को बिना टिकट ले जाना ।

(9) बुकिंग खिड़कियों पर यात्रियों से अधिक किराया ले लेना ।

(10) मिट्टी से मिली हुई पत्थर की गिट्टी का स्वीकार करना ।

(11) सीमेंट की कमी ।

(12) पुलों में कम सीमेंट का प्रयोग करके निर्धारित स्तर से निम्न श्रेणी का काम ।

फौलाद उत्पादन मूल्य

338. श्री सोनावने : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में भारत के विभिन्न इस्पात संयंत्रों में इस्पात के मूलभूत आकारों (जिसमें कोई शेष नहीं है) की विभिन्न श्रेणियों के उत्पादन की वास्तविक लागत (संयंत्र के अवमूल्यन को छोड़ कर) कितनी है;

(ख) इन संयंत्रों में श्रमिकों की संख्या क्या है और प्रशासनीय कार्यालय कितने हैं; और

(ग) उन का कुल वेतन और मजूरी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) कच्चे लोहे, इस्पात की छड़ें और बेचे जाने वाले इस्पात की औसत लागत के बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

विभिन्न किस्मों के इस्पात की लागत का ब्योरा देना लोकहित में नहीं होगा ।

(ख) और (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

बाल और रोलर बेयरिंग का आयात

339. श्री सोनावने : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम को जिन बाल और रोलर बेयरिंग के आयात के लिए आयात लाइसेंस जारी किये गये हैं, उन के आयात और वितरण के लिए निगम को सम्बद्ध फर्में नियुक्त करने के लिए क्या प्रणाली बरती गई है ;

(ख) निगम को इस बात के लिये क्या निदेश दिये गये हैं कि आयात बेयरिंग केवल वास्तविक उपभोक्ताओं को दिये जायें ;

(ग) क्या निगम इस बात का प्रबन्ध करता है कि विभिन्न आकारों के आयातों का ज्ञान वास्तविक उपभोक्ताओं को कराया जाये ;

(घ) क्या कम कोटे वाले पुराने आयातकर्ताओं को बाल बेयरिंग आयात करने वाली संस्थाओं में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है ; और

(ङ) क्या सरकार की घोषित नीति के अनुसार छोटे व्यापारी को बड़े व्यापारी की तुलना में अधिमान दिया जाता है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) बाल, रोलर और टेपर बेयरिंग का आयात और वितरण करने के लिए फर्में चुनने, राज्य व्यापार निगम ने निम्न प्रणालियां रखी हैं :

(1) व्यापार के वर्तमान अभिकरणों का प्रयोग जहां तक हो सके, किया जाये और वितरण को खुले आधार पर किया जाये, ताकि वास्तविक उपभोक्ता अपनी आवश्यकताएं बिना कठिनाई के पूरी कर सकें। ऐसा करने के लिए उन आयातकर्ताओं/व्यापारियों को वितरण प्रबन्ध सौंपना जिन्हें आवश्यक टेकनिकल अनुभव और विक्रय तथा मरम्मत का अनुभव हो ।

(2) पुराने आयातकर्ताओं के लाइसेंसों पर विदेशी संभरणकर्ताओं के स्वीकृत एजेन्टों के द्वारा माल मंगवाने से पहले बेयरिंग की जिन विख्यात किस्मों का भारी मात्रा में आयात किया जाता था, उन का आयात अब भी पर्याप्त मात्रा में किया जाता है जिससे कि उपभोक्ताओं को सुविख्यात किस्मों की बेयरिंग की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में कोई कठिनाई न हो और स्वीकृत एजेन्टों के ज्ञान और अनुभव का पूर्ण तथा उचित उपयोग किया जाये।

(ख) निगम के साथ सम्बद्ध फर्मों के साथ जो समझौते हैं, उन के अनुसार माल केवल वास्तविक उपभोक्ताओं को दिया जायेगा।

(ग) इन समझौतों के अनुसार बेयरिंग की उपलब्धता का ज्ञान भारत में उपभोक्ताओं को कराने के लिए, वे अंग्रजी और देशी भाषाओं में पत्र-पत्रिकाओं में विज्ञापन द्वारा विस्तृत प्रचार करेंगे। वे अपने दुकानों के बाहर नोटिस बोर्ड पर अधिक महत्वपूर्ण बेयरिंग के मूल्य भी प्रदर्शित करेंगे। इन के अतिरिक्त, उन्हें मूल्यों की छपी हुई या साइक्लोस्टाइल सूचियां जनता के निरीक्षण के लिए रखनी पड़ेंगी। निगम की सहायता द्वारा आयात किये गये माल की सूचियां समय समय पर उद्योग निदेशकों को भी भेजी जाती हैं ताकि ये उनके क्षेत्राधिकार में कारखानों को परिचालित की जा सकें। ये अभिज्ञात वाणिज्य मंडलों को भी भेजी जाती हैं।

(घ) राज्य व्यापार निगम के साथ आयातकर्ताओं/व्यापारियों की निम्न प्रतिनिधि संस्थायें बेयरिंग के वितरण के लिए सम्बद्ध हैं :

(क) बाल एंड रोलर बेयरिंग डिस्ट्रिब्यूटर्ज़ एसोसियेशन्स लि०, बम्बई।

(ख) फेडरेशन आफ़ आल इंडिया आटोमोबील स्पेर पार्ट डीलर्स एसोसियेशन, दिल्ली।

सभी व्यापारी/आयातकर्ता बाल एंड रोलर बेयरिंग वितरण संस्था के सदस्य बन सकते हैं। संघ अपना विधान भी बदल रहा है और सब व्यापारी संस्थायें इस के सदस्य बन सकेंगे।

(ङ) बेयरिंग व्यापार एक अत्यधिक विशेष व्यापार है, जिसके लिए गहरा ज्ञान और अनुभव चाहिये। इसलिए इस विशेष व्यापार में बड़े व्यापारियों की तुलना में छोटे व्यापारियों को अधिमान नहीं दिया जा सकता, यद्यपि इस बात के लिए हर प्रयत्न किया जाता है कि छोटे व्यापारियों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

दिल्ली शाहदरा लाइन पर इंजन का पटरी से उतर जाना

340. श्री श्याम लाल सर्राफ : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या 12 जुलाई, 1964 को या उस के लगभग दिल्ली-शाहदरा लाइन पर एक रेलवे इंजन पटरी पर से उतर गया था ;

(ख) क्या इस दुर्घटना में कोई जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका परिणाम?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां। दुर्घटना 12-7-1964 को हुई थी।

(ख) और (ग). रेल अधिकारियों की एक समिति ने जांच की थी । उनके प्रतिवेदन को अन्तिम रूप नहीं दिया गया । पुलिस की जांच भी जारी है ।

हथकरघा कपड़े का निर्यात

341. { श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1964 से अब तक स्वयं हथकरघा निर्यात संगठन द्वारा (इसके सहयोगियों को छोड़ कर) कितना हथकर्घा कपड़ा निर्यात किया गया ; और

(ख) उस अवधि में देश में कितना हथकर्घा कपड़ा बेचा गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जुलाई 1964 तक लगभग 312232 मीटर ।

(ख) भारत का दस्तकारी और हथकर्घा निर्यात निगम लिमिटिड स्थानीय रूप से कोई विक्रय नहीं करता, केवल सम्बद्ध व्यापारी समवायों को छोड़ कर और वह भी उन के द्वारा प्राप्त किये गये आर्डरों के लिए इस प्रकार उसने जुलाई 1964 तक उन समवायों का लगभग 5663 मीटर कपड़ा बेचा ।

पश्चिमोत्तर रेलवे पर भ्रष्टाचार के मामले

342. { श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या रेलवे मंत्री 31 मार्च, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1703 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि 31 जुलाई, 1964 को पश्चिमोत्तर रेलवे में भ्रष्टाचार के कितने मामले लम्बित थे और उनका स्वरूप क्या था ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (एक) मामलों की संख्या 190

(दो) मामलों का स्वरूप—

(1) अवैध परितुष्टि का मांगना और लेना ।

(2) मिथ्या घोषणा और मिथ्या प्रमाणपत्र देकर नौकरी, पदोन्नति आदि प्राप्त करना ।

(3) पास और पी० टी० ओ० का कपट द्वारा लेना और दुरुपयोग करना ।

(4) रेलवे की नकदी और सामग्री आदि का दुर्विनियोग ।

(5) उपस्थिति नामावली में गलत प्रविष्टियां करना, सरकारी रिकार्ड में हेरफेर करना, झूठे यात्रा भत्ते लेना आदि ।

(6) मिथ्या प्रमाण-पत्र देकर शिक्षा संबंधी सहायता की मांग करना ।

(7) सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन करना ।

(8) ठेकेदारों द्वारा विनिर्देश के निचले स्तर के कार्य निष्पादन करना ।

फलोदी में नमक उद्योग

343. **श्री तन सिंह :** क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष राजस्थान में फलोदी, जिला जोधपुर में बाढ़ और भारी वर्षा के कारण नमक उद्योग को काफी नुकसान पहुंचा है ;

(ख) बाढ़ से कितनी हानि हुई है ; और

(ग) इस उद्योग के लिये यदि कोई सहायता देने का विचार है तो कितनी ?

उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभषेन्द्र मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) उपलब्ध प्रारम्भिक प्रतिवेदनों के अनुसार लगभग 1,50,000 रु० का नुकसान, हुआ है (जो नमक बह गया उसका मूल्य भी शामिल है) ।

(ग) मामला विचाराधीन है ।

अलमोड़ा में भूतत्वीय सर्वेक्षण

344. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अलमोड़ा, नैनीताल, पिठोरागढ़ और गढ़वाल में खनिजों का पता लगाने के लिये एक सर्वेक्षण दल वहां गया है ;

(ख) यदि हां, तो यदि कोई उपपत्तियां हैं तो उनका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इन क्षेत्रों का सर्वेक्षण कब पूरा होगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां ।

(ख) अलमोड़ा, नैनीताल, पिठोरागढ़ और गढ़वाल के जिलों में 'लाइमस्टोनग' 'जिप्समे, 'सोपस्टोन' और 'मैगनेसाइट' के तैयार निक्षेपों का पता लगा है । इनमें से जिप्स, लाइमस्टोन और सोपस्टोन को सक्रिय रूप से निकाला जा रहा है । विभिन्न स्थानों पर 'डोलोमाइट', 'ग्रेफाइट', 'कॉपर-लैड-ज़िंक ग्रोर्स', 'ग्रोचरेस', अभ्रक और गंधक का भी पता लगा है ।

(ग) जब तक आवश्यक समझा जायेगा अनुसन्धान जारी रखा जायेगा और इसके लिये कोई समय सीमा नहीं रखी जा सकती ।

Derailment at Kalyan Junction Railway Yard

345. **Shri Baswant:** Will the Minister of **Ralways** be pleased to state:

(a) the number of derailments that occurred in 1964 in the railway yard of Kalyan Junction on the Central Railway ;

(b) the causes of these derailments

(c) the total amount of loss caused thereby; and

(d) whether responsibility for these derailments has been fixed?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath): (a) Sixty-six in the first seven months of 1964.

(b) Sixty-one of these were due to failure of railway staff. The remaining five were due to accidental causes.

(c) the cost of damage to railway property was assessed at Rs. 11,148·65.

(d) Yes.

पूर्वोत्तर रेलवे पर झंडी स्टेशन

346. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे पर रिगा और ढांग स्टेशनों के बीच एक झण्डी-स्टेशन बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो स्टेशन किस स्थान पर होगा और कब से चालू होगा ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ) : (क) और (ख). प्रस्ताव पर विचार किया गया था और इसे स्वीकार नहीं किया जा सका क्योंकि यह तर्कसंगत नहीं था ।

कपड़ा मिलों में काम करने के घण्टे

347. **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश की कपड़ा मिलों में दैनिक काम के घण्टे बढ़ाना चाहती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कपड़ा मिलों में साप्ताहिक छुट्टियां क्रमवार दी जायेंगी ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इन प्रस्तावों को कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (घ) सरकार बराबर इस बात पर विचार कर रही है कि कपड़ा मिलों के उत्पादन को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में ये सुझाव आये हैं कि काम के घण्टों को बढ़ाना चाहिये और साप्ताहिक छुट्टियों को क्रमवार किया जाये। इन सुझावों पर अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

राज्य व्यापार निगम

348. **श्री शशि रंजन :**
श्री कृष्णपाल सिंह :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जीवन बीमा निगम द्वारा एक्सप्रेस बिल्डिंग, नई दिल्ली को क्या मासिक किराया दिया जाता है और अब तक कुल कितनी राशि दी गई है?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : इस समय राज्य बीमा निगम द्वारा 43,601'00 रु0 प्रति मास किराया दिया जाता है। 31 जुलाई, 1964 तक किराये के रूप में कुल 26,23,450.00 रु० की राशि दी गई है।

विदेशी मुद्रा का दुरुपयोग

349. **श्री विश्राम प्रसाद :** क्या **वाणिज्य** मंत्री 13 दिसम्बर, 1963 के तारांकित प्रश्न संख्या 568 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूना नगर परिवहन के कर्मचारियों द्वारा विदेशी मुद्रा के दुरुपयोग के बारे में जांच पूरी कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी नहीं, जांच अभी जारी है ?

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कोयले पर आधारित उद्योग माला

350. **श्री मोहन स्वरूप :**
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री रा० बरुआ :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम हजारीबाग के निकट रामगढ़ में कोयले पर आधारित एक उद्योग माला स्थापित करने की संभावना का पता लगा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) परियोजना के लिये क्या कोई विदेशी सहयोग भी आमन्त्रित किया गया है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कोयला विकास निगम रामगढ़ में कोयले पर आधारित एक उद्योग माला स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगा रहा है। योजना अभी प्रारम्भिक अवस्था में है। इस प्रदेश में कोयले की जांच करने के पश्चात् और यह देखने के पश्चात् कि यहां ये योजनाएं चल सकती हैं, एक ठोस योजना बनाई जायेगी।

(ग) कोई विदेशी सहयोग आमंत्रित नहीं किया गया है।

रेलवे पासधारी

351. **श्री रामनाथन चेट्टियार** : क्या **रेलवे** मंत्री 2 जून, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 111 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनता को यात्रा में सुविधा देने की दृष्टि से देश के बड़े मार्गों पर विभिन्न डाक/एक्सप्रेस गाड़ियों में रेलवे पास/पी० टी० ओ० धारिकों के लिये कितने स्थान रक्षित किये गये हैं ;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या व्यवस्था की गई है कि गाड़ियों में स्थान रक्षित करते समय रेलवे पासधारिकों पर टिकटधारिकों को अधिमान दिया जाये ;

(ग) क्या यह सच है कि रेलवे पासधारिकों से कोई स्थान रक्षण शुल्क नहीं लिया जाता ; और

(घ) जिस प्रकार टिकटधारिकों द्वारा टिकटों के वापस करने पर टिकट के मूल्य का कुछ निश्चित भाग काट लिया जाता है, क्या इसी प्रकार रेलवे पास धारिकों द्वारा बड़े पैमाने पर रक्षित स्थानों को रद्द किये जाने को रोकने के लिये उन पर कुछ शुल्क लगाने की वांछनीयता पर विचार किया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) गाड़ी में उपलब्ध सामान्य स्थान के 25 प्रतिशत की अधिकतम सीमा महत्व वाली डाक और एक्सप्रेस गाड़ियों में पासधारिकों के आरक्षण के लिए नियत की गई हैं।

(ख) आरक्षण कार्यालयों में पासधारिकों के सम्बन्ध में किये गये आरक्षण पर निगरानी रखी जाती है ताकि उक्त अधिकतम सीमा का पालन हो। इस के सम्बन्ध में किसी विशेष व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है।

(ग) जी हां, चूंकि पासधारी कोई किराया नहीं देते इसलिए उनसे आरक्षण शुल्क भी नहीं लिया जाता है।

(घ) जी हां। हाल ही में यह भी निर्णय किया गया है कि विभिन्न श्रेणियों के विशेषाधिकार प्राप्त पासधारिकों पर, जो गाड़ी चलने के निश्चित समय से 24 घंटे पूर्व आरक्षण नहीं करते, कुछ शुल्क लगाया जाये।

Export of Coffee

352. **Shri Yashpal Singh** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the details of the incentive scheme in force relating to raw coffee exporters *vis-a-vis* the allotment of chicory to them;

(b) whether it is a fact that the chicory allotted to them is not used by them and is sold by them at higher rates to manufacturers of manufactured coffee; and

(c) the action taken by Government on the various representations made by All India Coffee Manufacturers Association, Madras for adopting an incentive scheme for exporters of pure manufactured coffee ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri S. V. Ramaswamy) : (a) With the object of earning as much free foreign exchange as possible from our coffee exports, it was decided in September, 1963 to allow an incentive in the form of allotment of imported chicory to exporters upto the extent of 3 % of the f.o.b. realisation in foreign exchange on coffee exported to non-rupee payment quota countries. The Coffee Board imports chicory required for this scheme on a global tender basis and allots the chicory to exporters of raw coffee who are entitled to it under this scheme.

(b) Allottees of chicory under this scheme are allowed to dispose of it in the internal market; there is no restriction on the price at which they sell it in the market.

(c) The need for an incentive scheme for exporters of pure manufactured coffee is under consideration.

पश्चिमोत्तर रेलवे पर ट्रक और रेल गाड़ी की टक्कर

+
353. श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री कपूर सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री धवन :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री प्र० के० देव :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 जून, 1964 को दक्षिणोत्तर रेलवे पर कलकत्ता से लगभग 260 किलोमीटर की दूरी पर एक रेलवे फाटक पर (बिना चौकीदार वाले) एक ट्रक बम्बई-हौड़ा डाक गाड़ी से टकरा गया ;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति मारे गये तथा घायल हुए ; और

(ग) क्या हताहत व्यक्तियों के परिवारों को कोई मुआवजा दिया गया है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ) : (क) जी हां ।

(ख) एक व्यक्ति तो दुर्घटना स्थल पर ही मारा गया और अन्य दो को बड़ी चोट आईं । ज़खमी व्यक्ति भी ज़खमों के कारण तत्पश्चात् मर गये ।

(ग) मुआवज़े के लिए अभी तक कोई दावा नहीं आया है ।

इस्पात-कार्य निगम

354. { श्री प्र० के० देव :
श्री यशपाल सिंह : }

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में इस्पात संयंत्रों के निर्माण कार्य को समझने के लिये क्या कोई इस्पात कार्य निगम स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो यह कब से काम करने लगेगा ; और

(ग) क्या गैर-सरकारी इस्पात कम्पनियों से भी प्रस्तावित निगम की प्रारम्भिक पूंजी में अंशदान देने के लिए कहा जायेगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) और (ख). सरकारी क्षेत्र में इस्पात संयंत्र के निर्माण के लिये 23 जून, 1964 को हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कांस्ट्रक्शन लिमिटेड के नाम से भारत सरकार का एक उपक्रम दर्ज किया गया है । जब इस उपक्रम के पास फालतू क्षमता हो तो यह गैर-सरकारी क्षेत्र में भी निर्माण कार्य कर सकता है, परन्तु कुछ समय के लिये ऐसा करना संभव न होगा । इस के निदेशक शीघ्र ही नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे और तुरन्त बाद यह काम करने लगेगा ।

(ग) जी, नहीं ।

बिक्री-कर समिति का प्रतिवेदन

355. { डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री प्र० के० देव :
श्री सोलंकी :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना : }

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिक्री-कर पर सरकार द्वारा नियुक्त समिति के प्रतिवेदन पर विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). बिक्री-कर समिति का प्रतिवेदन सरकार के विचाराधीन है ।

तलचेर और टिकरपारा बांध के बीच रेलवे की पटरी

356. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तलचेर और प्रस्तावित टिकरपारा बांध के बीच 40 मील लम्बी रेल की पटरी बिछाने के लिये दक्षिणोत्तर रेलव प्रशासन ने उड़ीसा सरकार की ओर से एक सर्वेक्षण आरम्भ किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सवक्षण के लिये योजना आयोग की अनुमति ली गई है ; और

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिये राज्य सरकार ने केन्द्र से कोई वित्तीय सहायता मांगी है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ) : (क) जी, हां ।

(ख) सर्वेक्षणउड़ीसा सरकार के खर्च पर किया जा रहा है और योजना आयोग की अनुमति आवश्यक नहीं है ।

(ग) जी, नहीं ।

रेलवे दुर्घटना समिति

357. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुंजरू रेलवे दुर्घटना समिति की सभी सिफारिशें क्रियान्वित की जा चुकी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने से दुर्घटनाओं की संख्या में कुछ कमी हुई है ?

रेलवे मंत्रालय मे राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) रेलवे दुर्घटना समिति के प्रतिवेदन के भाग (एक) और भाग (दो) में 462 मद हैं। इन में से 82 प्रेक्षण के हैं और शेष 380 सिफारिशों के हैं । इन 380 सिफारिशों में से 299 पूर्ण रूप से, 17 आंशिक रूप से और 4 मामूली परिवर्तनों के बाद स्वीकार कर ली गई हैं, जबकि 23 नामंजूर की गई हैं। शेष 37 पद सरकार के विचाराधीन हैं । जो सिफारिशें मंजूर की गई हैं उन्हें क्रियान्वित किया जा रहा है ।

(ख) जी हां, पिछले वर्षों की अपेक्षा 1963-64 में बड़ी दुर्घटनाओं और अन्य दुर्घटनाओं की संख्या कम हो गई है ।

राजधानी में रिंग रेलवे

358. { **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** :
श्री शिव चरण गुप्त :

क्या रेलव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजधानी में 'रिंग रेलवे' के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है और परियोजना के कब पूरा हो जाने की संभावना है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ) : स्वीकृत योजना का नाम "दिल्ली एवाइडिंग लाइन्स (रिंग रेलवे)" है। लगभग 16 प्रतिशत कार्य अब तक पूरा हो गया है। आशा है कि परियो-योजना 1967 के अन्त तक पूरी हो जायेगी।

लोहे तथा इस्पात के अभ्यंश

359. **श्री शशिरंजन** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात संयंत्रों द्वारा उपभोक्ताओं/इन्डैंटकर्ताओं को नियंत्रित और अनियंत्रित माल का सम्भरण किस ढंग में किया जाता है ;

(ख) क्या उत्पादक तथा स्टाकधारी जन लोगों को दिये गये अभ्यंश प्रमाणपत्रों/परमिटों के अनुसार माल का सम्भरण करते हैं ;

(ग) लोहा तथा इस्पात नियंत्रक किस आधार पर इस प्रकार के परमिट जारी करता है ; और

(घ) क्या इस्पात संयंत्रों द्वारा तैयार उत्पादों के वितरण की इस वर्तमान पद्धति में कोई सुधार करने का सरकार का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) मुख्य उत्पादकों द्वारा नियंत्रित और विनियंत्रित श्रेणियों के इस्पात का सम्भरण संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा उन को भेजे गये इन्डैंटों पर किया जाता है। नियंत्रित श्रेणियों के इस्पात के लिये इन्डैन्ट केवल अभ्यंश प्रमाणपत्रों के होने पर ही दिये जाते हैं। विनियंत्रित श्रेणियों के इस्पात के लिये क्यादेश देने अथवा उन का क्रय करने के लिये अभ्यंश प्रमाणपत्रों/परमिटों की आवश्यकता नहीं पड़ता।

(ख) उत्पादक तो उन को भेजे गय इन्डैंटों पर माल का सम्भरण करते हैं परन्तु स्टाकधारी नियंत्रित श्रेणियों के इस्पात का सम्भरण केवल उन्हीं ग्राहकों को करते हैं जिन के पास वैध अभ्यंश प्रमाणपत्र/परमिट होती हैं।

(ग) लोहा तथा इस्पात नियंत्रक मांग करने वाले विभिन्न प्राधिकारों की मांगों और माल की सम्भाव्यउपलब्धि पर विचार करने के पश्चात् इस्पात की विभिन्न नियंत्रित श्रेणियों के आवंटन की सूचना उन प्राधिकारों को भेज देता है। मांग रखने वाले प्राधिकार उनको किये गये इस आवंटन पर अभ्यंश प्रमाणपत्र जारी करते हैं और इन प्रमाणपत्रों के आधार पर उत्पादकों को क्यादेश दिये जा सकते हैं। थोड़ी मात्रा में माल चाहने वाले ग्राहकों को राज्य सरकार के प्राधिकारियों द्वारा परमिट दिये जाते हैं जिससे कि वे लोग पंजीकृत स्टाकधारियों से नियंत्रित श्रेणियों के स्टाक से अपना माल ले सकें।

(घ) इस्पात के वितरण की वर्तमान प्रणाली 'इस्पात नियंत्रण' के बारे में नियुक्त की गई राज समिति की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् 1 मार्च, 1964 से लागू की गई है। इस समय सरकार अन्य किसी सुधार पर विचार नहीं कर रहा है।

लौह अयस्क खनन का यंत्रीकरण

360. **श्री शशिरंजन** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की लौह अयस्क खानों में खनन कार्य का आंशिक रूप से यन्त्रीकरण करने का सरकार का विचार है जिससे कि इस्पात सन्यन्त्रों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो लौह अयस्क की जिन खानों में यन्त्रीकरण किया जाना है उनके नाम क्या हैं ;

(ग) उन लौह अयस्क खानों के क्या नाम हैं जिनमें कि परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण इस समय कार्य नहीं किया जा रहा है ; और

(घ) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख). इस्पात सन्यन्त्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सरकारी क्षेत्र में निम्नलिखित लौह अयस्क खानों का विक.स किया गया है :—

(1) राजहारा, दल्ली, कोकन और अरि डोंगरी

(2) बरसुआ

(3) बोलानी

(4) मैसूर में बाबादादा पहाड़ी ।

इनमें से संख्या (1) के सामने दी गई चार खानें भिलाई इस्पात सन्यन्त्र से सम्बद्ध हैं । राजहारा का यन्त्रीकरण हो गया है । दल्ली खान के यन्त्रीकरण के प्रश्न पर अब विचार किया जा रहा है । अन्य दो खानें यन्त्रीकृत नहीं हैं ।

संख्या (2) के सामने दी गई खान रूरकेला इस्पात सन्यन्त्र से सम्बद्ध है और पहिले ही से यन्त्रीकृत है ।

संख्या (3) पर दी गई खान का, जो कि दुर्गापुर इस्पात सन्यन्त्र के साथ सम्बद्ध है, तेजी से यंत्रीगरण किया जा रहा है । आशा की जाती है कि 1966 तक इस खान का पूरी तरह से यन्त्रीकरण हो जायेगा ।

संख्या (4) पर दी गई खान मैसूर आइरन एण्ड स्टील वर्क्स के स.थ सम्बद्ध है । इस्पात सन्यन्त्र की क्षमता का विस्त.र किया जा रहा है । इस खान के यन्त्रीकरण का प्रश्न विचाराधीन है, जिससे कि सन्यन्त्र की बढ़ी हुई आवश्यकताओं क. पूर्ति क. जा सके ।

उपर्युलिखित खानों के अतिरिक्त, गैर-सरकारी क्षेत्र की निम्नलिखित खानों द्वारा टाटा आइरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड तथा इण्डियन आइरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड को लौह अयस्क का सम्भरण किया जाता है :—

(1) नोआमुंडी

(2) जोड़ा पूर्वी

(3) गोरु महिसानी

(4) बादाम पहाड़

(5) खोंदबोंद

(6) गुआ अयस्क खानें

इनमें (1) और (2) पर लिखी खानें यन्त्रीकृत हैं। (3), (4) और (5) पर लिखी खानों में हाथ से काम किया जाता है। संख्या (6) पर लिखी खान आंशिक रूप से यन्त्रीकृत है।

(ग) ऐसी खानों के बारे में अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

ओंगोल से हैदराबाद तक नई रेलवे लाइन

361. **श्री म० ना० स्वामी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओंगोल से हैदराबाद तक बरास्ता नागार्जुन सागर एक नई रेलवे लाइन बनाने का कोई प्रस्ताव आन्ध्र प्रदेश सरकार ने किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ): (क) जी, हां।

(ख) चतुर्थ योजना में जिन नई रेलवे लाइनों का निर्माण किया जाना है उनपर अभी तक योजना आयोग के साथ मिल कर विचार किया जा रहा है। तथापि, धन की कमी के कारण इस रेलवे लाइन के उनमें आने की सम्भावना कम प्रतीत होती है।

कांच उद्योग

362. **श्री म० ना० स्वामी** :
डा० सारादीश राय :
श्री प० कुन्हन :
श्री इम्बीचिबावा :

क्या उद्योग तथा सम्भरण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांच की वस्तुओं का निर्माण करने वाली एक फर्म बहादुरगढ़ (पंजाब) में एक ऐसा कारखाना स्थापित करने का प्रयत्न कर रही है जिसमें उन वस्तुओं से भिन्न वस्तुओं का निर्माण किया जायेगा जिनके लिये कि उसे लाइसेंस दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे छोटे पैमाने के विद्यमान कांच उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) इस लघु उद्योग को संरक्षण देने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, नहीं, एक कारखाने ने, जिसे कि बहादुरगढ़ में कांच की बोतलों का निर्माण करने के लिये लाइसेंस दिया गया था, सरकार को यह आवेदन पत्र भेजा है कि उसे पेनिसिलीन की शीशियों और दबा कर बनाई जाने वाली कांच की वस्तुओं (प्रैस्डवेयर) का निर्माण करने की अनुमति दी जाये, जिसके लिये वह कांच की शीशियों का निर्माण करने के लिये अनुज्ञप्त क्षमता के इसके बराबर के भाग को सरकार को समर्पण करने के लिये तैयार है। उनका प्रार्थनापत्र अभी तक विचाराधीन है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

दियासलाई उद्योग

364. **श्री लक्ष्मीदास :**
श्री प० कुन्हन :
श्री नम्बियार :
डा० साराबीश राय :

क्या उद्योग तथा संभरण मन्त्री यह बताने **की कृपा करेंगे** कि :

(क) क्या दक्षिण भारत के विकेन्द्रीकृत हस्त-निर्मित दियासलाई उद्योग में जो संकट पैदा हो रहा है उसकी सरकार को जानकारी है ;

(ख) क्या छोटे पैमाने के निर्माणकर्ता संघों से इस मामले पर कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संकट को टालने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). लघु उद्योग क्षेत्र से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे जिनमें यह प्रार्थना की गई थी कि आम तौर पर दियासलाई उद्योग के यन्त्रीकृत क्षेत्र के और विशेष रूप से मैसर्स विमको के उत्पादन की मात्रा को सीमित किया जाये।

गत कुछ वर्षों में दियासलाई उद्योग के यन्त्रीकृत क्षेत्र की क्षमता को बढ़ाने के लिये कोई अनुमति नहीं दी गई है। भविष्य में भी यन्त्रीकृत दियासलाई उद्योग की क्षमता को बढ़ाने के प्रश्न पर विचार करते समय छोटे पैमाने के कारखानों के हितों को ध्यान में रखा जायेगा।

Sabotages on the Railways

365. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Yashpal Singh :
Shri Jagdev Singh Siddhanti:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether any conspiracies have been unearthed in the incidents of sabotage on the Railways during the last six months ;

(b) if so, whether any foreign elements has been found involved in the railway accidents that took place in Bihar and U.P.; and

(c) if so, the action taken to prevent them in future ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No.

(b) and (c). Do not arise.

केरल में भारत-कनाडा जस्ता परियोजना

366. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री यवन :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :

क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केरल में भारत-कनाडा जस्ता परियोजना स्थापित करने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो परियोजना के कब स्थापित किये जाने की सम्भावना है ; और

(ग) जस्ते के उत्पादन की कुल वार्षिक क्षमता कितनी है और इस पर कुल कितना रुपय व्यय होना है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन 21 अक्टबर, 1962 को गैरसरकारी क्षेत्र की एक कम्पनी मैसर्स कोमनिको-बिनानी ज़िक लिमिटेड को कनाडा के मैसर्स कन्सोलीडेटेड माइनिंग एण्ड स्मेल्टिंग कम्पनी के वित्तीय तथा प्रविधिक सहयोग में अलवाये (केरल) में एक जस्ता कारखाने को स्थापित करने के लिये लाइसेंस दिया गया था ।

(ख) लाइसेंस की शर्तों के अनुसार यह कारखाना तीन वर्षों के अन्दर अर्थात् अक्टूबर, 1965 तक तैयार हो जाना चाहिये ।

(ग) इस परियोजना की अनुज्ञप्त क्षमता 12,000 टन प्रतिवर्ष की है, इसको बाद में 20,000 टन तक बढ़ाया जा सकता है । परियोजना पर लागत 5 करोड़ रुपये आयेगी ।

वायदा व्यापार

367. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री धवन :
श्री हिम्मतसिंहका :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कितनी वस्तुओं के वायदा व्यापार पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : साठ ।

कुवैत में कच्चे लोहे का संयंत्र तथा इस्पात मिल

368. { श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री यवन :
श्री भी० प्र० यादव :

क्या वाणिज्य मन्त्री 29 मई, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 93 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुवैत में भारतीय सहयोग से कच्चे लोहे का एक सन्यन्त्र तथा एक इस्पात मिल स्थापित करने की सम्भावनाओं की जांच करने के लिये भारतीय प्रविधिज्ञों का जो दल कुवैत गया था क्या उसका प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) दल ने जो सुझाव दिये थे तथा सिफारिशें की थीं उनको क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) प्रतिवेदन की अभी तक प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

विस्फोटक पदार्थों की चोरी

369. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या रेलवे मन्त्री रेल के एक मुहरबन्द डिब्बे से विस्फोटक पदार्थों की चोरी से सम्बन्धित 2 जून, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 244 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मामले से सम्बन्धित मुकद्दमे की कार्यवाही समाप्त हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) अभी तक नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गोदावरी नदी पर रेल का दूसरा पुल

730. { श्री पें० वेंकटसुब्बया :
श्री द० ब० राजू :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोदावरी नदी पर आन्ध्र प्रदेश में राजमुन्द्री के निकट रेल का एक दूसरा पुल बनाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो कब ;

(ग) इसके निर्माण में कितना रुपया व्यय होने की सम्भावना है ; और

(घ) क्या रेल के प्रस्तावित पुल के साथ साथ सड़क का भी एक पुल बनाने का कोई विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ) : (क) से (ग).कोव्वूर और राज मुन्द्री के बीच रेलवे लाइन को दुहरी करने के कार्य के लिये, जिसमें कि गोदावरी नदी के ऊपर दूसरे पुल का निर्माण भी सम्मिलित है और जिस सारे कार्य की अनुमानित लागत 691 लाख रुपये है, मंजूरी दे दी गई है तथा इसके 1968 के अन्त तक तैयार हो जाने की आशा है।

(घ) अनुमानतः, माननीय सदस्य ने उपर्युल्लिखित रेल के दूसरे पुल के ऊपर सड़क की व्यवस्था करने के बारे में पूछा है। वर्तमान नियमों के अनुसार, रेल-तथा-सड़क के पुल की व्यवस्था करने में आने वाली लागत रेलवे विभाग तथा सड़क की सुविधा चाहने वाली संस्था दोनों ही को वहन करनी पड़ती है। आंध्र प्रदेश की सरकार ने, जो कि इससे मुख्यतः सम्बन्धित है, इस लागत को वहन करने के लिये अपनी अनुमति नहीं दी है। इसलिये केवल रेल के ही एक पुल के निर्माण करने का निर्णय किया गया है।

हथकरघा वस्त्र का उत्पादन

371. { **श्री पें० वेंकटसुब्बया** :
श्री मि० सु० मूर्ति :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय योजना काल के प्रथम तीन वर्षों में हथकरघों में उपयोग के लिये कुल कितनी मात्रा में मुफ्त सूत उपलब्ध कराया गया था और इस अवधि में प्रत्येक वर्ष अनुमानतः कितने हथकरघा वस्त्र का उत्पादन हुआ था ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : हथकरघों के उपयोग के लिये कुल कितनी मात्रा में मुफ्त सूत उपलब्ध कराया गया था तथा हथकरघा वस्त्र का अनुमानित उत्पादन कितना हुआ इनके आंकड़े पृथक से नहीं रखे जाते हैं। सम्पूर्ण विकेन्द्रीकृत क्षेत्र के आंकड़े रखे जाते हैं। तथापि, ऐसा अनुमान है कि विकेन्द्रीकृत क्षेत्र को दिये जाने वाले सूत के लगभग 68 प्रतिशत सूत का हथकरघा उद्योग द्वारा उपभोग किया जाता है। तृतीय योजना काल के पृथम तीन वर्षों में हथकरघा उद्योग को दिये गये मुफ्त सूत और उसके द्वारा किये गये कपड़े के उत्पादन का मोटा अनुमान इस प्रकार है :—

वर्ष	हथकरघा क्षेत्र को सूत का अनुमानित वितरण (1,000 किलो-ग्राम)	हथकरघों द्वारा कपड़े का अनुमानित उत्पादन (दस लाख मीटर)
1961—62 . .	1,82,240	1,650
1962—63 . . .	1,82,920	1,656
1963—64	1,97,200	1,983

लौह अयस्क का निर्यात

372. { **श्री बी० चं० शर्मा :**
श्री प्र० के० देव :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना : }

क्या **वाणिज्य** मंत्री 29 मई, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 50 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि 1972 तक 2½ लाख से लेकर 3 लाख टन तक लौह अयस्क का निर्यात करने के लक्ष्य की प्राप्ति तथा इसकी अन्तर्राष्ट्रीय मांग को पूरा करने की दृष्टि से विभिन्न विकास कार्यों में समन्वय करने के हेतु एक उच्च अधिकार प्राप्त अन्तर्मंत्रालय बोर्ड स्थापित करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप देने में क्या प्रगति हुई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : मामले पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

अम्बाला के निकट चलती गाड़ियों में चोरियां

373. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, जून और जुलाई, 1964 में अम्बाला तथा अम्बाला छावनी के निकट चलती गाड़ियों में चोरी की कितनी घटनाएं हुईं;

(ख) क्या इस बात का सन्देह है कि उस क्षेत्र में चोरों का एक गिरोह क्रियाशील है ;

(ग) क्या रेलवे सुरक्षा बल ने चोरी की इन घटनाओं की जांच की है; और

(घ) क्या सरकार को इस बात की सूचना मिली है कि चोरी के कुछ मामलों में रेलवे सुरक्षा बल ने जांच के लिये रिपोर्ट दर्ज करने से इंकार किया और यदि हां, तो कितने मामलों में ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) अम्बाला तथा अम्बाला छावनी के निकट चलती गाड़ियों में यात्रियों के निजी सामान की चोरी की 2 घटनायें मई में तथा 2, जून 1964 में हुईं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, नहीं । रेलवे सुरक्षा बल को जांच करने का अधिकार प्राप्त नहीं है । रेलवे सम्बन्धी अपराधों के सब मामलों की जांच करने का उत्तरदायित्व सरकारी रेलवे पुलिस का है ।

(घ) भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए रेलवे सुरक्षा बल द्वारा जांच के लिये इंकार किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारतीय रेलवे में चोरियां

374. श्री बाल्मीकी :
श्री प्र० चं० बरुग्रा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री कृष्णपाल सिंह :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अगस्त, 1963 से लेकर 31 जुलाई, 1964 तक की अवधि के दौरान भारतीय रेलवे में चोरी की कितनी घटनायें हुईं;

(ख) कितने मामलों में चोरी की चीजें बरामद हुईं तथा उनके मालिकों को लौटाई गईं;

(ग) कितने मामलों में अपराधियों को पकड़ लिया गया; और

(घ) क्या चोरी के मामलों की सूचना रेलवे सुरक्षा बल को दी जाती है और वही इनकी जांच पड़ताल करता है अथवा जिस स्थान पर चोरी की घटना होती है वहां की राज्य पुलिस इस कार्य को करती है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 3124.

(ख) 1568.

(ग) 1281.

(घ) चोरी की सब घटनाओं की सूचना सरकारी रेलवे पुलिस को दी जाती है। विधि के अधीन केवल सरकारी रेलवे पुलिस को ही अपराध के मामलों की जांच करने का अधिकार है। रेलवे सुरक्षा बल स्वामी तथा वाहक के रूप में रेलवे सम्पत्ति की चोरी की घटनाओं का लेखा-जोखा रखता है तथा सरकारी रेलवे पुलिस को, जितना सम्भव है, सहायता प्रदान करती है।

ब्रिटेन को चाय का निर्यात

375. **श्री प्र० चं० बरुग्रा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष के प्रथम चार महीनों के दौरान ब्रिटेन को भारतीय चाय का निर्यात गत वर्ष इसी अवधि में किये गये इसके निर्यात की तुलना में कम हुआ है;

(ख) यदि हां, तो कितना कम हुआ; और

(ग) इस कमी के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) जनवरी से अप्रैल, 1964 के दौरान भारत से ब्रिटेन को 12.9 मिलियन किलोग्राम चाय का निर्यात किया गया जब कि 1963 की इसी अवधि में निर्यात की मात्रा 32.5 मिलियन किलोग्राम थी।

(ग) 1963 के दौरान भारत से ब्रिटेन को कुल 135.6 मिलियन किलोग्राम चाय का निर्यात किया गया जब कि 1962 में यह मात्रा 119.9 मिलियन किलोग्राम

थी। गत 5 वर्षों के दौरान 1963 में चाय का सबसे अधिक निर्यात किया गया। इसके परिणामस्वरूप नवम्बर, 1963 से लेकर फरवरी, 1964 के दौरान गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में ब्रिटेन में चाय की मात्रा कहीं अधिक थी जिसके कारण चालू वर्ष के शुरू के महीनों में ब्रिटेन द्वारा चाय का कम आयात किया गया।

आयात की गई कारें

376. { **श्री कपूर सिंह :**
श्री सोलंकी :
श्री बूटा सिंह :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री प्र० चं० बरुग्रा : }

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने आयात की गई कुछ पुरानी कारें 15 जुलाई, 1964 को नीलामी के द्वारा बेची थीं;

(ख) यदि हां, तो कितनी कारें बेची गईं; और

(ग) इस नीलामी में किसी कार का अधिकतम तथा न्यूनतम मूल्य कितना कितना प्राप्त हुआ तथा नयी कारों के मूल्यों की तुलना में ये मूल्य कैसे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) 121 कारें बेची गईं।

(ग) सब से अधिक मूल्य 75,000 रुपये प्राप्त हुआ तथा सबसे कम 1,781 रुपये। चूंकि राजनयिक तथा अन्य विदेशी तकनीकी व्यक्तियों के अतिरिक्त, जो कि विशेष दशाओं के अधीन नयी कारों का आयात कर सकते हैं, इन कारों के आयात पर इस समय पूर्णतया प्रतिबन्ध है। अतः टेंडरों के द्वारा प्राप्त मूल्यों की इन नयी कारों के मूल्यों से तुलना करना कठिन है।

लौह अयस्क का निर्यात

377. **महाराजकुमार विजय आनन्द** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत से जनवरी से जुलाई, 1964 तक की अवधि में लौह अयस्क का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : भारत से 1964 के दौरान निर्यात की गई लौह अयस्क की मात्रा इस प्रकार है :—

भारत (जनवरी–जुलाई, 1964) (गोआ के अतिरिक्त)	25.78 लाख मीट्रिक टन
गोआ (जनवरी–जून, 1964)	32.60 लाख मीट्रिक टन
	58.38

खेतरी तांबा परियोजना

378. महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री यशपाल सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प्र० के० देव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री कर्णीसिंहजी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :

क्या इस्पात और खान मंत्री 5 जून, 1964 को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या 174 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेतरी तांबा परियोजना के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) इस परियोजना पर कुल कितना व्यय होगा ; और

(ग) इस परियोजना को कब तक कार्यान्वित किया जा सकेगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) इस परियोजना सम्बन्धी एक मुख्य काम शैफ्ट की खुदाई है जिस पर परियोजना के सलाहकारों की तकनीकी सलाह से विभागीय अभिकरण के जरिये काम हो रहा है। शैफ्ट कालर्स का खुदाई-कार्य पूरा हो चुका है। उत्पादन शैफ्ट की खुदाई 17 मीटर तक हो चुकी है और सर्विस शैफ्ट की लगभग 8.5 मीटर तक। उत्पादन शैफ्ट में नींव शिला स्तर के नीचे 16.5 मीटर तक ठोस लाइनिंग का काम हो चुका है और सर्विस शैफ्ट में 8 मीटर तक। उत्पादन शैफ्ट के लिये ऊपरी ढांचा नींव के ऊपर 17 मीटर की ऊंचाई तक पक्का हो चुका है। शैफ्ट की खुदाई के लिये कुछ सामान आयात करना होगा। ज्योंही वह प्राप्त हो जाता है और उसे उपयुक्त स्थान पर लगा दिया जाता है, आशा है कि तब शैफ्ट की खुदाई का काम और तेजी से हो सकेगा। कस्बे के एक भाग में निर्माण-कार्य हो रहा है। विभिन्न प्रकार के क्वार्टरों के 62 एककों का काम दिसम्बर, 1963 में पूरा हो गया था। 252 अन्य क्वार्टरों का निर्माण-कार्य 70 प्रतिशत पूरा हो चुका है और शेष काम के नवम्बर, 1964 में पूरा हो जाने की आशा है। जनरल मैनेजर के लिये एक बंगला और उच्च श्रेणी के कर्मचारियों के लिये 46 क्वार्टर बनाये जा रहे हैं और आशा है कि 1964 के अन्त तक पूरे हो जायेंगे, अन्य काम जो हो रहे हैं वह इस प्रकार हैं (1) जल संभरण की व्यवस्था, जिसके लिये एक नलकूप पम्प स्टेशन तथा एक पम्प घर बनाये जा चुके हैं जिनसे निर्माण कार्य के लिये आवश्यक जल मिल सकेगा, (2) संयंत्र क्षेत्र तक जाने वाली सड़क का निर्माण जिसमें पुलों और पुलियों का निर्माण-कार्य भी शामिल है, (3) कस्बे के लिये सेवा जलाशय का निर्माण तथा (4) विद्युत सम्भरण के लिये व्यवस्था।

यह निश्चय किया गया है कि परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार फेर देने वाले स्मैलटर की बजाय एक फ्लैश टाईप का स्मैलटर बनाया जाय ताकि उपोत्पाद में मिलने में सुविधा हो और व्यय में भी बचत हो। इस सिलसिले में निगम की ओर से तकनीकी अधिकारियों का एक दल हैलसिंकी

(फिनलैंड) भेजा गया ताकि वह मेसर्स ओटोकम्पू नामक फिनलैंड की फर्म के साथ प्रारम्भिक बातचीत करें जिस फर्म ने फ्लैश टाईप स्मैलटिंग का तरीका निकाला है। परामर्श शुल्क क्या होगा, फ्लैश स्मैलटर तथा अन्य सम्बद्ध सामान की लागत क्या होगी और इस बारे में जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है। परियोजना में पाईराईट-पाईरोटाईट रोस्टर तथा एक सलफर एसिड का संयंत्र शामिल करके इस के क्षेत्र को बढ़ाने का विचार है। योजना में जो वृद्धि की गयी है उस की दृष्टि से पुनरीक्षित परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिये कार्यवाही की गयी है।

(ख) और (ग) परियोजना के लिये पुनरीक्षित पूंजीगत व्यय तथा पुनरीक्षित समय सूची तैयार की जा रही है।

औद्योगिक पुनर्वास निगम, कलकत्ता

379. **श्री बड़े :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक पुनर्वास निगम, कलकत्ता में केन्द्रीय सरकार के अंश हैं ; और

(ख) क्या यह सच है कि दण्डकारण्य प्रशासन ने सभी प्रकार के सामान व माल के परिवहन के लिए इस निगम को एकाधिकार दे दिया है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) भारतीय औद्योगिक निगम लिमिटेड पर लगी समूची पूंजी भारत सरकार ने लगाई है।

(ख) जी नहीं।

कांगड़ा में सीमेंट कारखाना

380. **श्री हेम राज : क्या उद्योग तथा संभरण** मंत्री 14 फरवरी, 1964 को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या 224 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समलोटी कांगड़ा जिले में एक सीमेंट का कारखाना स्थापित करने के लिए गैर-सरकारी सार्थ को औद्योगिक लाइसेंस कब दिया गया था और उस पार्टी का नाम क्या है ;

(ख) यह लाइसेंस कितनी अवधि के लिये है और सार्थ द्वारा कब तक कारखाना स्थापित किये जाने की संभावना है ; और

(ग) कारखाना स्थापित करने में देरी लगने के क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) से (ग) समलोटी, जिला कांगड़ा में एक सीमेंट कारखाना स्थापित करने के लिये 16 अगस्त, 1963 को मेसर्स सुरेन्द्र (ओवरसीस) प्राईवेट लिमिटेड को औद्योगिक लाइसेंस दिया गया था। चूंकि यह सार्थ योजना को कार्य रूप देने के लिये प्रभावी कदम नहीं उठा सका इसलिये उसने लाइसेंस वापस दे दिया था जो 14 अगस्त, 1964 को रद्द कर दिया गया था।

चाय वाले क्षेत्रों का तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण

381. **श्री हेम राज** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1964-65 के लिये चाय वाले क्षेत्रों के तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) चाय बोर्ड द्वारा जो सर्वेक्षण किये गये थे उनके आंकड़े अभी एकत्र किये जा रहे हैं। बोर्ड द्वारा चालू वर्ष में इस प्रकार का सर्वेक्षण नहीं किया जायेगा।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली रेलवे स्टेशन

382. **श्री राम हरख यादव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्तमान दिल्ली रेलवे स्टेशन का बहुत अधिक विस्तार करने का है ;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस पर अनुमानित व्यय कितना होगा ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) दिल्ली निकट भविष्य में बहुत अधिक विस्तार करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

रेल गाड़ियों के साथ दोहरे जलपान डिब्बे

383. **श्री राम हरख यादव** :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री ेलंकी :
श्री ि० चं० शर्मा :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में रेलवे गाड़ियों के साथ एक नई प्रकार का जलपान डिब्बा लगाने का है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस प्रकार की सेवा यात्रियों के लिये कब तक उपलब्ध हो जायेगी ?

1250 (Ai) LSD—6

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां। एक तजुर्बे के तौर पर यह बड़ी लाइन पर चलने वाली गाड़ियों के साथ लगाया जायगा ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

तजुर्बे के तौर पर बड़ी लाइन पर चलाये जाने वाले जलपान डिब्बों की मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं :—

(1) एक सेट में दो डिब्बे होंगे और प्रत्येक 60 फुट लम्बा और लगभग 35 टन वजन का होगा ।

(2) एक डिब्बे का प्रयोग पूर्णतः जलपान हाल के रूप में किया जायगा जिस में 54 व्यक्तियों के लिये जलपान करने की व्यवस्था होगी। उसी डिब्बे में एक शौचघर, दो हाथ धोने वाले बेसिन तथा दो पैंटरियां (एक शाकाहारियों के लिये और एक मांसाहारियों के लिये) भी होंगी ।

(3) दूसरे डिब्बे में निम्न उपबन्ध होंगे :—

(1) एक शाकाहारी रसोईघर ।

(2) एक मांसाहारी रसोईघर ।

(3) जब गाड़ी खड़ी होती है उस समय शाकाहारी और मांसाहारी रसोईघरों के बीच आने जाने के लिये स्थान और खाने की वस्तुओं को गाड़ी के डिब्बों में ले जाने और वहां देने के लिये थालियों में तैयार रखने के लिये स्थान ।

(4) एक बड़ा स्टोर कमरा ।

(5) शाकाहारियों एवं मांसाहारियों के बरतनों को धोने के लिये अलग अलग स्थान ।

(6) मैनेजर तथा कर्मचारियों के लिये पर्याप्त स्थान ।

(7) एक स्नानगृह तथा एक शौचघर ।

(8) जलपान डिब्बे में एक रैफ्रिजरेटर और वस्तु को गरम करने के लिये डिब्बा रहेगा ।

(9) रसोईघर में गैस से या बिजली द्वारा खाना पकाने की व्यवस्था करने के लिये भी एक प्रस्ताव है ताकि जलपान डिब्बों में धुएं की समस्या न रहे ।

(ग) वर्ष 1966 के आरम्भ में उपलब्ध किये जाने की आशा है

मसालों का निर्यात

384. { श्री श्रीनारायण दास :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या वाणिज्य मंत्री 24 अप्रैल, 1964 को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या 1152 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मसाला निर्यात प्रोत्साहन परिषद् ने मसालों का निर्यात बढ़ाने की दृष्टि से सुविधायें उपलब्ध करने के लिये सरकार को विशेष निर्यात प्रोत्साहन योजना सम्बन्धी आवश्यक आंकड़े दे दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). जी हां । मसाला निर्यात प्रोत्साहन परिषद् द्वारा प्रस्तुत की गयी योजना विचाराधीन है ।

लकड़ी के स्लीपर

385. **श्री काशीराम गुप्त** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह ठीक है कि रेलवे ने छोटी और बड़ी दोनों लाइनों के लिए लकड़ी के स्लीपरों की खरीद के लिए विश्व भर से टेंडर मांगे हैं ;

(ख) क्या यह भी ठीक है कि उन स्लीपरों के लिए भी विश्व भर से टेंडर मांगे गए हैं जिस साइज के स्लीपर इस देश में भी काफी मात्रा में उपलब्ध हैं, और जिन्हें रेलवे खरीद नहीं रही, और यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ; और

(ग) क्या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत रेलवे की स्लीपरों की आवश्यकताओं को स्थानीय साधनों से पूरा करने की संभावना पर विचार किया जायेगा ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) स्थानीय साधनों द्वारा लकड़ी के स्लीपर उपलब्ध न होने के कारण ही विश्व भर से इसके टेंडर मांगे गये । तुलनात्मक रूप में कम मात्रा में ही छोटी और बड़ी लाइनों के विशेष साइज़ों के मजबूत कोटि के स्लीपर ही आयात किये गये ।

(ख) सभी प्रकार के स्लीपरों को रेलवे खरीदती है, राज्य सरकारों के वन विभाग द्वारा दिये गये विशेष साइज के स्लीपर भी रेलवे खरीदती है, क्योंकि रेलवे स्लीपरों का सम्भरण, उत्पादन, वितरण सभी राज्य सरकारों के वन विभागों के हाथ में है । प्रत्येक प्रकार का प्रयत्न किया जाता है कि अधिक स्लीपर यहां से ही लिये जायें ।

(ग) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत स्लीपरों के सम्भरण का जहां तक प्रश्न है, यह प्रस्थापना है कि ठोस स्लीपरों का निर्माण किया जाये, क्योंकि लकड़ी के स्लीपरों का सम्भरण केवल सीमित मात्रा में ही संभव है ।

रेलवे के डिब्बों में धूल

386. श्री द० ब० राजू : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात के प्रयत्न किये गये हैं कि यात्री गाड़ियों को धूल से बचाया जाय ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में स्थिति क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) अल्मोनियम के शटंज लगवा दिये गये हैं और खिड़कियों के किनारों पर हैबड़ लगा दिया गया है जिससे इस्पात की स्टेंडर्ड गाड़ियों में धूल कम आये ।

इसके अतिरिक्त दबाव वाले रौशनदान तथा वायु के पर्दों की व्यवस्था के बारे में भी प्रयोग किये जा रहे हैं । और भी इस बात की जांच की जा रही है कि धूल की शिकायत किस प्रकार कम की जाय ।

खाने वाले तेलों का निर्यात

387. { श्री यशपाल सिंह :
श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री अ० व० राघवन :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारा देश खाने वाले तेल का निर्यात कर रहा है, यदि हां, तो स्थिति विस्तार से क्या है ;

(ख) क्या इस बात की कई दिशाओं से मांग की जा रही है कि इस निर्यात को बन्द कर दिया जाय ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग). 11 जुलाई, 1964 से सभी प्रकार के खाने वाले तेल के निर्यात पर रोक लगा दी गयी है ।

राजधानी में रेलगाड़ियों का देर से पहुंचना

388. { श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राजधानी के दो मुख्य स्टेशनों पर रेलगाड़ियों के निरन्तर देर से पहुंचने से सम्बन्धित दिनांक 18-3-64 के 'स्टेटस्मैन' (पृष्ठ 1) पर प्रकाशित समाचार की ओर गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(ग) इन विलम्बों के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां, यह खबर 'स्टेटस्मैन' के 18-7-64 के अंक में प्रकाशित हुई थी न कि 18-3-64 के अंक में।

(ख) और (ग). यात्री गाड़ियों के देर से चलने के कारण भिन्न भिन्न हैं, उनमें से कुछ पर तो रेलवे नियन्त्रण कर सकती है और कुछ उसके नियन्त्रण से बाहर है। अप्रैल से अगस्त 1964 तक की अवधि में निम्नलिखित कारणों से रेल गाड़ियां समय पर न चल सकीं :—

(i) गर्मियों के समय में, विभिन्न स्थितियों के कारण जैसे कि मुख्य रेल मार्गों पर यात्रियों की बहुत भीड़ भाड़ होना, जिसके परिणामस्वरूप बीच के स्टेशनों पर यात्रियों को लेने के लिए गाड़ियों को रुकना पड़ा, खतरे की जंजीर का अनेकों अवसरों पर प्रयोग किया जाना, अधिक भीड़ भाड़ के कारण डिब्बों की संख्या में वृद्धि करना और जल की कमी अथवा जल प्रवाह के कम होने के कारण इंजिनों का पानी लेने के लिए स्थान स्थान पर रुकना।

(ii) भारी वर्षा, बाढ़ें इत्यादि के कारण रेलवे लाइनों का टूट जाना और गाड़ियों की रफ्तार पर नियन्त्रण का अनिवार्यरूप से रखा जाना ;

(iii) परिचालन सम्बन्धी अन्य बातें जैसे कि सिगनलों का फेल हो जाना, ऐक्सलों का गर्म होना, इंजिनों का रुक जाना, इंजिन आने में देरी हो जाना।

यात्री गाड़ियों के ठीक समय पर चलाने के लिए रेलवे प्रशासन तथा रेलवे बोर्ड दोनों ही पूर्ण रूपेण तथा निरन्तर ध्यान रखते हैं। रेलवे विभाग को कहा गया है कि यात्री गाड़ियों को चलाने सम्बन्धी स्थिति में सुधार करने के लिए वह विशेष प्रयत्न करे और अगस्त, 1964 में यात्री गाड़ियों के आने जाने में सुधार भी हुआ है। यदि बाढ़ों के कारण रेलवे लाइनें स्थान स्थान पर न टूटती तो अगस्त, 1964 में स्थिति और भी अधिक अच्छी रहती।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के लिए परिव्यय

389. श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत रेलवे के लिये कितने परिव्यय की व्यवस्था की गयी है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : रेलवे के बारे में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत की जाने वाली व्यवस्था की रूपरेखा तैयार की जा रही है। देश

के लिए सारी योजना तैयार हो जाने पर ही रेलवे उद्व्यय का निश्चय किया जा सकता है ।

बोकारो इस्पात संयंत्र

390. श्री प्र० र० चक्रवर्ती : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार सरकार ने बोकारो इस्पात संयन्त्र के निर्माण के लिए कितनी भूमि बोकारो स्टील लिमिटेड को दी है और इसके अतिरिक्त और भी भूमि अर्जित करने की आवश्यकता है ;

(ख) क्या इस संयन्त्र के निर्माण के लिए कोई अलग निगम स्थापित किया जायेगा;

(ग) इस समवाय का मुख्यालय किस स्थान पर स्थापित किया जायेगा; और

(घ) संयन्त्र कब तक उत्पादन का कार्य करना आरम्भ कर देगा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीवा रेड्डी) : (क) लगभग 7500 एकड़ भूमि बिहार सरकार ने बोकारो स्टील लिमिटेड को जुलाई, 1964 के अन्त तक हस्तान्तरित कर दी है । बाकी 29300 एकड़ के लगभग भूमि अभी और अर्जित की जानी है ।

(ख) संयन्त्र के निर्माण कार्य के लिए हिन्दुस्तान स्टील वर्क कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के नाम से हाल ही में एक समवाय स्थापित किया गया है जो संयन्त्र की इमारत का काम करेगा ।

(ग) अभी हाल समवाय का मुख्य कार्यालय कलकत्ता में होगा ।

(घ) इमारत की अनुसूची सभी प्राधिकारियों के परामर्श से निश्चित की जायेगी । यह आशा है कि सयन्त्र 1968-69 के अन्त तक उत्पादन का कार्य करना आरम्भ कर देगा ।

बिहार में ऊपरि पुल

391. श्री प्र० र० चक्रवर्ती : क्या रेलवे मंत्री 10 मार्च, 1964 को पूछे गये अता अतारांकित प्रश्न संख्या 1022 के उत्तर के उल्लेख से यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के धनबाद नगर में प्रवेश करने वाली सड़क पर ऊपरि पुल बनाने की प्रस्थापना किस स्थिति में है ; और

(ख) इस परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार किस सीमा तक और किस प्रकार से सहायता करेगी ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख), जो योजना विस्तार के साथ पुल बनाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार को 5-2-1964 को भेजी गयी थी, उसकी स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं हुई है । 10-7-64 को राज्य सरकार को रेलवे ने काम का सारा प्राक्कलन भी भेज दिया है परन्तु अभी तक उसकी स्वीकृति भी प्राप्त नहीं हुई है ।

भांप, डीजल तथा बिजली के इंजन

392. { श्री रामचन्द्र मलिक :
श्री प्र० चं० बरुग्रा :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रथम तीन वर्षों में भाप, डीजल तथा बिजली के इंजनों के निर्माण की स्थिति क्या है, क्या इस दिशा के लक्ष्य चालू योजना के अन्त तक प्राप्त कर लिए जायेंगे ; और

(ख) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस मद के लक्ष्य क्या निर्धारित किये जाने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों में 703 स्टीम इंजिन, 4 डीजल इंजिन और 23 बिजली के इंजिन तैयार किये। योजना में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लेने की पूरी आशा है।

(ख) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इस सम्बन्ध में लक्ष्य निर्धारित करने का कार्य विचाराधीन है और राष्ट्रीय योजना के निर्माण हो जाने के बाद उन्हें अन्तिम रूप दे दिया जायेगा।

ऊन का उद्योग

393. **श्री ज० ब० सिं० बिष्ट** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963 और 1964 का क्रमशः ऊन का आयात करने के लिए कितना विदेशी विनिमय वास्तव में उपलब्ध हुआ और कितनी राशि की अपेक्षा थी ;

(ख) क्या ऊन उद्योग की ओर से सरकार को कोई ऐसा अभ्यावेदन दिया है जिसके परिणामस्वरूप आयात लाइसेंसों में भारी कमी कर दी गयी है और इसके कारण उद्योग के उत्पादन में भी भारी कमी करनी पड़ी है ; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति का मुकाबला करने के लिये सरकार क्या करना चाहती है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) ऊन उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी क्षेत्रों का कच्चा माल देने के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रति वर्ष 17·85 करोड़ रुपये के विदेशी विनिमय की अपेक्षा है।

1963 और 1964 में इस उद्देश्य के लिये निम्न प्रकार से विदेशी विनिमय अलाट किया गया :—

अक्तूबर 1962—सितम्बर 1963 .	*8 करोड़ रुपये
अक्तूबर 1963—सितम्बर 1964 .	5 करोड़ रुपये

*इसमें 50 लाख रुपये का आयात वस्तु विनिमय करार के अनुसार टैरालीन के लिए और एक करोड़ रुपये का निर्यात प्रोत्साहन के लिए रखा गया विदेशी विनिमय इसमें शामिल है।

इसके अतिरिक्त 8·65 करोड़ रुपये का विदेशी विनिमय प्रतिरक्षा वालों की ऊनी आवश्यकताओं के लिए विशेष रूप से दिया गया है।

वर्तमान विदेशी विनिमय की कठिनाइयों को देखते हुए अक्तूबर, 1964 से लेकर—सितंबर, 1965 तक के लिए दो करोड़ रुपये का विदेशी विनिमय अगाऊ रूप से स्वीकृत हुआ है।

(ख) ऊन उद्योग की ओर से समय समय पर विदेशी विनिमय के काफी न होने के संबंध में अभ्यावेदन सरकार के पास आते रहते हैं।

(ग) (1) सरकार ने यह निर्णय किया है कि केवल कच्चा माल ही ऊन के रूप में आयात्त किया जाय ताकि निर्धारित की गयी राशि के अन्तर्गत माल अधिक मात्रा में आयात हो सके ;

(2) यह भी प्रयत्न किया जा रहा है कि टैरालीन, एक्टैलिक इत्यादि चीजों के उत्पादन के लिए अधिक लाइसेंस दिये जायें ताकि उन्हें ऊन के साथ मिला कर प्रयोग में लाया जाय।

(3) यह भी प्रयत्न किया जा रहा है कि आयात की हुई ऊन के स्थान पर भारतीय ऊन का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाय। इस उद्देश्य के लिए ऊन उद्योग को सभी सुविधायें दी जा रही हैं।

Derailment of goods train near Malarna Station

394. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Yashpal Singh :
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri B. N. Kureel :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a goods train was derailed near Malarna Station between Gangapur and Sawai Madhopur in the first week of July;

(b) if so, the number of cement bags loaded in it and the number of bags found damaged respectively;

(c) whether it is also a fact that hundreds of those cement bags were sold in the market; and

(d) if so, the action taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath): (a) The accident occurred on 10-7-64 between Mokohli and Malarna stations.

(b) The number of bags loaded in the derailed wagons was 7183. Of these, 2994 bags were not damaged. Of the remaining, 3483 bags were salvaged and their valuation is in progress. Contents of 706 bags were lost due to:—

(i) the bags getting torn while falling from a height of over 30 feet on the rocky river bed, and the contents getting mixed up with sand and debris ;

(ii) intermittent rains resulting in contents of some bags being damaged by water.

(c) and (d). No such report has been received. Enquiries made from the police authorities also confirm this.

Railway Service Commissions

395. { **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Railway Service Commissions have been set up for Western, Central and Eastern Railways for the recruitment of Class III and IV staff for the Railways ;

(b) if so, the number of Members on each Railway Commission;

(c) whether these Commissions include any Scheduled Caste and Scheduled Tribe Member; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Railway Service Commissions have been set up at Allahabad, Bombay, Calcutta and Madras for recruitment of Class III staff on Indian Railways. The Bombay Commission caters to the needs of recruitment for the Central and Western Railways and the Calcutta Commission, for the Eastern Railway in addition to certain other Railway Administrations. In the case of Class IV posts, recruitment is made by Railway Administrations themselves at Divisional/District level by duly constituted Selection Boards.

(b) Three (including Chairman) on Bombay, Calcutta and Madras Commissions and Two (including Chairman) on Allahabad Commission for the present.

(c) There is no Scheduled Caste or Scheduled Tribe Member at present on the Bombay and Calcutta Commissions, but the Chairman of Allahabad Commission belongs to the Scheduled Caste Community.

(d) It is not obligatory that the Railway Service Commissions must include a Scheduled Caste/Tribe Member. In fact, whoever is appointed as Member of Railway Service Commission has to ensure that selections are carried out impartially irrespective of whatever community he hails from. Indents are placed by Railways taking into account the percentage reservation prescribed for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and all that the Commission have to see is that suitable candidates from these communities upto the number stipulated by the Railway are selected.

Corruption among Catering Department Personnel of Northern Railway

396. **Shri Balmiki :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of personnel of Catering Department on the Northern Railway who were found involved in corruption cases upto date;

(b) the categories to which they belonged;

(c) whether it is also a fact that the Crime Intelligence Bureau of the Northern Railway takes considerable time to investigate into such cases; and

(d) if so, the action proposed to be taken to prevent such long delays in investigation?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) 38.

(b) (i) Unit Catering Managers.

(ii) Bill Issuing and Accounts Clerks.

(iii) Store Issuers.

(iv) Vendors.

(v) Cooks.

(c) The Crime Intelligence Bureau of Northern Railway does not tackle corruption cases. Such cases are dealt with by the Railway Vigilance Organisation. There had been no avoidable delays in investigation of these cases.

(d) Does not arise in view of reply to (c) above.

विशाखापटनम का जिंक संयंत्र

397. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश की सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सरकारी क्षेत्र में विशाखापटनम् में जिंक संयंत्र लगाने का आवेदन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीवा रेड्डी) : (क) जी हां ।

(ख) इस संयंत्र को किस स्थान पर लगाया जाय इस मामले के विस्तार अध्ययन के लिए मामला पुनः वापिस आया है । समिति के प्रतिवेदन का परीक्षण किया जा रहा है । इस मामले में सरकार शीघ्र ही कोई अन्तिम निर्णय करेगी ।

कटनी-बिलासपुर (दक्षिण पूर्वी रेलवे) भाग पर दुर्घटना

398. **श्री अ० सिं० सहगल** :
श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्री राम हरख यादव :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्वी रेलवे के भाग कटनी-बिलासपुर लाइन पर 24 जून 1964 को एक माल गाड़ी के पटरी से उतरने के कारण कोई दुर्घटना हुई है ;

(ख) क्या यह भी ठीक है कि इसी भाग पर 20 जून 1964 को भी एक दुर्घटना हुई ;

(ग) यदि हां, तो इन दोनों दुर्घटनाओं के कारण प्रत्येक में जान और माल की कितनी हानि हुई ;

(घ) क्या इन दुर्घटनाओं के कारणों की जांच करने के लिए कोई आदेश जारी किया गया है, यदि हां, तो उसका परिणाम क्या है ; और

(ङ) इस प्रकार की दुर्घटनायें आगे को न हों, इसके लिए सरकार क्या पग उठा रही है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) जान और माल की हानि का, दोनों दुर्घटनाओं में लगाया गया अनुमान निम्न प्रकार से है :—

दुर्घटना की तिथि	जान की हानि	रेलवे के माल की हानि रु०
20–6–64	3	3,07,00,000
24–6–64	..	1,51,00,000

(घ) रेलवे अधिकारियों की समितियों ने दोनों दुर्घटनाओं की जांच की है । उन के निष्कर्ष के अनुसार 20–6–64 वाली दुर्घटना कर्मचारियों की कमी के कारण हुई ।

अन्य दुर्घटना जोकि 24–6–64 को हुई, का कारण मशीनरी का काम न करना था और स्थायी मार्ग का टूट जाना था ।

(ङ) कर्मचारियों में सुरक्षा की भावना का निर्माण करने की दृष्टि से विशेष अभियान चलाया जा रहा है । और इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि मशीनरी को ठीक तरह से रखा जाना चाहिए ।

धली राजहारा से नारायणपुर तक रेलवे लाइन

399. श्री अ० सिं० सहगल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह ठीक है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने इस बात की सिफारिश की है कि धली राजहारा से नारायणपुर तक रेलवे लाइन का निर्माण किया जाय ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसे चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया जा रहा है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां ।

(ख) चतुर्थ योजना के अन्तर्गत जिन रेलवे लाइनों के निर्माण का कार्य शामिल किया जा रहा है, वे अभी विचाराधीन है और उन के बारे में योजना आयोग से परामर्श किया जा रहा है । परन्तु धन की कमी के कारण इस लाइन के निर्माण के कार्य को उस में सम्मिलित करने की संभावना बहुत कम है ।

उत्तर रेलवे के यात्रियों को सुविधायें

400. श्री दलजीत सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के जालन्धर-होशियारपुर, जालन्धर-पठानकोट तथा रोपड़-नांगल बांध लाइनों के रेलवे स्टशनों पर 1963-64 के बीच रेलवे यात्रियों को सुविधायें देने के लिए कुल कितनी राशि खर्च की गयी है ; और

(ख) स्टेशनवार क्या क्या सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) 1963-64 में तीन भागों पर यात्री सुविधायों के लिए खर्च की गयी राशि का ब्योरा निम्न प्रकार से है :--

भाग	राशि
जालन्धर-होशियारपुर . .	3000 रुपया
जालन्धर-पठानकोट	3200 रुपये
रोपड़--नागल बांध .	--

(ख) 1 होशियारपुर	प्रतीक्षालय के कमरों में फ्लशों के शौचालय और स्नानागार की व्यवस्था
2. चक्की बैंक .	स्टेशन को मिलाने वाली सड़क
3 चौलांग . .	शौचालय
4. जालन्धर नगर . .	(i) फ्लश के शौचालय और पेशाबघर, प्लेट फार्म संख्या 5 पर स्नानागार ।
	(ii) प्लेट फार्म लाइन के लिए पानी की व्यवस्था ।
5 पठानकोट .	(i) पर्यटक प्लेट फार्म पर शैड ।
	(ii) माल ले जाने वाली सड़क का निर्माण तथा माल के प्लेट फार्म के सुधार का काम ।

नांगल बांध पर हैवी इलैक्ट्रिकल फैक्टरी

401. **श्री दलजीत सिंह** : क्या उद्योग तथा संभरण मंत्री 14 फरवरी, 1964 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 187 के उत्तर के उल्लेख से यह बताने की कृपा करेंगे कि नांगल बांध पर हैवी इलैक्ट्रिकल फैक्टरी को स्थापित करने के लिए लाइसेंस देने के आवेदन पत्र पर कोई निर्णय कर लिया गया है ?

उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री गि० ना० सिंह) : पंजाब सरकार ने इस बात का आवेदन पत्र दिया था कि पटियाला अथवा नांगल में भारी बिजली के सामान निर्माण करने के कारखाने को स्थापित करने के लिए लाइसेंस दिया जाय । इस दिशा में जो भी योजना थी उसमें कुछ बातें विस्तार से नहीं कही गयी थी । राज्य सरकार से यह निवेदन किया गया है कि वह पुनरीक्षित योजना पुनः विचारार्थ प्रस्तुत करे । उसकी प्रतीक्षा की जा रही है ।

जूतों का निर्यात

402. **श्री दलजीत सिंह : क्या उद्योग तथा सम्भरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963 के वर्ष में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा कितनी राशि के जूतों का निर्यात किया गया है; और

(ख) विगत वर्षों के मुकाबले में यह स्थिति क्या है ?

उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख). राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड ने 1963 में कुल 77.82 लाख के जूतों का निर्यात किया है जब कि 1962 में यह निर्यात 50.63 लाख की राशि का था।

वातानकूलित डिब्बे (वेस्टीबूल)

403. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई वातानुकूलित डिब्बों को अर्जित किया जा रहा है; और

(ख) क्या इसका निर्माण भारत में किया जा सकता है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) ये देश में निर्माण होने लगेंगे, परन्तु निर्माण करने और वातानुकूलित बनाने वाला सामान आयात करना होगा।

लेमन ग्रास तेल बोर्ड

404. **श्री अ० व० राघवन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक लेमनग्रास तेल बोर्ड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) अन्य उत्पादक देशों की बढ़ती हुई प्रतिस्पर्द्धा तथा सिंथेटिक सिटरल के दबाव का सामना करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी नहीं।

(ख) लेमन ग्रास तेल के विकास तथा निर्यात के बारे में सरकार को परामर्श देने के लिये लेमनग्रास विकास तथा निर्यात परामर्शदात्री समिति बनाई गई है।

समिति लेमनग्रास की खेती तथा साफ करने के तरीकों में सुधार करने के उपायों पर विचार कर रही है ताकि लेमनग्रास तेल की किस्म में सुधार किया जा सके और इसकी उत्पादन लागत को कम किया जा सके और यह सिंथेटिक सिटरल तथा अन्य देशों के लेमनग्रास तेल से बखूबी प्रतिस्पर्धा कर सके।

केरल में पैकेज पेपर मिल

405. **श्री अ० व० राघवन** : क्या उद्योग तथा सम्भरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सहयोग से केरल में एक पैकेज पेपर मिल स्थापित करने का निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह कहां स्थापित किया जायेगा; और

(ग) यह कब तक चालू हो जायेगा ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र): (क) एक गैर-सरकारी समवाय को पक्की लकड़ी से क्राफ्ट लाइनर तथा मीडिया पेपर बनाने के लिये एक मिल स्थापित करने के लिये लाइसेंस दे दिया गया है। कनाडा की फर्मों से सहयोग प्राप्त होने का अनुमान है परन्तु लाइसेंसधारी द्वारा अभी अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) अंगामली, एरनाकुलम ।

(ग) चूंकि सहयोग सम्बन्धी समझौते को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, अतः यह बताना सम्भव नहीं है कि यह कारखाना कब चालू होगा ।

आस्ट्रेलिया को निर्यात

406. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलिया को इंजीनियरिंग तथा औद्योगिक वस्तुएं निर्यात करने के बारे में अभी हाल में बातचीत हुई है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने माल के लिये क्रियादेश प्राप्त किये गये हैं; और

(ग) किन विशेष वस्तुओं के निर्यात के लिये आदेश प्राप्त हुए हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) भारत तथा आस्ट्रेलिया के बीच व्यापार तथा आर्थिक सहयोग बढ़ाने के बारे में आस्ट्रेलिया की सरकार के प्रतिनिधियों से अभी हाल में बातचीत हुई है। उस अवसर पर भारत से आस्ट्रेलिया को इंजीनियरिंग तथा औद्योगिक वस्तुओं के निर्यात के प्रश्न पर भी चर्चा हुई थी।

(ख) और (ग). इस बातचीत का, जो खोज के तौर पर की गई थी, उद्देश्य ऐसे क्षेत्रों का पता लगाना था जिनमें दोनों देशों के बीच निर्यात बढ़ाया जा सके या नई वस्तुओं का निर्यात किया जा सके। इसलिये इस बातचीत के परिणामस्वरूप किसी वस्तु के निर्यात के बारे में आदेश दिये जाने की आशा नहीं है।

शीघ्र ही अधिक विस्तार में बातचीत होने वाली है।

रेलगाड़ियों का यात्रा समय

407. **डा० पं० शा० देशमुख** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने ज़ोन-वार भारतीय रेलवे की मुख्य डाक तथा एक्सप्रेस गाड़ियों का यात्रा समय कम करने के लिये एक योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) और (ख). गाड़ियों का यात्रा समय कम करने के लिये कोई विशेष योजना नहीं है, परन्तु समय-सारिणी के अर्ध-वार्षिक पुनरीक्षण के समय रेलवे प्रशासनों द्वारा जहां तक संभव हो यात्रा समय कम करने की कोशिश की जाती है। यात्री गाड़ियों को रेल की पटरी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अधिकतम सीमा के भीतर अनुमति प्राप्त गति पर बुक किया जाता है। भारतीय रेलवे पर ट्रंक मार्गों तथा मुख्य लाइन से सैक्शनों पर, ऐसे सैक्शनों को छोड़ कर जहां बहुत अधिक उतार-चढ़ाव तथा मोड़ हों, बड़ी लाइन पर 60 मील प्रति घण्टा और मीटर गेज़ लाइन पर 45 मील प्रति घण्टा की गति से चलने की अनुमति है। डाक तथा एक्सप्रेस गाड़ियां पहले से ही अधिकतम गति से थोड़ी कम गति पर बुक की जाती हैं। अतः महत्वपूर्ण गाड़ियों की बुक्ड गति को बढ़ा कर यात्रा समय में कमी करना सम्भव नहीं है।

फिर भी रेलवे ऐसे हाल्टों को जहां पर डाक अथवा एक्सप्रेस गाड़ी के रुकने के लिये यातायात पर्याप्त नहीं है, समाप्त करके तथा स्टेशनों पर गाड़ियों के रुकने के समय को अधिकाधिक कम करके यात्रा समय कम करने के लिये भरसक प्रयत्न करती है। परन्तु रेलवे के प्रयत्न निम्न कारणों से कुछ सीमा तक प्रभावहीन हो जाते हैं।

(एक) डाक तथा एक्सप्रेस गाड़ियों को अधिक स्थानों पर रोकने के बारे में बार बार की जाने वाली मांगें;

(दो) अधिक संख्या में सीधे जाने वाले डिब्बों की व्यवस्था के लिये मांगें जिससे शंटिंग के कारण अधिक समय तक गाड़ी रोकनी पड़ती है; और

(तीन) ऐसे सैक्शनों तथा स्टेशनों पर जहां रेलवे पटरी अथवा सिगनलों को बदला जा रहा है या उनमें सुधार किया जा रहा है गाड़ियों की गति को कुछ समय के लिये सीमित करने की आवश्यकता। समय सारिणी में इस प्रकार का उपबन्ध करना पड़ता है।

रेल यात्रियों का तंग किया जाना

408. श्री क० ना० तिवारी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 जुलाई, 1964 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित दिल्ली मुख्य स्टेशन पर कुलियों तथा टैक्सी चालकों द्वारा यात्रियों के तंग किये जाने सम्बन्धी लेख की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस मामले में क्या कदम उठाने का विचार है?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) प्रश्न में निर्दिष्ट लेख की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है।

(ख) विवरण संलग्न है ।

विवरण

दिल्ली मुख्य स्टेशन पर निम्नलिखित व्यवस्था की गई है ताकि कुली तथा टैक्सी चालक यात्रियों को तंग न कर सकें :—

(एक) नोटिस बोर्डों पर कुलियों द्वारा सामान ढोने जाने की दरें लिखी जाती हैं और उनकी जानकारी समय समय पर और प्लेटफार्म पर गाड़ी के आने के तुरन्त बाद भी लाउडस्पीकरों द्वारा दी जाती है ।

(दो) कुलियों को अपने बाजू पर अपना लाइसेंस नम्बर मुख्य रूप से प्रदर्शित करने का आदेश है और लाइसेंस-प्राप्त कुलियों तथा सुपरवाइजरी स्टाफ दोनों के विरुद्ध इस आदेश का पालन न किये जाने के मामले में कार्यवाही की जाती है ।

(तीन) निरीक्षकों तथा अन्य सुपरवाइजरी स्टाफ की सहायता से कई बार विशेष अभियान चलाये जाते हैं जिनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कुली यात्रियों को तंग न करें ।

(चार) एक हेड कांस्टेबल तथा चार कांस्टेबल अधिक भीड़ के समय केवल मोटर यातायात को नियंत्रित करने के लिये तथा यह सुनिश्चित करने के लिये कि टैक्सी चालक अपनी गाड़ियां लाइन में खड़ी करके यात्रियों को बिठायें तैनात किये जाते हैं ।

(पांच) लाउडस्पीकर पर समय समय पर यह घोषणा की जाती है कि परिवहन साधन प्राप्त करने में कठिनाई होने की दशा में वहां पर तैनात पुलिस अधिकारी की सहायता प्राप्त की जा सकती है ।

Travelling Ticket Examiners

409. **Shri Yogendra Jha :** Will the Minister of **Railways** be plaesed to state :

(a) Whether he is aware that there is a great discontentment among the Travelling Ticket Examiners because they are not recognised as running staff;

(b) Whether it is a fact that this question has been pending for consideration by the Railway Board since long;

(c) Whether Government have now taken any decision on this question;

(d) if so, the nature thereof; and

(e) if not, when the decision is likely to be taken?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) to (e). The question of treating Travelling Ticket Examiners as Running Staff was raised several times in the past. Government considered the question but they did not agree to Travelling Ticket Examiners being treated as Running Staff. The same question came up before both the Pay Commissions but they did not recommend this. Only such categories of staff as are directly in charge of and responsible for running trains are treated as Running Staff.

सोयाबीन तेल का आयात

410. { श्री दे० जी० नायक :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री हेम राज :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पी० एल०—480 के अन्तर्गत अमरीका से एक लाख टन सोयाबीन तेल आयात किया जाना है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक आने की आशा है, और इसका किस प्रकार वितरण किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) पी० एल० 480 के अन्तर्गत अमरीका से 75,000 टन सोयाबीन का तेल आयात करने का निणय किया गया है ।

(ख) तेल सीधे वनस्पति घी निर्माताओं द्वारा, जैसे ही सम्भव होगा, आयात किया जायेगा ।

कागज उद्योग

411. { श्री विभूति मिश्र
श्री क० ना० तिवारी

क्या उद्योग तथा संभरण मन्त्री 29 नवम्बर, 1963 के अतारांकित प्रश्न संख्या 797 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कागज उद्योग की अपने उत्पादों की कीमतों को बढ़ाने की मांग की जांच कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख) इस मामले पर अभी विचार किया जा रहा है ।

धातु आयात लाइसेंस

412. { श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयातकों को धातु आयात लाइसेंस जारी करने में हुई अनावश्यक देरी के कारण उन उद्योगों को काफी हानि हुई है जिन्हें धातुओं की आवश्यकता पड़ती है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) जी नहीं । पुराने आयातकों तथा वास्तविक प्रयोग कर्ताओं को उनकी अर्जियों की प्राप्ति के एक मास के अन्दर धातुओं को आयात करने

1250 (Ai) L.S.—7.

सम्बन्धी लगभग सभी लाइसेंस जारी कर दिये गये थे कुछ मामलों में जिनमें आयातकों से अर्जियों के सम्बन्ध में कुछ स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना था, उस जानकारी के प्राप्त होने के तुरन्त बाद उनको लाइसस जारी कर दिये गये थे।

चाय उद्योग

413. **श्री हेम राज** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चाय उद्योग के विकास तथा इसके वित्तीय पहलु की जांच करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस समिति में उत्तर-पश्चिम क्षेत्र के, जसके अन्तर्गत बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पंजाब आते हैं, गैर-सरकारी चाय उद्योग के प्रतिनिधि नहीं लिये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भिलाई इस्पात संयंत्र

414. **श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक भिलाई इस्पात सन्यन्त्र में 20 लाख टन का उत्पादन लक्ष्य पूरा किया जायेगा ; और

(ख) इस सन्यन्त्र में वर्ष 1963-64 की तुलना में वर्ष 1964-65 के अन्त तक विभाग बार विवरण सहित प्रगति क्या होगी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) चालू वित्तीय वर्ष में इस्पात पिंडों का उत्पादन लक्ष्य 2 लाख मीट्रिक टन नहीं अपितु 12.78 लाख मीट्रिक टन रखा गया है।

(ख) एक तुलनात्मक विवरण नीचे दिया गया है:—

उत्पाद	वर्ष 1963-64 में वास्तविक उत्पादन	वर्ष में 1964-65 में अनुमानित निर्धारित उत्पादन
1. कच्चा लोहा (कुल) .	1.296	1.375
2. इस्पात पिंडों . .	1.143	1.278
3. विक्रय के लिये 'बिलेट' . .	0.218	0.375
4. परिरियां तथा ढांचे . .	0.386	0.400
5. व्यापारी विभाग	0.282	0.284

लोहे की नालीदार चादरें

415. { श्री पु० रं० पटेल :
श्री हेमराज :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी : }

क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों के लिये वर्ष 1963–64 और 1964–65 के लिए लोहे की नालीदार चादरों के सम्भरण का कोटा निर्धारित किया गया है ; और

(ख) वर्ष 1963–64 और 1964–65 में विभिन्न राज्यों को अब तक कितना वास्तविक सम्भरण किया गया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) वर्ष 1963–64 और 1964–65 में किसी भी प्राधिकार को लोहे की नालीदार चादरों (जस्ती नालीदार चादरें) का कोई नया कोटा नहीं दिया गया है। तथापि प्रत्येक राज्य के स्टाकिस्टों को उनके बकाया 'आर्डरों' को पूरा करने के लिये कुछ चादर भेजी गईं। वर्ष 1963–64 और 1964-65 में विभिन्न राज्यों को स्टाकिस्टों को भेजी गई जस्ती नालीदार चादरों की मात्रा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है [पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०—3092/64]

झुंड कांडला रेल

416. **श्री पु० रं० पटेल** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झुंड-कांडला रेलवे के निर्माण कार्य में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या इस लाइन को पूरा करने के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ): (क) भूमि अर्जन सम्बन्धी कार्यवाही आरम्भ की गई है और कर्मचारियों तथा सामान की व्यवस्था करने आदि प्रारम्भिक कार्य चालू है ताकि वर्षा ऋतु के तुरन्त बाद वास्तविक निर्माण कार्य आरम्भ हो सके।

(ख) अभी कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित नहीं की गई है। इस परियोजना के अन्तर्गत एक पुल तथा रान आफ कच्छ क्रासिंग की लगभग 6 किलो मीटर की चौड़ाई पर विशेष प्रकार के किनारों का निर्माण किया जायेगा, जिसमें कम से कम 4 वर्ष लगेंगे। परियोजना पूरी करने में यह एक महत्वपूर्ण बात होगी।

मैसूर में भूतत्वीय सर्वेक्षण

417. **श्री बासप्पा** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने मैसूर राज्य के गदोह शिराहट्टी और मन्दागिरि को कप्पत रेंज में सोने के लिये कोई सर्वेक्षण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण का क्या परिणाम रहा ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) उस क्षेत्र में प्रति टन अयस्क में औसतन 3.1 से 4.2 ग्राम सोना मिलता है जो कि बहुत कम या साधारण मात्रा मानी जाती है। किसी किसी स्थान पर 8 से 10 ग्राम प्रति टन सोना भी मिल जाता है।

Railway Stations in Bikaner Division

418. **Shri P. L. Barupal:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of new railway stations in Bikaner Division about the construction of which requests were made and the location thereof; and

(b) the names of stations which will be accorded priority for construction and the time by which they are likely to be completed?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) (a) and (b): Requests for construction of 5 new stations as detailed below were received, and their orders of priority is as under—

1. Khaireka on Sirsa—Baragudah Section.
2. Aulant on Nangal Mandi—Dahinazenabad Section.
3. Nangal Pathani on Jatusana—Kosli Section.
4. Hiranwali on Dholipal—Hanumangarh Section.
5. Salemgarh Masani on Sherekhan—Tibi Section.

These are all likely to be completed by 31-3-1966.

Overbridges and underbridges in Bikaner Division

419. **Shri P. L. Barupal:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(*a*) whether it is a fact that a scheme was formulated for the construction of over-bridges and underbridges over railway crossing in the Bikaner Division of the Northern Railway and the local municipal corporation, City Development Committee, trade organisations and the District Congress Committee had submitted protest letters against the implementation of the said scheme and if so, whether the scheme has been held up for the time being; and

(*b*) whether Government propose to shift the present railway line outside the city and if so, the time by which this work will be completed?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath): (a) In a meeting held at Bikaner on 21-12-61 between the representatives of the Ministry of Railways and the Government of Rajasthan it was decided to construct two road overbridges (one near Bikaner Station and the other on Hospital Road) to reduce the difficulties presently experienced by the public. Subsequently there have been representations from the public as well as from the State Government against the proposed scheme, and as sush the scheme could not yet be finalised.

(b) No, Sir. If, however, the State Government desire to shift the existing railway line, the entire cost of shifting as well as loss of earnings to the Railway will have to be borne by them under the extant rules. It is estimated that shifting of the line is likely to cost more than a crore of rupees.

Steel Plant in Madhya Pradesh

420. { **Shri Chandak :**
Shri R. S. Pandey:

Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(*a*) Whether it is a fact that big deposits of high quality iron ore are available in the Bastar area of Madhya Pradesh;

(*b*) whether Government are considering a proposal to establish one more steel plant in Madhya Pradesh and if so, the progress made in this regard;

(*c*) whether any project report has been called for from the Madhy Pradesh Government; and

(*d*) whether the Madhya Pradesh Government have sent any project report and if so, the steps being taken in this regard?

The Minister of Steel & Mines (Shri N. Sanjiva Reddy) : (*a*) Yes, Sir?

(*b*) Yes, Sir. In this connection, a Technical Committee has alread examined the feasibility report on a steel plant in the Visakhapatanam—Bailadilla are a alongwith other sites and made certain recommendations. These recommendations are at present under consideration of the Government.

(*c*) and (*d*):No Project report has been called for from the Madhya Pradesh Govt. A note on the feasibility of an iron and steel plant in the Bastar District was, however, received from the Madhya Pradesh Government. The points made therein would be kept in view while taking a final decision about the location of the new plant.

Carbonisation Plant

421. **Shri Chandak :** Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state:

(*a*) whether the Madhya Pradesh Government have sent any scheme to the Central Government in regard to the setting up of a low temperature carbonisation plant;

(*b*) if so, whether that scheme has been considered or is being considered; and

(*c*) whether this plant will be set up in the private or public sector and if so when?

The Minister of Steel and Mines (Shri N. Sanjiva Reddy) (a) to (c) : The Government of Madhya Pradesh had sent up a proposal to set up a low temperature carbonisation plant at Ghoradongri during the III Plan. This proposal, like several other proposals for setting up low temperature carbonisation plants in the public sector, however, could not be implemented for want of financial resources. The State Government was informed accordingly. No fresh proposal in the matter has so far been received from the Government of Madhya Pradesh, for being considered in the IV Plan.

राजस्थान में सीमेंट के कारखाने

422. श्री कर्णी सिंहजी : क्या उद्योग तथा संभरण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राजस्थान में गैरसरकारी क्षेत्र में कुछ सीमेंट के कारखाने स्थापित करने सम्बन्धी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख) हाल ही में एक आवेदन पत्र बम्बई के गिरधारीलाल झुनझुनवाला से नीम का थाना / पिपर रोड/ सुजात/ आबू रोड पर 90 हजार टन वार्षिक उत्पादन क्षमता के लिये लाइसेंस प्राप्त करने और जिला उदयपुर में दरौली स्थान पर 4 लाख टन वार्षिक उत्पादन क्षमता का एक सीमेंट कारखाना खोलने के लिये बम्बई के मेसर्स हिन्दुस्तान सूगर मिल्स लिमिटेड से एक अन्य आवेदन पत्र प्राप्त हुआ और दोनों आवेदन पत्रों पर विचार हो रहा है ।

रेल के फाटक

423. श्री कर्णी सिंहजी : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत चार वर्षों के दौरान, अर्थात् 1 अप्रैल, 1960 से लेकर 31 मार्च, 1964 तक, सादुलपुर और बीकानेर (उत्तर रेलवे) के बीच कितने रेल के फाटकों पर सुरक्षार्थ रेलवे कमचारी रख दिये गये हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ) : 1 अप्रैल, 1960 से लेकर 31 मार्च, 1964 तक की अवधि के दौरान सादुलपुर और बीकानेर के बीच 16 रेल के फाटकों पर सुरक्षार्थ रेलवे कर्मचारी रखे गये हैं ।

विद्युत वस्तुओं का निर्माण

424. श्री बाल गोविन्द वर्मा : क्या उद्योग तथा संभरण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत में विद्युत् वस्तुओं का निर्माण करने के लिये जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी के साथ एक संविदा करने का है ;

(ख) संविदा का स्वरूप तथा अनुमानित लागत क्या होगी ;

(ग) किस प्रकार की विद्युत् वस्तुओं का निर्माण किया जायेगा ; और

(घ) उत्पादन के कब प्रारम्भ किये जाने की आशा है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) से (ग) सरकार ने अमेरिका की इन्टर नेशनल जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी से कहा है कि वह एक नया भारी विद्युत् वस्तुओं का सन्यन्त्र स्थापित करने की व्यवहार्यता का अध्ययन करे और अपना प्रारम्भिक प्रस्ताव प्रस्तुत करे । इसमें मुख्यतया बड़ी टरबाइनों का निर्माण किया जायेगा । निर्माण की जाने वाली वस्तुओं तथा अनुमानित लागत आदि के सम्बन्ध में अन्य ब्यौरे उक्त कथित प्रतिवेदन के प्राप्त हो जाने के पश्चात् ही उपलब्ध हो सकेंगे ।

पूर्व रेलवे के हावड़ा-मुगलसराय खंड का विद्युतीकरण

425. श्री बांक : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे के हावड़ा-मुगलसराय खण्ड के विद्युतीकरण का कार्य कितना पूरा हो गया है ;

(ख) सरकार को इस सम्पूर्ण रेलमार्ग पर कब से विद्युत् कर्षण द्वारा यात्री गाड़ियों को चलाने की आशा है ;

(ग) क्या यह सच है कि हावड़ा–बर्दवान खंड पर डी० सी० बिजली से रेलगाड़ियां चलती हैं जब कि अन्य खण्डों पर ए० सी० बिजली से रेलगाड़ियां चलाई जाती हैं ;

(घ) यदि हां, तो यह विषमता किस प्रकार दूर की जायेगी ; और

(ङ) हावड़ा–बर्दवान खंड पर डी० सी० बिजली के स्थान पर ए० सी० बिजली से रेल-गाड़ियों को चलाने की व्यवस्था करने में कितना रुपया व्यय होगा?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ): (क) हावड़ा–बांदेल-बर्दवान खंड का 3000 वोल्ट्स डी० सी० पर और वारिया (दुर्गापुर)–गया–मुगलसराय खंड का 25 किलो-वोल्ट्स ए० सी० पर विद्युतीकरण किया जा चुका है । बर्दवान-वारिया (दुर्गापुर) और शक्तिगढ़ डम डम (बरास्ता कौर्ड) —चितपुर यार्ड खण्डों पर विद्युतीकरण का कार्य किया जा रहा है और उन पर मार्च, 1965 तक विद्युत व्यवस्था हो जाने की आशा है ।

(ख) चतुर्थ योजना के लगभग मध्य में विद्युत् चालित यात्री गाड़ियों को चलाने का प्रस्ताव है ।

(ग) और (घ) जी, हां, परन्तु हावड़ा–बांदेल, –बर्दवान खंड पर 3000 वोल्ट्स डी० सी० के स्थान पर 25 किलो वोल्ट्स डी० सी० विद्युत प्रणाली की व्यवस्था की जा रही है और यह कार्य निम्नलिखित दो प्रक्रमों में हो रहा है :

		परिवर्तन की निर्धारित तिथि
प्रथम प्रक्रम	—बर्दवान—बांदेल	जनवरी, 1965
द्वितीय प्रक्रम	—बांदेल—हावड़ा; श्योराफूली — तारकेश्वर ब्रांच	मार्च, 1967

3,000 वोल्ट्स डी० सी० प्रणाली के विद्युत् उपकरणों का, जैसे कि ओवरटैड इक्विपमेन्ट, स्विचिंग एण्ड बूस्टर ट्रांसफार्मर, स्टेशनों, सिगनल तथा दूरसंचार यंत्र आदि और अनेक डिब्बों वाली विद्युत् कोचों का, रूपान्तर किया जा रहा है जिससे कि वे 25 किलोवोल्ट्स ए० सी० प्रणाली के लिये उपयुक्त हो सकें ।

(ङ) 3000 वोल्ट्स डी० सी० से 25 किलोवोल्ट्स ए० सी० में परिवर्तन करने में 4 करोड़ 8 लाख रुपये की शुद्ध लागत आने का अनुमान है । यह भी अनुमान लगाया जाता है कि इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप परिचालन में अधिक सुगमता होने के अतिरिक्त परिचालन की लागत में भी बचत होगी तथा विद्युतीकरण की दो प्रणालियों की होने में चालक शक्ति में जो आवश्यक परि-वर्तन करने की आवश्यकता होती है वह भी नहीं रहेगी ।

विद्युदग्रों[1] का निर्माण

426. **श्री चांडक** : क्या **उद्योग तथा सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने कारखाने विद्युदग्रों का निर्माण कर रहे हैं ;

(ख) उनकी वार्षिक क्षमता कितनी है तथा वे कितने रुपये का वार्षिक उत्पादन करते हैं ;

(ग) कितने रुपये के कच्चे माल का आयात किया जाता है;

(घ) कच्चे माल के आयात को न करने अथवा उसे कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) क्या वर्तमान निर्धारित क्षमता 1964–66 तक की देश की आवश्यकता को पूर्णतः पूरा करने के लिये पर्याप्त है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र): (क) अनुसूचित क्षेत्र में आठ । छोटे पैमाने के कारखानों के बारे में जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है ; जानकारी एकत्रित की जायेगी तथा प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) उनकी कुल क्षमता लगभग 26 करोड़ रनिंग मीटर प्रति वर्ष की है । 1963 में तथा 1964 में जून के महीने तक हुआ उत्पादन तथा उसका मूल्य निम्नलिखित है :—

1963—43 करोड़ 50 लाख रूपये के मूल्य के लगभग 17 करोड़ 40 लाख रनिंग मीटर ।

1964—29 करोड़ 20 लाख रुपये के मूल्य के लगभग (जून तक) 11 करोड़ 60 लाख मीटर ।

(ग) विशेष विद्युदग्रों के लिये विषेष इस्पात, निकल के तार, फासफोरस ब्रोंज, तार आदि जैसे कच्चे माल और एम० एस० तथा विशेष विद्युदग्रों के लिये अपेक्षित रसायनों का आयात निम्न प्रकार किया गया है :—

	लाख रुपये
अक्टूबर, 1963—मार्च, 1964 . .	23.5
अप्रैल 1964—सितम्बर, 1964 . . .	32.74

(घ) विद्युदग्रों की नरम इस्पात की झालक छड़ों का अब तक आयात किया जाता था परन्तु अब भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा देश में ही उनका निर्माण किया जा रहा है और उनका आयात बन्द कर दिया गया है ।

(ङ) विद्यमान क्षमता के अतिरिक्त कुछ और क्षमता की स्थापना के लिये मंजूरी दे दी गई है । विद्यमान क्षमता तथा मंजूर की गई क्षमता दोनों मिलकर मांग को पूर्णतः पूरा करने के लिये पर्याप्त होंगी ।

[1]Electorodes

आविष्कार संवर्धन बोर्ड

427. **श्री यांडक** : क्या उद्योग तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अविष्कार संवर्धन बोर्ड के लिये वर्ष 1963–64 के लिये कितने रुपये का वार्षिक अनुदान मंजूर किया गया था;

(ख) इसी वर्ष में अविष्कार संवर्धन बोर्ड ने प्रबन्ध सम्बन्धी व्यय कितना किया था; और

(ग) इसी वर्ष के दौरान आविष्कार संवर्धन बोर्ड ने (1) पुरस्कारों और (2) अविष्कारकर्त्ताओं को वित्तीय सहायता पर कितना कितना रुपया व्यय किया था ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) 2,71,750 रुपये ।

		रु०
(ख)	कार्यालय का किराया	19,360
	विद्युत शुल्क	1,825
	टेलीफोन	2,212
	टिकटें, स्टेशनरी तथा अन्य कार्यालय उपकरण	25,662
	अधिकारियों का वेतन	56,659
	अन्य कर्मचारियों का वेतन	37,289
	महंगाई भत्ता, तथा अन्य भत्ते	32,863
	अवकाश वेतन, निवृति वेतन तथा सामान्य भविष्य निधि अंशदान	14,777
		1,90,647

		रुपये
(ग)	पुरस्कार	12,500
	वित्तीय सहायता	46,855

केरल में नई रेलवे लाइनें

428. श्री कान्तन नायर :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री नम्बियार :
श्री इम्बीचिबावा :
श्री अ० व० राघवन :
श्री पोर्टकाट्ट :
श्री ब. सुदेवन नायर :

रेलवे

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने यह प्रार्थना की है कि अगले कुछ वर्षों के दौरान छः नयी लाइनों का निर्माण किया जाये तथा दो विद्यमान लाइनें को दुहरा किया जाये ;

(ख) देश की कुल रेल की लाइनों की कितने प्रतिशत रेल की लाइनें इस समय केरल में हैं ; और

(ग) केरल में प्रति एक हजार व्यक्तियों के लिये कितने मील लम्बा रेल मार्ग है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) रेलों सम्बन्धी जानकारी केवल रेलों के ज़ोनों के हिसाब से रखी जाती है । और इसलिये राज्यवार जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

सतपुड़ा में कोयले के रक्षित भंडार

429. **श्री विश्वनाथ पांडेय** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के सतपुड़ा क्षेत्र में कोयले के भारी रक्षित भण्डार पाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) अब तक सतपुड़ा क्षेत्र के पाठाखेड़ा कोयला क्षेत्र में निम्न श्रेणी के 5 करोड़ 60 लाख टन कोयले के रक्षित भण्डार के होने का पता लगा है ।

(ख) पाठाखेड़ा में प्रति वर्ष 4 लाख 50 हजार टन कोयले का उत्पादन करने के लिये राष्ट्रीय कोयला विकास निगम वहां पर एक कोयले की खान का विकास कर रहा है । इस कोयले का उपयोग वहां पर स्थापित किये जाने वाले एक तापीय विद्युत् बिजलीघर द्वारा किया जायेगा । इस बिजली घर की प्रारम्भिक क्षमता 1966–67 तक 300 मैगावाट होगी । बाद में यह क्षमता 600 मैगावाट तक बढ़ा दी जायेगी ।

देहरादून से डाकपठार और कालसी तक रेल की लाइन

430. **श्री विश्वनाथ पांडेय :**
श्री बें० ना० कुरील :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे प्राधिकार ने देहरादून से लेकर डाकपठार और कालसी तक रेल की एक बड़ी लाइन बनाने के लिये मंजूरी दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब प्रारम्भ किया जायेगा । तथा इस योजना की कुल लागत कितनी होगी ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ) : (क) जी, नहीं । केवल प्रारम्भिक इंजीनियरी तथा यातायात सम्बन्धी सर्वेक्षण के लिये मंजूरी दी गई है जिसका सम्पूर्ण व्यय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जायेगा ।

(ख) सर्वेक्षणों के पूरा हो जाने तथा निर्माण की लागत के राज्य सरकार द्वारा जमा कर दिये जाने के पश्चात् ही वास्तविक निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सकता है ।

बम्बई मद्रास जनता एक्सप्रेस में डाका

431. { **श्री विश्वनाथ पांडेय :**
श्री बै० ना० कुरील :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 21 जुलाई, 1964 को डाकुओं का एक गिरोह होतकी रेलवे स्टेशन पर बम्बई-मद्रास जनता एक्सप्रैस गाड़ी में चढ़ गया तथा डाकू एक व्यापारी और उसकी युवा साली को बेहोश करके उस महिला के जेवरातों को लेकर भाग गये; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) पुलिस की एक रिपोर्ट के अनुसार, होतगी रेलवे स्टेशन पर 2 अज्ञात व्यक्ति बम्बई-मद्रास जनता एक्सप्रैस के एक तीसरी श्रेणी के डिब्बे में घुस गये जिस में कि एक व्यापारी तथा उसकी साली यात्रा कर रहे थे और वे लोग उस महिला के शरीर से सोने की 3 अंगूठियां उतार कर भाग गये। इस बात को साबित करने के लिये कोई सबूत नहीं मिला कि व्यापारी तथा उसके साथ वाली महिला को बेहोश कर दिया गया था ।

(ख) शोलापुर की सरकारी रेलवे पुलिस इस मामले की जांच कर रही है । रेलों में तथा रेलवे परिसरों में अपराधों का पता लगाने और उनको रोकने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है । रेलों में अपराधों के प्रभावी नियंत्रण के लिये राज्य पुलिस के साथ निकट सम्पर्क तथा सहयोग स्थापित किया जाता है ।

अलीगढ़-बरेली यात्री गाड़ी में हुई एक घटना

432. { **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री राम हरख यादव :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 19 जून, 1964 को बबराला रेलवे स्टेशन पर एक भारी जन-समूह ने अलीगढ़—बरेली यात्री गाड़ी के चालक तथा फायरमैन को घायल कर दिया था ;

(ख) यदि हां, तो यह घटना किन कारणों से घटित हुई थी; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) और (ख). जी, हां । 19 जून, 1964 को बबराला रेलवे स्टेशन पर अलीगढ़-बरेली यात्री गाड़ी के पहुंचने पर गाड़ी को खचाखच भरी हुई देखकर बहुत से तीर्थ यात्री बिना टिकटें लिये ही डिब्बों की छतों पर चढ़ गये। उस समय कार्य पर लगे स्टेशन मास्टर ने लोगों को छत से उतरने के लिये प्रेरित करने का प्रयत्न किया परन्तु वह निष्फल रहा । पुलिस के हस्तक्षेप करने पर जनसमूह ने हिंसात्मक रवैया अपना लिया तथा सिपाहियों को मारा पीटा । भीड़ में से कुछ लोगों ने रेलगाड़ी पर पत्थर फेंकने प्रारम्भ कर दिये जिस के परिणाम स्वरूप चालक तथा एक फायरमैन को थोड़ी चोटें आईं ।

(ग) जिला बदायूं के गन्नौड़ की नागर पुलिस ने एक सब-इंसपैक्टर के अधीन पुलिस का एक दस्ता स्टेशन स्थित पुलिस की सहायता के लिये भेजा । लोगों की हिंसक भीड़ को तितर-बितर करने के लिये पुलिस द्वारा हवा में एक गोली दागे जाने के पश्चात् स्थिति नियंत्रण में आ गई थी। सरकारी रेलवे तथा नागर पुलिस दोनों ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया । भारतीय दंड संहिता की धारा 147/323/332 के अधीन एक मामला दर्ज कर लिया गया है और इसकी जांच की जा रही है। नागर पुलिस प्राधिकारियों से प्रार्थना की गई है कि ऐसे अवसरों पर वे पुलिस दल की संख्या में वृद्धि कर दिया करें।

कालका मेल का रेल की पटरी से उत्तर जाना

433. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 30 जून, 1964 को पूर्व रेलवे के गया मुगलसराय के दुहरी रेलवे लाइन वाले खंड पर अनुग्रह नारायण रोड और सोन नगर स्टेशनों के बीच 'अप हावड़ा—दिल्ली—कालका मेल का इंजन रेल की पटरी से नीचे उत्तर गया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे; और

(ग) इसके परिणाम स्वरूप कितनी हानि हुई थी ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी, हां ।

(ख) लाइन के कमजोर हो जाने के कारण यह दुर्घटना हुई थी ।

(ग) अनुमान है कि रेलवे सम्पत्ति को लगभग 11,200 रुपये की क्षति हुई थी ?

Derailment near Raipur on S. E. Railway

434. { **Shri B. N. Kureel:**
Shri Vishwa Nath Pandey:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a goods train proceeding from Nagpur to Bilaspur on the Raipur-Bilaspur section of the South-Eastern Railway derailed, 4 miles away from Raipur on the 14th July, 1964 and ten wagons were damaged as a result thereof; and

(b) If so, the reasons of the accident and the value of the property damaged?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath): (a) On 14-7-64 while a down goods train from Bhilai Marshalling Yard to Bilaspur was approaching Urkura Block Hut, the train engine and 11 wagons next to it derailed.

(b) The accident was due to the driver of the goods train disregarding the reception signals of Urkura Block Hut.

The cost of damage to railway property was assessed at approximately Rs. 1,48,168/-.

Derailment of Goods Train

435. { **Shri B. N. Kureel:**
Shri Vishwa Nath Pandey:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that 507 UP goods train derailed between Sarai Kaisarai and Janghai Stations on Varanasi-Pratapgarh Section of the Northern Railway on the 20th July, 1964 and four wagons were damaged as a resullt thereof; and

(d) if so, the reasons therefor and the damage caused to the Railway property?

The Deputy Minister in the Ministry in Railways (Shri Sham Nath): (a) Four wagons on goods train No. 507 UP derailed between Sarai Kansarai and Janghai stations.

(b) The accident was due to failure of mechanical equipment.

The cost of damage to railway property was assessed at approximately Rs. 1,03,000/-.

Theft of cloth on N.E. Railway

436. { **Shri Ram Harkh Yadav:**
Shri Vishwa Nath Pandey:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that some bales of cloth were stolen on the night of the 14th June, 1964 between Yusufpur and Dhondadih stations on the North Eastern Railway;

(b) if so, the value of the goods stolen; and

(c) the steps taken by government in this connection?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes.

(b) Rs. 6,000/- approximately.

(c) On receipt of information about the occurrence of the theft, prompt action was taken by Railway Protection Force in collaboration with the Government Railway Police and District Police and property worth Rs. 4,500/-approximately was recovered. 7 accused persons were arrested. The case is still under investigation by Government Railway Police Ballia.

New Rail Lines in M.P.

437. { **Shri Bade**
Shri Yashpal Singh:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the areas of Madhya Pradesh proposed to be included in the Fourth Five Year Plan for construction of new railway lines;

(b) whether it is proposed to lay new railway lines in the scheduled areas keeping in view the development of those areas; and

(c) whether the Government of Madhya Pradesh have suggested the inclusion of Western Neemar area, where cotton and groundnut are grown in abundance in the Fourth Plan for the construction of new railway lines?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath): (a) and (b) Proposals of new railway lines to be constructed in the Fourth Plan have not yet been finalised. Hence it is premature at this stage to say if any railway lines will be taken up for construction in the suggested areas.

(c) No suggestion from the Government of Madhya Pradesh for construction of railway lines in the Western Neemar area in the Fourth Plan period has been received so far.

मेरठ के निकट मालगाड़ी और ट्रक की टक्कर

438. { श्री राम चन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या रेलवे मंत्री 2 जून, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 95 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6 मई, 1964 को मेरठ सिटी के निकट हुई एक मालगाड़ी और ट्रक की टक्कर के सम्बन्ध में नियुक्त की गई जांच समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या ब्यौरे हैं और सरकार ने इस दिशा में क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी, हां ।

(ख) जांच समिति ने कार्य पर तैनात चौकीदार तथा ट्रक चालक दोनों ही को इस दुर्घटना के लिये उत्तरदायी ठहराया है ।

चौकीदार के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है ।

रेल के डिब्बों का निर्माण

439. { श्री राम चंद्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या रेलवे मंत्री 7 अप्रैल, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 937 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रेल के डिब्बों का निर्माण करने के हेतु एक कर्मशाला स्थापित करने के सम्बन्ध में परियोजना प्रतिवेदन इस बीच तैयार हो गया है, और

(ख) यदि हां, तो परियोजना की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

रेलवे मत्राल में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) इस मामले की जांच करने के लिये जो अधिकारी नियुक्त किया गया था उसने अपना प्रारम्भिक परियोजना प्रतिवेदन अभी अभी पूरा किया है जिस पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) चतुर्थ योजना, जो कि इस समय तैयार की जा रही है, की आवश्यकताओं के तय हो जाने के पश्चात् ही एक उपयुक्त परियोजना की मुख्य मुख्य बातों का निर्णय किया जा सकता है ।

उत्तर रेलवे के लेखा विभाग के कर्मचारी

440. **श्री गुलशन** : क्या रेलवे मंत्री 5 मई, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2824 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए, कि सरकारी कर्मचारियों की एक बार निर्धारित की गई वरिष्ठता में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उत्तर रेलवे के लेखा विभाग के श्रेणी (एक) के कर्मचारियों की वरिष्ठता निर्धारित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : उत्तर प्रदेश सरकार के एक व्यक्तिगत कर्मचारी की वरिष्ठता निर्धारित करने के मामले में अलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय उत्तर रेलवे के लेखा विभाग के श्रेणी के कल्कों पर लागू नहीं है ।

कोयला का उत्पादन

441. **श्री बलजीत सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1 जुलाई, 1963 से 30 जून, 1964 तक सरकारी क्षेत्र में कितना कोयला निकाला गया ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): 122.11 लाख मेट्रिक टन ।

न्यूयार्क में विश्व मेला

442. **श्री बडे** ।
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री इ० मधुसूदन राव :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्रीमती रेणुका बड़कटकी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यूयार्क में हो रहे विश्व मेले में सरकार द्वारा भारतीय मण्डप पर अब तक कुल कितना धन व्यय किया गया ।

(ख) इस मण्डप में कुल कितने की भारतीय वस्तुएं बिकीं ;

(ग) विज्ञापन पर कितना व्यय किया गया ;

(घ) औसत रूप से प्रतिदिन कितने व्यक्ति भारतीय मण्डप को देखने आ रहे हैं; और

(ङ) वहां पर काम करने वाले कर्मचारियों पर प्रति मास कितना धन व्यय हो रहा है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) विदेशी मुद्रा में किया गया कुल व्यय लगभग 87,75,290 रु० के बराबर है और भारत में किया गया व्यय 1,41,082 रु० है ।

(ख) 90,55,743 रु० । 45 लाख रुपये के माल के संभरण के लिये भी बातचीत जोर शोर से चल रही है । इस के अतिरिक्त 211 व्यापार संबंधी पूछ ताछ भारतीय निर्माताओं निर्यातकों के विचाराधीन हैं ।

(ग) 1,53,442 रुपये ।

(घ) काम के दिन औसत 20,000 है और सप्ताहांत और छुट्टी के दिनों में औसत 30,000 से 35,000 तक है ।

(ङ) 1,16,000 रु० ।

न्यूयार्क में विश्व मेला

443. **श्री जो० ना० हजारिका** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राज्य मंत्रियों ने न्यूयार्क विश्व मेला देखा है ; और

(ख) जो राज्य मंत्री मेला देख कर आये हैं क्या उन्हों ने केन्द्रीय सरकार को मेले के सम्बन्ध में अपने विचार भेजे हैं ।

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) श्रीमन् दो ।

(ख) जी, हां । भारतीय मंडप में रखी हुई मुलाकाती पंजी में उन्होंने बड़े प्रशंसात्मक विचार लिखे हैं ।

अमरीका और कैनाडा को चाय का निर्यात

444. { **श्री जो० ना० हजारिका** :
श्रीमती ज्योत्सना चंदा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय चाय अमरीका और कैनेडा में अधिकाधिक लोकप्रिय होती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले महीनों में इन देशों को भारतीय चाय के निर्यात में कितनी वृद्धि हुई ; और

(ग) अगले वर्ष में इन देशों के लिए निर्यात का क्या लक्ष्य रखा गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) जी, हां ।

(ख) जनवरी–जून 19' 3 की अपेक्षा जनवरी जून 1964 में समस्त देशों को भारतीय चाय के निर्यात में 170 लाख किलो ग्राम की कमी हुई । फिर भी अमरीका और कैनेडा को चालू वर्ष के पहले 6 महीनों में चाय का निर्यात उतना ही रहा जितना कि जनवरी-जून 1963 में । जून के बाद इन दो देशों को चाय का निर्यात बढ़ रहा है और आशा है कि वर्ष के अन्त तक यह निर्यात वर्ष 1963 की अपेक्षा काफी अधिक होगा ।

(ग) कोई लक्ष्य नहीं रखे गये हैं ।

वाणिज्यिक क्लर्क

445 { **श्री ओंकारलाल बेरवा :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वाणिज्य क्लर्क यद्यपि स्टेशन का हिसाब किताब और पक्का चिट्ठा तैयार करते हैं फिर भी उन्हें परिशिष्ट (दो) क और (तीन)-क परीक्षाओं में बैठने की आज्ञा नहीं दी जाती ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इस विषय पर अपील करने और ज्ञापन पत्र देने के बावजूद भी इन परीक्षाओं के लिये उनकी पात्रता पर विचार नहीं किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) ये केवल विभागीय परीक्षाएं हैं और रेलवे लेखा विभाग के उन क्लर्कों के लिये विहित हैं जो उस विभाग में उच्चतर स्थानों पर पदोन्नति के लिये अर्हता पाना चाहते हैं । इसलिये केवल लेखा विभाग के कर्मचारियों को ही इन परीक्षाओं में बैठने दिया जाता है न कि रेलवे के अन्य विभागों के कर्मचारियों को जो कि अपने कार्य के एक भाग के रूप में उन विभागों के प्रारम्भिक लेखे तैयार करते हों । इन परीक्षाओं में बैठने की अनुमति के लिये रेलवे के अन्य विभागों के कर्मचारियों से भी कुछ व्यक्तिगत प्रार्थनाएं आई हैं, परन्तु उपरोक्त कारणों की वजह से उन्हें स्वीकार नहीं किया गया था ।

उत्तर रेलवे के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले

446. { **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1963 में उत्तर रेलवे के कुछ राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध विशेष पुलिस स्थापना द्वारा भ्रष्टाचार और अननुपातिक आस्तियों के कुछ मामलों की जांच की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो कितने मामलों में अधिकारी दोषी पाये गये और उन्हें दण्ड दिया गया ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां, 1963 में विशेष पुलिस स्थापना ने 5 राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट दर्ज की। इन अधिकारियों के विरुद्ध यह अपराध था कि इनके कब्जे में अननुपातिक आस्तियां थीं।

(ख) 5 मामलों में से 2 पर विभागीय कार्यवाही की जा रही है, एक पर अभी विशेष पुलिस स्थापना द्वारा जांच की जा रही है और दो को छोड़ दिया गया है।

रेलवे कर्मचारियों के काम के घंटे

447. **श्री उ० मू० त्रिवेदी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणी के दैनिक काम के घंटों में कोई परिवर्तन करने का सुझाव है ;

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर ; और

(ग) कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों के लिये अधिक से अधिक प्रतिदिन कितने घंटे निर्धारित किये गये हैं ?.

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

नार्थ फ्रंटियर रेलवे पर रेलगाड़ियों का पटरी से उतर जाना

448. **श्रीमती ज्योत्स्ना चंदा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नार्थ फ्रन्टियर रेलवे पर बदरपुर-लम्डिंग पहाड़ी क्षेत्र में पिछले 6 महीनों में कितनी रेलगाड़ियां पटरी से उतरी हैं ;

(ख) क्या सरकार इससे अवगत है कि गाड़ियां प्राय मैलांगडिसा हंरगाजाओ स्टेशनों के बीच ही पटरी से उतरती हैं ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) 15-2-64 से 15-8-64 की 6 महीने की अवधि में लम्डिंग बदरपुर पहाड़ी क्षेत्र पर 13 गाड़ियां पटरी से उतरीं।

(ख) और (ग) ये घटनाएं में लोंगडिसा हरेगाजाओ क्षेत्र पर अधिक होती हैं क्योंकि वहां पर चढ़ाई सब से अधिक खड़ी है —37 में 1।

(घ) रेलगाड़ी के डिब्बों के गहन परीक्षण, चालकों के विशेष प्रशिक्षण, रफ्तार संबंधी निबंधन लागू करने फुट प्लेटों के थोड़े थोड़े समय बाद परीक्षण करने आदि के लिये इस समय जो हिदायतें दी जाती हैं उनके अतिरिक्त लम्डिंग, बदरपुर पहाड़ी क्षेत्र के संबंध में जो और कदम उठाये जा रहे हैं वे निम्न हैं :—

(एक) चूंकि अधिकांश दुर्घटनाएं वक्रों पर हुई हैं इसलिये आवश्यक सर्वेक्षण के बाद वंक्रों के पुनः पंक्तिबन्धन के प्रबंध किये गये हैं।

(दो) हाल ही में लम्डिंग पर गर्त रेखा का विस्तार किया गया है जिससे कि पहाड़ी क्षेत्र पर जाने वाले माल डिब्बों का अच्छी तरह से परीक्षण किया जा सके ।

केन्द्रीय रेलवे पर समपार

449. **श्री मा० ल० जाधव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई-आगरा रोड पर नासिक-रोड और कल्यान स्टेशनों के बीच केन्द्रीय रेलवे पर कितने समपार हैं ;

(ख) क्या इन समपारों पर भारी यातायात को नित्य प्रति बहुत अधिक समय के लिये कई बार रोका जाता है ;

(ग) सड़क यातायात की इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या इन समपारों पर ऊपरि पुल बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) तीन--बम्बई से 53/8, 70/51-52 और 95/12 मील पर ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) रेलवे अपनी नीति के अनुसार भीड़ वाले वर्तमान समपारों के स्थान पर सड़क के ऊपरि/नीचे के पुलों का निर्माण तब ही करती जब कि राज्य सरकार/सड़क प्राधिकार इन योजनाओं का प्रयोजन न करें और पुल के पहुंच मार्ग बनाने की लागत वहन न करें । नासिक रोड और कल्यान स्टेशनों के बीच 3 प्रश्नास्पद समपार महत्व वाले राष्ट्रीय राजपथ पर हैं । इस लिये महाराष्ट्र सरकार ने चालू योजनावधि में इन समपारों पर सड़क के ऊपरी/नीचे पुलों के प्रस्तावों की स्वीकृति (जिसमें वित्तीय आवंटन भी शामिल है) के लिये केन्द्रीय परिवहन मंत्रालय को लिखा था । राज्य सरकार ने अगस्त, 1964 में सूचना दी है कि चालू योजनावधि में निधियों की कमी के कारण इन ऊपरी पुलों का निर्माण संभव नहीं होगा ।

इन समपारों पर यातायात के अधिक समय तक रुकने के बारे में कोई शिकायतें नहीं आई हैं ।

कराई कुड्डी, मद्रास में कोयले की परतें

450. **श्री उमानाथ** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास में कराईकुड्डी क्षेत्र में पाये गये कोयले का परीक्षण कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो परीक्षण का क्या परिणाम निकला ; और

(ग) इसके निकालने की क्या संभावनाएं हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) जी, हां ।

(ख) लिगनाइट 3 सेंटीमीटर तक की मोटाई के बन्धकों के रूप में पाया गया था । इसका कोई आर्थिक महत्व नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दुर्गापुर में कच्चे लोहे का संयंत्र

451. **श्री राम चन्द्र मलिक** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार दुर्गापुर परियोजना लिमिटेड के अधीन दुर्गापुर में एक कच्चे लोहे का संयंत्र स्थापित करने के लिये सिद्धांत रूप से सहमत हो गई है ;

(ख) संयंत्र की उत्पादन क्षमता क्या होगी ; और

(ग) परियोजना के किस समय तक तैयार हो जाने की आशा है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल सरकार के उपक्रम दुर्गापुर प्राजेक्ट्स लिमिटेड का आरम्भ में कच्चा लोहा बनाने के लिये सौ-सौ टन की दो धमन भट्टियां स्थापित करने का विचार था । उन्हें सूचना दे दी गई थी कि ब्योरों के तैयार होने के पश्चात् प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जायेगा । अब ऐसा समझा जाता है कि प्रति वर्ष कम से कम 300,000 टन कच्चे लोहे के उत्पादन के लिये दुर्गापुर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड एक संयंत्र लगाने के बारे में विचार कर रहा है । इसके अतिरिक्त इस संयंत्र द्वारा इस्पात तैयार किया जायेगा और कम से कम 30,000 टन लोहा प्रतिवर्ष ढाला जायेगा । इस संयंत्र द्वारा लक्ष्य पूरे हो सकेंगे या नहीं इस बारे में एक प्रतिवेदन भी मांगा गया है । इस बारे में विस्तृत प्रस्ताव आने वाले हैं । यदि परियोजना अनुमोदित कर ली गई तो विस्तृत ब्योरों के प्राप्त होने के पश्चात् ही यह पता लग सकेगा कि यह परियोजना कब तक तैयार हो सकेगी ।

ट्रैक्टर और सवारी गाड़ी की टक्कर

452. **श्री राम चन्द्र मलिक** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 5 जून, 1964 को लाडोवाली रोड पर एक रेलवे फाटक बिना चौकीदार वाले पर नकोदर से आ रही एक सवारी गाड़ी एक ट्रैक्टर से टकरा गई ;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति मारे गये और घायल हुये ;

(ग) क्या दुर्घटना की कोई जांच की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके ब्योरे क्या हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां। दुर्घटना जमशेरकास और जालन्धर स्टेशनों के बीच एक बिना चौकीदार वाले फाटक पर हुई ।

(ख) दो व्यक्ति मारे गये और एक को थोड़ी चोट आई ।

(ग) और (घ) मामले पर रेलवे अधिकारियों द्वारा जांच की गई थी जिसके अनुसार दुर्घटना का कारण यह बताया जाता है कि ट्रैक्टर चालक ने उस समय फाटक पार करने का प्रयत्न किया जब कि गाड़ी बिल्कुल निकट आ गई थी ।

जापान से वस्त्र मशीन का क्रय

453. { **श्री नि० रं० लास्कर** :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वस्त्र मशीन खरीदने के लिए ऋण देने के बारे में जापान सरकार से कोई करार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो जापान से आयात की जाने वाली प्रस्तावित मशीन किस-किस प्रकार की हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) ऋण की व्यवस्था अन्तिम रूप से कर ली गई है। करार राज्य व्यापार निगम तथा जापानी वस्त्र मशीन निर्माता संस्था के बीच शीघ्र ही हो जायेगा।

(ख) जापान से निम्न प्रकार की मशीनों का आयात किए जाने की संभावना है :—

(क) सूती कपड़ा उद्योग

1. बलोरुम मशीन
2. ड्रा फ्रेम, स्पीड फ्रेम तथा डब्लर वाइन्डर्स
3. ओटोमैमिक लूम
4. कैलेंडर

(ख)) ऊनी कपड़ा उद्योग

1. वर्सटेड रिंग फ्रेम
2. वूलन रिंग स्पिनिंग फ्रेम
3. वर्सटेड कार्ड
4. वूलन कार्ड
5. वाइन्डिंग, डबलिंग तथा टविस्टिंग फ्रेम
6. स्पिनिंग प्रिपरेटरी मशीन
7. वीविंग प्रिपरेटरी मशीन
8. लूम ओटोमैटिक तथा सैमी-ओटोमैटिक
9. रैग रिपरिंग मशीन
10. गारनेट मशीन
11. कार्ड रुम असैसरीज
12. टैटरिंग मशीनें
13. कैरैबिंग मशीनें
14. शिपरिंग मशीनें
15. डैकाटाजिंग मशीनें
16. ब्रुशिंग मशीनें
17. रेजिंग मशीनें
18. रेजिन क्यारिंग मशीनें
19. शिरकिंग मशीनें
20. हाइड्रो एक्सट्रैक्टर मशीन
21. बोगोरेयो प्रिंटिग मशीन
22. डैम्पिग मशीन तथा डयूइंग मशीन
23. क्लाथ प्रेस
24. वूल वाशिंग मशीन, कार्बनाइजिंग मशीन, तथा स्कूरिंग मशीन
25. रग शेकर
26. फैंसी टविस्टर
27. यूनिवर्सल टविस्टिंग मशीन

हावड़ा-ग्रामता छोटी रेलवे

454. श्री मुहम्मद इलियास : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हावड़ा-ग्रामता छोटी रेलवे के प्राधिकार ने पश्चिम बंगाल में छोटी रेलों को बन्द करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) से (ग) एक विवरण संबद्ध है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. —3093/64]।

रेलवे कर्मचारी

455. श्री नम्बियार : क्या रेलवे मंत्री 5 मई, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 1315 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी रेलवे प्रशासनों के उन कर्मचारियों को रेलवे बोर्ड के आदेशानुसार पुनः सेवा में रख लिया है जिनको भारतीय रेलवे संस्थान संहिता खंड 1 के नियम 148 तथा 149 के अधीन सेवामुक्त कर दिया गया था तथा जिनको पुनः सेवा में रखने के संबंध में 5 दिसम्बर, 1963 को उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला दे दिया था ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

रेलवे मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) 25-8-1964 को जिन भूत-पूर्व रेलवे कर्मचारियों ने पुनः सेवा में रखने के लिये आवेदन दिया तथा जिनको सेवा में रखे जाने के उपयुक्त पाया था, की संख्या 161 है। इन में से 127 व्यक्तियों को पुनः सेवा में रखने के आदेश रेलवे बोर्ड ने दे दिए हैं तथा सूचनानुसार उन में से 69 सेवा में आ गए हैं। अन्य मामलों में अन्तिम निर्णय लेने में विलम्ब दो कारणों से हुआ है। एक सेवा में वापस रखने के आवेदन पत्र देर से मिलना तथा (दो), विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों से उनके उचित रिकार्ड मिलने पर उनकी जांच करना।

लुम्डिग तथा डिब्रूगढ़ के बीच रात में रेलगाड़ियों का चलना

456. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के लुम्डिग तथा डिब्रूगढ़ के बीच रात में रेलगाड़ियां कब से चलने लगेंगी ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : सुरक्षात्मक कार्यवाहियों के कारण पूर्वोत्तर सीमा रेलवे लुम्डिग मरियानी सैक्शन पर केवल यात्री गाड़ियों को रात में चलाना बन्द किया गया है। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की व्यवस्था करने के बाद यथासंभव शीघ्र इस सैक्शन पर यात्री गाड़ियां पुनः चलाई जाने लगेंगी। रेलवे के मरियानी डिब्रूगढ़ नगर सैक्शन पर दिन तथा रात दो समय में रेलगाड़ियां चलती हैं।

रेलवे ट्रेनिंग स्कूल

457. श्री तनसिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ट्रेनिंग स्कूल में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिये एक केन्द्रीय संस्था स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है जिससे उनकी किस्म सुधारी जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक स्थापित हो जाने की आशा है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) क्योंकि मामला अभी विचाराधीन है इसलिये अभी यह नहीं बताया जा सकता है कि प्रस्ताव पर अन्तिम रूप से कब तक निर्णय हो जायेगा ।

रेलवे दुर्घटनायें

458. श्री तन सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे की बड़ी तथा मीटरगेज लाइनों पर होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या में बड़ा अन्तर है ;

(ख) इस अन्तर के क्या कारण हैं ; और

(ग) विशेषकर मीटरगेज लाइन पर स्थिति को सुधारने की दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) गाड़ी की दस लाख किलोमीटर यात्रा के हिसाब से बड़ी लाइन की अपेक्षा मीटरगेज लाइन पर दुर्घटनाओं की संख्या अधिक है ।

(ख) इस अन्तर का कारण पटरी तथा उपकरण की किस्मों तथा संचालन स्थिति का भिन्न-भिन्न होना है ।

(ग) सब संभव कदम, जिनमें पटरी को मजबूत बनाना, इंजनों तथा डिब्बों आदि को ठीक हालत में बनाये रखना, प्रभावशाली ढंग से गाड़ियों का मुआइना, रेल कर्मचारियों को अच्छा प्रशिक्षण देना तथा सुरक्षा प्रचार तथा प्रत्येक व्यक्ति से सम्पर्क स्थापित करके कर्मचारियों में सुरक्षा के प्रति अधिक उत्साह पैदा करना शामिल हैं, मीटरगेज लाइन पर स्थिति में सुधार करने के लिये रेलवे प्रशासन द्वारा उठाये जा रहे हैं ।

औरंगाबाद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड

459. श्री द्वारका दास मंत्री : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औरंगाबाद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड, औरंगाबाद (महाराष्ट्र राज्य) आजकल बन्द है ;

(ख) क्या महाराष्ट्र राज्य ने इस सम्बंध में कोई सुझाव दिया है ; और

(ग) उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) टेक्सटाइल आयुक्त की सलाह से सरकार मामले की जांच कर रही है ।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स

460. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या उद्योग तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स में निकट भविष्य में टाइमपीस बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्योरा क्या है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

एच० एम० टी० द्वारा घड़ियों का निर्माण

461. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या उद्योग तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एच० एम० टी० ने अब तक देश में कुल कितनी हाथ की घड़ियों का निर्माण किया है और बेची गई घड़ियों की कुल संख्या क्या है ;

(ख) क्या अभी हाल में घड़ियों के उत्पादन में कुछ कमी हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) 30 अगस्त, 1964 तक निर्माण की गई घड़ियों की संख्या 2,39,403 है जिनमें से 2,32,332 बेची जा चुकी हैं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

चाय का निर्यात

462. **श्री बीरेन दत्त** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1961-62 में त्रिपुरा से विमानों द्वारा कुल कितनी चाय भेजी गई ;

(ख) विमानों से चाय भेजने में क्या किराया लिया जाता है ;

(ग) क्या चाय बागानों ने सरकार से किराये में कोई सहायता मांगी है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन से कोई सहायता देने की सिफारिश की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० बें० रामस्वामी) : (क) लगभग 24,201 क्विंटल ।

(ख) चाय मुख्य रूप से अगरतला तथा केलाशहर से कलकत्ता के लिये बुक की जाती है । 1961–62 में किराये की दरें इस प्रकार थीं :—

	रु० प्रति क्विंटल
अगरतला से कलकत्ता	18.00
केलाशहर से कलकत्ता	29.00

(ग) परिवहन सहायता योजना के अन्तर्गत, जो 13 अक्तूबर, 1959 में लागू की गई थी, त्रिपुरा से विमान द्वारा चाय के परिवहन के लिये चाय बोर्ड द्वारा चाय बागान को 9.86 रु० प्रति क्विंटल की दर से सहायता दी जाती है । इस योजना के अन्तर्गत, 1961–62 में चाय बोर्ड ने 4,46,310 रु० का भुगतान किया ।

(घ) जी नहीं ।

कांगड़ा घाटी में तीसरी श्रेणी के रेल डिब्बे

463. श्री हेम राज : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांगड़ा घाटी रेलवे के छोटी लाइन सैक्शन पर तीसरी श्रेणी के डिब्बों में पंखे तथा चीज़ें रखने के लिए रैक नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस सैक्शन पर यह सुविधायें उपलब्ध करने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). इस सैक्शन पर चालू 46 डिब्बों में से 35 में पहले से ही पंखों की व्यवस्था है । शेष 11 डिब्बे अधिक पुराने हो गये हैं और उनकी जगह धीरे धीरे पंखे लगे नये डिब्बे लगाये जा रहे हैं ।

इन डिब्बों के छोटे होने के कारण छोटी लाइन के तीसरी श्रेणी के डिब्बों में ऊपर के तख्ते लगाना संभव नहीं है । फिर भी, डिब्बों में हल्के सामान को रखने के लिये हल्के सामान के रैकों की व्यवस्था है ।

छोटे पैमाने के उद्योग

464. { श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री उइके :

क्या उद्योग तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1962—मार्च, 1963 तथा अप्रैल-सितम्बर, 1963 की अवधि में छोटे उद्योगों के लिये इस्पात के निर्यात के लिये विदेशी मुद्रा के आवंटन में की गई 22 प्रतिशत की कटौती सारे राज्यों पर समान रूप से लागू की गई थी ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) अक्तूबर, 1963—मार्च, 1964 की अवधि में समान रूप से वृद्धि न करने का आधार क्या है जब कि कुल अधिकतम सीमा में 14.3 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई थी ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री श्री विबुधेन्द्र मिश्र): (क) और (ख). अक्तूबर, 1962—मार्च, 1963 की अवधि के लिये छोटे उद्योगों के लिये आयात किये जाने वाले इस्पात के लिये जो विदेशी मुद्रा निर्धारित की गई थी वह यह थी (क) 250 लाख रुपये खुली विदेशी मुद्रा तथा (ख) रुपये में लेन देन करने वाले देशों से आयात के लिये 100 लाख रु० विदेशी मुद्रा । 250 लाख रु० की खुली विदेशी मुद्रा पिछली छमाही में किये गये आवंटन के आधार पर राज्य सरकारों को दे दी गई । 100 लाख रु० की मुद्रा आसाम, केरल, उड़ीसा, जम्मू तथा काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पांडिचेरी, त्रिपुरा और गोआ को छोड़ कर अन्य राज्यों को दी गई । इन राज्यों को कोई आवंटन न करने का कारण यह था कि इन पिछड़े हुए क्षेत्रों के लघु उद्योगों को रुपये में लेन देन करने वाले देशों से सीधे आयात करने में कठिनाई होगी । फिर भी, इन राज्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे और अप्रैल-सितम्बर, 1963 की अवधि के लिये उपलब्ध की गई विदेशी मुद्रा सारे राज्यों में वितरित की गई ।

(ग) अक्तूबर, 1963—मार्च, 1964 में बढ़ायी गयी विदेशी मुद्रा की मात्रा हिमाचलप्रदेश को अधिक विदेशी मुद्रा का आवंटन करने के लिये प्रत्येक राज्य के हिस्से में बहुत थोड़ा अन्तर करने के अतिरिक्त सब राज्यों में समान रूप से बांट दी गई ।

बौदपुर स्टेशन पर रेलगाड़ी की टक्कर

465. श्री गोकुला नन्द महन्ती : क्या रेलवे मंत्री 14 अप्रैल, 1964 को दिये गये अतारांकित प्रश्न संख्या 2153 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बौदपुर स्टेशन, दक्षिण पूर्व रेलवे, पर हुई रेलगाड़ी की टक्कर के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित करने सम्बन्धी रेलवे सुरक्षा अतिरिक्त आयुक्त का प्रतिवेदन इस बीच में प्राप्त हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). दुर्घटना सम्बन्धी जांच प्रतिवेदन को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

संभावित लाइसेंस खनन पट्टे सम्बन्धी आवेदन-पत्रों का निबटारा

466. श्री ह० च० सौय : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खानों के सम्भावित पट्टेधारियों द्वारा जिस तिथि की याचनायें दी जाती हैं उस के नौ मास पश्चात् राज्य सरकार को दिये गये आवेदन-पत्र बड़ी संख्या में स्वतः प्रभावहीन हो जाते हैं ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि इसी प्रकार की सम्भावित पट्टे की कालावधि को लम्बे समय तक बढ़ाने सम्बन्धी बहुत सी याचिकायें, विशेषकर बिहार से, केन्द्रीय सरकार के पास पड़ी हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख). खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 11 तथा 24 में समय-सीमा (9 मास) दी गयी है जिसके अन्दर अन्दर प्रभावी लाइसेंस/खनन पट्टे सम्बन्धी आवेदन-पत्र को राज्य सरकार द्वारा निबटाया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो आवेदन-पत्र को अस्वीकार समझा जायगा। यदि सार्थ चाहे तो कालावधि समाप्त हो जाने पर वह केन्द्रीय सरकार से उसे बढ़ाने के लिये कह सकता है। साथ ही साथ, राज्य सरकार यदि किसी आवेदन-पत्र को स्वीकार करना चाहती हो तो वह स्वयं भी समय-सीमा के बढ़ाये जाने के लिये कह सकती है। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के इस प्रस्ताव को उनके गुणावगुणों के आधार पर देखती है और आवश्यक समझने पर उस समय-सीमा को बढ़ा देती है। इस समय बिहार सरकार के केवल पांच इस प्रकार के मामले केन्द्रीय सरकार के पास हैं चूंकि आवेदन करने वालों ने खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 54 के अन्तर्गत स्वयं पुनरीक्षण आवेदन-पत्र भी दिये हैं जिन पर केन्द्रीय सरकार अर्द्ध-न्यायिक अध्ययन कर रही है और जिनका निर्णय एक न्यायाधिकरण करेगा जो इस प्रयोजनार्थ गंठित किया गया है। यह सभी आवेदन-पत्र केन्द्रीय सरकार को चालू वर्ष, 1964, में प्राप्त हुए हैं।

टाटा आयरन एन्ड स्टील कम्पनी का विस्तार

467. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा आयरन एन्ड स्टील कम्पनी, जमशेदपुर, ने वर्तमान उत्पादन क्षमता का विस्तार करने सम्बन्धी प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो विस्तार हो जाने पर संयंत्र की अनुमानित क्षमता क्या होगी ;

(ग) प्रस्तावित विस्तार पर पूंजीगत व्यय कितना होगा ;

(घ) प्रस्तावित विस्तार के लिये अवश्य सामान का सम्भरण करने के लिये कौन से देश सहमत हो गये हैं ; और

(ङ) इस प्रयोजनार्थ कितनी विदेशी मुद्रा आवश्यक होगी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) सरकार द्वारा सिद्धान्त रूप में मेसर्स टाटा आयरन एन्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड, जमशेदपुर ने इस सीमा तक विस्तार किये जाने के लिये स्वीकृति दे दी गयी थी कि वह चतुर्थ योजना की कालावधि में 30 लाख टन इस्पात इन्गाट्स तैयार करने के योग्य हो जाये। विस्तार के लिये ब्योरेवार परियोजना प्रतिवेदन अभी समवाय द्वारा तैयार किया जाना है।

(ग) से (ङ). प्रारम्भिक अनुमानों से पता चलता है कि विस्तार पर 170 करोड़ रुपये व्यय होंगे और 85 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा आवश्यक होगी। चूंकि मामला अभी प्रारम्भिक अवस्थाओं में है इसलिये किन देशों से सामान आदि लिया जायगा, आदि, ब्योरा अभी तैयार नहीं किया गया।

बाढ़ों के कारण रेलवे को हुई क्षति

468. **श्रीमती राम दुलारी सिन्हा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में आई बाढ़ों से दरभंगा और सीतामढ़ी के बीच रेलवे को कितनी क्षति हुई ;

(ख) दरभंगा और सीतामढ़ी स्टेशनों के बीच कितने दिनों तक सीधी रेल सेवा बन्द रही ;

(ग) संचार व्यवस्था फिर से चालू करने के लिये क्या कदम उठाये गये ;

(घ) सीधी रेल सेवा को पुनः चालू करने में इतना समय क्यों लगा ; और

(ङ) भविष्य में इस प्रकार की घटनायें न हों इसके लिये क्या कदम उठाये गये हैं ।

रेलवे मंत्रालय म उपमंत्री (श्री शामनाथ) : (क) 5 40 इन्च, 1 30 इन्च तथा 1 20 इन्च स्पैन्स वाला कामतौल तथा जोगिया के बीच पुल संख्या 18 जो के० एम० 63/2-3 पर ढले हुए लोहे और लकड़ी पर ठहरा हुआ है अत्यधिक बाढ़ों के कारण सुरक्षित स्तर से नीचे चला गया था । इसके अतिरिक्त, बाजपत्ती और परसौनी के बीच के० एम० एस० 92-3 तथा 92/11-12 पर फार्मेशन में बाढ़ से हानि हुई ।

(ख) 31-7-64 को 8.45 बजे से 4-8-64 को 12.30 बजे तक सीधी संचार व्यवस्था बन्द रही ।

(ग) पुल संख्या 18 तथा फार्मेशन का मरम्मत कार्य तुरन्त चालू किया गया और कम से कम समय में पूरा कर दिया गया ।

(घ) सीधी संचार व्यवस्था शीघ्र चालू नहीं की जा सकी चूंकि पुल संख्या 18 की नीवें कमजोर हो गयी थीं और बाजपत्ती तथा परसौनी स्टेशनों के बीच बाढ़ का पानी रेलवे स्तर से ऊपर बह रहा था ।

(ङ) 40 फुट वाले गार्डरों वाले 6 स्पैनों वाले पुल संख्या 18 को पुनः बनाने का विचार है जिसकी नीवें गहरी हों । प्रस्तावित पुल का रेलवे स्तर लगभग 5 फुट और ऊंचा रखा जायगा । बाजपत्ती तथा परसौनी के बीच फार्मेशन को भी पत्थर डाल कर और सुदृढ़ बनाया जायेगा ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

अंदमान में मजदूर संघ नेताओं और लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों की गिरफ्तारी

श्री सेझियान (पेरम्बलूर) : मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और निवेदन करता हूं कि वे उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"अन्दमान द्वीप में मजदूर संघ नेताओं तथा लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों की बड़ी संख्या में गिरफ्तारी ।"

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : अंदमान का लोक-कर्म विभाग अक्तूबर से मई के मध्य तक के काम करने के मौसम में नियमित मजदूरों के अलावा अपने कुछ सामयिक (कजुअल) मजदूर मस्टर रौल पर रखता है । मानसून की ऋतु में चक्करदार आंधी के साथ भारी वर्षा होती है । तब मकान और सड़क बनाने के काम बहुत कम हो पाते हैं और मजदूर फालतू हो जाते हैं । ऐसे सब सामयिक मजदूर जो मानसून के दिनों में लाभदायक काम में नहीं लगाये जा सकते

हैं, हटा दिये जाते हैं। अंदमान में मौसमी रोजगार और मजदूरों की छटनी अंदमान के लोक कर्म विभाग के काम करने का एक साधारण लक्षण है। इस वर्ष मानसून के आने पर अंदमान के लोक कर्म विभाग ने 365 सामयिक मजदूरों को हटा दिया। इनमें से अधिकतर वहां के बसे हुए लोग थे और वे खेती करने के लिये अपने घरों को चले गये। काम से हटाये गये मजदूरों में से 72 पोर्ट ब्लेयर पर अनुरक्षण प्रभाग (मेन्टनेन्स डिवीजन) के थे। द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम द्वारा प्रायोजित मजदूर संघ ने उन 72 मजदूरों का पक्ष लिया। मई के अन्त में सत्याग्रह आरम्भ कर दिया, जिसमें उनको तुरन्त पुनः नौकरी पर लगाने की मांग की गई। द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम के नेताओं को उनके छटनी करने की परिस्थितियां समझाई गई परन्तु वे अपनी मांग पर अड़े रहे और उन्होंने प्रधान इंजीनियर और उप-आयुक्त के दफ्तरों के सामने 5 जून को धरना देना आरम्भ कर दिया। यह आन्दोलन कई दिन तक चलता रहा। भारतीय दंड-संहिता की धारा 341 और दंड विधि संशोधन अधिनियम, 1932 की धारा 7 के अधीन 21 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। जून 1964 के अन्त में इन 72 छटनी किये गये मजदूरों का झगड़ा, समझौता कराने के लिये, समझौता-अधिकारी को भेजा गया। द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम ने आन्दोलन रोक दिया और समझौते की कार्यवाहियों के दौरान लोक कर्म विभाग ने फालतू मजदूरों की आग छंटनी रोक दी। समझौता अफसर उन पक्षों में समझौता कराने में सफल हुआ। समझौते की शर्तों के अनुसार 44 मजदूर जो "आखिर में नियुक्त किये हुए व्यक्तियों को सब से पहले हटाने" के आधार पर नहीं हटाये गये थे, बिना लोक कर्म विभाग के कानून के अनुसार छंटनी करने के अधिकार पर किसी प्रतिकूल प्रभाव के, नौकरी में लगा लिये गये। जो 21 व्यक्ति इस आंदोलन के सम्बन्ध में दफ्तरों पर धरना देने के कारण गिरफ्तार हुए थे, वे सब दंड विधि संशोधन अधिनियम, 1932 की धारा 7 के अधीन 17 जुलाई, 1964 को दंडित हुए। 44 मजदूरों के नौकरी में लगाने से दूसरे 44 मजदूर "आखिर में नियुक्त किये हुए व्यक्तियों को सबसे पहले हटाने" के आधार पर छंटनी कर दिये गये और इसके अलावा 329 सामयिक मजदूर जो फालतू थे 1 अगस्त, 1964 से छटनी कर दिये गये। द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम ने आन्दोलन फिर से शुरू कर दिया है। साम्यवादियों के नेतृत्व में जो मजदूर संघ है वह भी द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम के साथ सहयोग कर रहा है और इस बात पर अड़े हुए हैं कि छंटनी किये हुए मजदूरों को तुरन्त नौकरी में लगा दिया जाये। प्रशासन ने यह आश्वासन दिया था कि छंटनी किये हुए मजदूरों को अक्टूबर में अच्छा मौसम शुरू होने पर फिर से काम पर लगा लिया जायेगा। द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम और साम्यवादी नेता संतुष्ट नहीं हुए। 3 सितम्बर को 8 छंटनी किये हुए मजदूरों ने उप-आयुक्त को उसके दफ्तर में नहीं घुसने दिया और अन्य 16 व्यक्ति प्रधान इंजिनीयर के दफ्तर और मुख्य आयुक्त के दफ्तर के सामने इकट्ठे होकर नारे लगा रहे थे। वे दंड विधि संशोधन अधिनियम, 1932 की धारा 7 के अधीन गिरफ्तार कर लिये गये, क्योंकि उनका अधिकारियों को दफ्तरों में घुसने से रोकने का इरादा कम नहीं हुआ। द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम और साम्यवादियों के मजदूर संघों ने ध्वनि-विस्तारक यंत्रों (लाउड स्पीकरों) द्वारा अपने आंदोलन को तीव्र करने के निश्चय को घोषित किया। यह खबर थी कि लगभग 75 व्यक्ति 4 सितम्बर को दफ्तरों पर धरना देने के लिये लगाये जायेंगे। वे मजदूरों को अपने उत्तेजक और भड़काने वाले भाषणों से उकसा रहे थे और सार्वजनिक शान्ति के लिये खतरा पैदा कर रहे थे। शान्ति भंग होने की आशंका के कारण, अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह के जिला दंडाधिकारी ने 4 सितम्बर के प्रातःकाल से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन एक आज्ञा जारी की जिसमें सब प्रकार के जलूसों, प्रदर्शनों, सार्वजनिक सभाओं, हथियार ले जाने, अफवाह फैलाने और ध्वनि-विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। भारत सुरक्षा नियमों के नियम 30 (1) (ख) के अधीन

[श्री ल० ना० मिश्र]

जिला दंडाधिकारी द्वारा 9 व्यक्तियों को 4 सितम्बर को और 2 व्यक्तियों को 6 सितम्बर को निरुद्ध (नजरबन्द) किया गया। 4 सितम्बर को 16 छंटनी किये हुए मजदूर, 4, 4 के दलों में उप-आयुक्त के दफ्तर और सचिवालय के सामने धरना देने के लिये इकट्ठे हुए। वे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के अधीन गिरफ्तार किये गये और उसी दिन छोड़ दिये गये। 5 और 7 सितम्बर को क्रमशः 34 और 23 व्यक्ति ऐसी ही परिस्थितियों में गिरफ्तार किये गये और बाद में उसी दिन छोड़ दिये गये।

कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक बनाये रखी गई है और वह काबू में है।

श्री सेझियान : ये जो 371 कर्मचारी सेवा से निकाले गये हैं, क्या उनके स्थान पर अन्य स्थानों से लोग ले जा कर लगाये जा रहे हैं ?

श्री ल० ना० मिश्र : मई से अक्तूबर तक की अवधि में यह एक आम बात है क्योंकि इस अवधि में भवन तथा सड़क निर्माण कार्य नहीं के बराबर होता है। फिर भी इन लोगों के नाम मस्टर रोल पर रहते हैं और ये लोग नैमित्तिक श्रमिक (केजुअल लेबर) होते हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानना चाहते थे कि जब बाहर से ला कर व्यक्ति लगाये जा रहे हैं तो इन श्रमिकों की छटनी क्यों की गई।

श्री ल० ना० मिश्र : कोई नया व्यक्ति काम पर नहीं लगाया गया है। लोक निर्माण विभाग के 8,000 कर्मचारियों में से 649 को फालतू घोषित कर दिया गया था। उन्हें थोड़ा-थोड़ा करके कुछ कार्य करने के लिये कहा गया था, परन्तु उन्होंने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया।

श्री कन्डप्पन (तिरुचेंगोड) : क्या काम की मन्दी की अवधि में अधिकारियों को भी काम से हटा दिया जाता है ?

श्री ल० न० मिश्र : अधिकारियों की छंटनी नहीं की जाती।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : क्या देश के श्रम कानून वहां पर लागू नहीं हैं और क्या यह भी सच है कि वहां के आयुक्त ने ही ऐसी स्थिति पैदा कर दी जिससे श्रमिक भड़क उठे ?

श्री ल० ना० मिश्र : उन्होंने श्रमिकों को नहीं भड़काया। जहां तक श्रम सम्बन्धी कानूनों का सम्बन्ध है, वहां पर वे सब के सब लागू नहीं हैं।

श्री ह० प० चटर्जी (नवद्वीप) : क्या संविधान का अनुच्छेद 19(1) अन्दमान में लागू नहीं है ? क्योंकि वहां पर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिये अनुमति लेनी पड़ती है।

श्री ल० ना० मिश्र : मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मुझे इसके लिये पूर्व सूचना चाहिये।

श्री अ० क० गोपालन (कासरगोड) : अन्दमान में लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों पर गोली चलाये जाने के बारे में एक-सदस्यीय जांच समिति ने क्या प्रतिवेदन दिया है ?

श्री ल० ना० मिश्र : मुझे इसके लिये भी पूर्वसूचना चाहिये।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : चूंकि अन्दमान एक केन्द्र शासित राज्य है, इसलिये सरकार को श्रमिकों के साथ समझौता करके उनके नाम स्थायी रोल में दर्ज कर देने चाहियें, हालांकि वे कुछ समय के लिये ही कार्य करते हैं। इससे श्रमिकों के साथ चल रहा झगड़ा हमेशा के लिये समाप्त हो जायेगा।

श्री ल० ना० मिश्र : पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी समझौता करने के प्रयत्न किये गये थे और उन्हें टुकड़ों में कुछ काम करने के लिये कहा गया था। परन्तु मजदूर संघ ने साथ नहीं दिया और इसी कारण यह झगड़ा उत्पन्न हुआ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : कठिनाई यह है कि ये श्रमिक सड़कों, पुलों आदि का निर्माण कार्य करने के लिये रखे जाते हैं जो वर्षा ऋतु में नहीं किया जा सकता। हमने उन से थोड़ा-थोड़ा करके कार्य करने का प्रस्ताव किया था परन्तु उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। और कोई उपाय नहीं है क्योंकि सरकार बिना किसी काम के श्रमिकों को भुगतान नहीं कर सकती है।

श्री उमानाथ (पुद्दुकोटै) : क्या यह सच है कि छंटनी किये गये अधिकांश श्रमिक देश की मुख्य भूमि के रहने वाले हैं और क्या सरकार ऐसे श्रमिकों की जो अपने घर लौटना चाहते हैं किसी प्रकार सहायता करने के लिये तैयार है ?

श्री हाथी : अधिकांश श्रमिक अन्दमान के ही रहने वाले हैं और उन्हें वर्षा ऋतु में कोई कठिनाई पेश नहीं आती। मुख्य भूमि के रहने वाले श्रमिकों के बारे में मुझे जानकारी नहीं हैं।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : क्या मुख्य आयुक्त ने 7 अगस्त को मजदूर संघ के प्रतिनिधियों के साथ हुई बातचीत के दौरान उनको यह आश्वासन दिया था कि इन सब व्यक्तियों को कोई न कोई रोजगार उपलब्ध किया जायेगा ? यदि हां, तो क्या उस आश्वासन को पूरा किया जा रहा है ?

श्री हाथी : उन्होंने श्रमिकों को टुकड़ों में काम देने का सुझाव दिया था और अपनी सहकारी समितियां बनाने के लिये कहा था। यदि वे ऐसा करने के लिये राजी होते तो मुख्य आयुक्त उनकी सहायता करने के लिये तैयार थे।

श्री कोलला वेंकैया (तेनालि) : क्या सरकार यहां पर लागू श्रम नियमों को अन्दमान में भी लागू करने की कोशिश करेगी ?

श्री हाथी : इस पर विचार किया जा रहा है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के बारे में उद्घोषणा तथा उसके अन्तर्गत जारी किया गया आदेश

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हाथी) : : मैं, श्री नन्दा की ओर से निम्नलिखित बातों की एक-एक प्रति पटल पर रखता हूं :—

(1) दिनांक 10 सितम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1316 में प्रकाशित संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा

जारी की गयी वह उद्घोषण, जिसमें उन्होंने केरल राज्य की सरकार के सभी कृत्य अपने हाथ में ले लिये हैं।

(2) दिनांक 10 सितम्बर, 1964 को अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1317 में प्रकाशित उपरोक्त उद्घोषणा के खंड (ग) के उपखंड (1) के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा दिया गया आदेश। [पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी०—3071/64]।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : चूंकि केरल राज्य की विधान सभा भंग कर दी गई है अतः चुनाव आयोगने जो तिथियां निर्धारित की हैं उसपर उन में फेर बदल करने के लिये सरकार दबाव न डाले। हम सरकार से यह आश्वासन चाहते हैं। हम सरकार से यही आश्वासन कल चुनाव आयोग के साथ विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों की बैठक में भी मांगेंगे।

विधि तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री (श्री अ० कु० सेन): मैं इस प्रश्न के उठाये जाने पर आपत्ति करता हूं क्योंकि सरकार ने चुनाव आयोग के कार्य में कभी हस्तक्षेप नहीं किया है। यह परम्परा काफी अर्से से चली आ रही है।

खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, कोयला खान व संरक्षण तथा सुरक्षा) अधिनियम, के अन्तर्गत अधिसूचनायें तथा हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्सट्रक्शन लिमिटेड का ज्ञापन पत्र तथा अन्तर्नियम

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति पटल पर रखता हूं :—

(एक) खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत दिनांक 8 अगस्त, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1123 [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—3072/64]

(दो) कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) अधिनियम, 1952 की धारा 17 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत दिनांक 8 अगस्त, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1124 में प्रकाशित कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) संशोधन नियम, 1964 [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—3073/64]

(तीन) (क) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्सट्रक्शन लिमिटेड का ज्ञापन-पत्र।

(ख) हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंसट्रक्शन लिमिटेड के अन्तर्नियम। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 3074/64]।

भारतीय उत्पादिता दल के प्रतिवेदन

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : मैं श्री दासप्पा की ओर से भारतीय उत्पादिता दल के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक एक प्रति पटल पर रखता हूं :—

(एक) ब्रिटेन और अमरीका में औजार, जिग और फिक्सचर को बिल्कुल सही-सही ढंग से तैयार करने की प्रक्रिया सम्बंधी प्रतिवेदन । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी०– 3075/64 ।**]

(दो) अमरीका, पश्चिम जर्मनी और ब्रिटेन में वैल्डिंग उद्योग सम्बंधी प्रतिवेदन । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०–3076/64 ।**]

(तीन) अमरीका और डेनमार्क में खाद्य परिरक्षण तथा डिब्बों में बन्द करना उद्योग सम्बंधी प्रतिवेदन। [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० –3077/64 ।**]

(चार) जापान और अमरीका में तार (केबल) उद्योग सम्बंधी प्रतिवेदन [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०–3078/64 ।**]

(पांच) जापान, अमरीका और ब्रिटेन में कार्यालय प्रबन्ध सम्बंधी प्रतिवेदन । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०–3079/64**]

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, चाय अधिनियम, काफी अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें तथा चाय बोर्ड के लेखे का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): मैं (एक) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18-क की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति पटल पर रखता हूं:—

(क) दिनांक 1 जुलाई, 1964 का एस० ओ० 2350 । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—3080/64 ।**]

(दो) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(क) चाय अधिनियम, 1953 की धारा 49 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत दिनांक 18 जुलाई, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1020 में प्रकाशित चाय बोर्ड कर्मचारी (आचरण) संशोधन नियम, 1964 । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०–3081/64 ।**]

(ख) काफी अधिनियम, 1942 की धारा 48 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत दिनांक 8 अगस्त, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1126 में प्रकाशित काफी (दूसरा संशोधन) नियम, 1964 । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—3082/64 ।**]

(ग) वर्ष 1962–63 के लिए चाय बोर्ड के लेखे की लेखा परीक्षा रिपोर्ट । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—3083/64 ।**]

1250 (ai) LSD—9

रेलवे सुरक्षा बल (संशोधन) नियम

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं रेलवे सुरक्षा बल, अधिनियम 1957 की धारा 21 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत दिनांक 27 जून, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 925 में प्रकाशित रेलवे सुरक्षा बल (संशोधन) नियम, 1964 की एक प्रति पटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०--3084/64।]

केन्द्रीय रेलवे बोर्ड अधिनियम तथा अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : मैं निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति पटल पर रखता हूं :—

(एक) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत दिनांक 29 अगस्त, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1191 में प्रकाशित केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) नियम, 1964। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०–3085/64।]

(दो) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत दिनांक 18 जुलाई, 1964 की अधिसू ना संख्या एस० ओ० 2468 में प्रकाशित वस्त्र (विद्युत-करघों द्वारा उत्पादन) नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 1964। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०–3086/64।]

हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति पटल पर रखता हूं :—

(एक) कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 1962–63 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महा-लेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०--3087/64।]

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

चौंसठवां प्रतिवेदन

श्री अ० चं० गुह (बारसाट) : मैं भूतपूर्व वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय—वस्त्र आयुक्त का कार्यालय—भाग 4—नकली रेशम उद्योग के बारे में प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक-सभा) के एक सौ पैंसठवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में प्राक्कलन समिति का चौंसठवां प्रतिवेदन पेश करता हूं।

स्वर्ण नियंत्रण विधेयक

GOLD (CONTROL) BILL

1. संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

श्री कृष्णमूर्ति राव (शिमोगा) : मैं समुदाय के आर्थिक तथा वित्तीय हित में सोने और सोने के आभूषणों तथा अन्य चीजों के उत्पादन, संभरण, वितरण, प्रयोग और रखने तथा उनके व्यापार पर नियंत्रण तथा तत्संबंधी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर संयुक्त समिति का प्रतिवदन पेश करता हूं ।

(2) सयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य

श्री कृष्णमूर्ति राव : मैं समदाय के आर्थिक तथा वित्तीय हित में सोने और सोने के आभूषणों तथा अन्य चीजों के उत्पादन संभरण, वितरण, प्रयोग और रखने तथा उनके व्यापार पर नियंत्रण तथा तत्संबंधी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक संबंधी संयुक्त समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति पटल पर रखता हूं ।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संचार तथा संसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) । मैं आपकी अनुमति से यह घोषणा करता हूं कि सोमवार, 14 सितम्बर, 1964 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :—

(1) मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव पर आगे चर्चा ।

(2) समवाय (संशोधन) विधेयक, 1964 ।
(विचार तथा पास करना)

(3) वर्ष 1964-65 के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा और मतदान ।

(4) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 1964 ।
(विचार तथा पास करना)

(5) विधिमान्य निविदा (अन्तर्लिखित नोट) विधेयक, 1964 ।
(विचार तथा पास करना)

Dr. Ram Manohar Lohia (Farukhabad) : The present session of Lok Sabha should be extended further, so that we may express our opinion and the feelings of the people in this House. The Constitution guarantees us freedom of conscience and freedom of expression. Even in the House of Commons half an hour is allotted for an ordinary adjournment motion daily. As India is a vast country, we should also have some such convention and 1 hour should be allotted for that. New and alarming problems are cropping up in

[Dr. Ram Manohar Lohia]

the country, therefore the Lok Sabha should sit for longer periods so that members may express the views of the people of this country and the Government business alone should not be given importance in this House.

Mr. Speaker : I have allowed that hon. Member to raise this point. I have heard his point. We cannot go into details now. We can discuss it quite separately. It is upto the hon. Minister to reply to his point or not. We cannot change the rules of the House all of a sudden.

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : चूंकि सरकार बहुत धीरे काम करती है इसलिये हम अभी से यह जानना चाहते हैं कि वर्तमान सत्र कब समाप्त होगा क्योंकि खाद्य सम्बंधी वाद-विवाद में चार दिन लग गये हैं और अविश्वास प्रस्ताव पर बहस में भी पांच दिन लग जायेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : सरकार की ओर से मुझे बताया गया है कि यह सत्र 3 अक्तूबर तक रहेगा ।

श्री हरि विष्णु कामत : मध्याह्न अवकाश के बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : इस उद्देश्य के लिये बुलाई गई बैठक में एकमत न होने के कारण वर्तमान व्यवस्था ही बनी रहेगी ।

श्री हरि विष्णु कामतः : मैं डा० राम मनोहर लोहिया के विचार से सहमत हूं कि संसद के बैठने का समय प्रतिवर्ष घटता जा रहा है । इस वर्ष अगला सत्र भी वर्तमान सत्र की तरह केवल चार सप्ताह का ही होगा । लोक-सभा के प्रथम अध्यक्ष श्री मावलंकर ने एक बार अध्यक्ष पीठ से यह निर्णय दिया था कि लोगों के विचार जानने के लिये संसद को वर्ष में कम से कम 7 अथवा $7\frac{1}{2}$ महीने बैठना चाहिये, जबकि इस वर्ष इसकी सत्रावधि 6 महीने से भी कम की होगी ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : बोनस आयोग का प्रतिवेदन पिछले सत्र में सभा पटल पर रखा गया था । नियोजकों के कहने पर सरकार ने उस में कुछ रूपभेद किया है । अतः देश में इस बारे में काफी मतभेद है । आपने इस बारे में एक प्रस्ताव की पहले ही अनुमति दे रखी है । महलनवीस समिति का प्रतिवेदन तथा संथानम समिति का प्रतिवेदन भी पटल पर रखे गये थे । इन दोनों पर भी इस सत्र में चर्चा होनी चाहिये क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हैं ।

समाचार पत्रों में यह समाचार छपा है कि सरकार ने मंहगाई भत्ते तथा मध्यस्थता के प्रश्न की जांच करने के लिये एक एक सदस्यीय आयोग नियुक्त कर दिया है । वित्त मंत्री को इस आयोग के निर्देश-पदों के बारे में जानकारी देनी चाहिये थी । क्योंकि वेतन आयोग की नियुक्ति की भी इस सभा में घोषणा की गई थी । इसलिये उन्हें इस आयोग की नियुक्ति के बारे में यहां पर एक वक्तव्य देना चाहिये ।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : प्रधान मंत्री ने सभा के नेता के नाते यह कहा था कि उन्हें राष्ट्रमण्डल प्रधान मंत्री सम्मेलन के बारे में सभा में विस्तार से चर्चा किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है । यह काफी महत्वपूर्ण विषय है । हमें नहीं मालूम कि इस विषय पर सदस्यों द्वारा दी गई सूचनाओं में से किन्हीं को लिया जायेगा अथवा नहीं । ऐसी स्थिति में सरकार को स्वयं एक प्रस्ताव लाना चाहिये ताकि इस विषय पर बिना किसी कठिनाई के चर्चा की जा सके ।

Shri Bagri (Hissar) : I · impress on the Government to initiate discussion on the report regarding backward classes. The second point which I want to put forward is that in Britiain the Parliament meest for 200 days in a year and in India, though the country is comparatively large, it meets olay for 120 days.

Minister for Communications and Parliamentary Affairs (Shri Satya Narain Sinha) : I have replied to the letter of Dr. Ram Manohar Lohia and also talked about it. You all know that there was some delay in calling this Session. In this connection there has been the delay of about 25 days. The reason was that the apparatus of simultaneous translation was being in stalled. Then there is one thing more that in spite of our secular character, we don't hold session of the Parliament during Puja and Christmas. So we have taken into consideration this factor also. We shall not be able to sit beyond 23rd December.

In 1961 Parliament was in Session for about 102 days and in 1962 for 121 days. In 1964 we have already been in Session for about 93 days and there is one Session more which will fall within this year. In no other country so much time is given for legislative work. We have divided the parliamentary work into three parts. 33 percent for legislative work, 33 per cent for financial work and 33 per cent for other miscellaneous works. We should not think that financial and legislative business is not the work of the people. All the work that Government do is for the welfare of the people. I want to draw the attention of the honourable members to the fact that there is also work during Winter Session period. Meetings of the Select Committees, Estimate Committee, and the Public Accounts Committee are held during Winter Session period. If Session continues, it will not be possible for the hon. members to participate in these meetings. So my submission is that before we fix anything for the next Session, all these things are to be seriously considered.

I have not received anything, notice etc. regarding Backward Classes Commission. We shall try to find out time for this item. Some Bill will also come regarding Bonus Commission. The Prime Minister has given a long statement regarding the Commonwealth. So many questions were put up on it. We will give our dispassionate thought to their problem and decide accordingly.

अध्यक्ष महोदय : पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक

धन-कर संशोधन विधेयक

WEALTH-TAX (AMENDMENT) BILL

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : मैं श्री ति० त० कृष्णमाचारी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि धन-कर अधिनियम, 1957 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि धन-कर अधिनियम, 1957 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री ब० रा० भगत : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

मंत्रि परिषद् में अविश्वास प्रस्ताव

MOTION OF NO CONFIDENCE IN THE COUNCIL OF MINISTERS

श्री नि० च० चटर्जी (बर्दवान) : गत सोमवार मुझे जिस प्रस्ताव के लिए अनुमति दी गई थी, मैं उसे प्रस्तावित करता हूं, अर्थात :

"कि सभा मंत्रि परिषद में अविश्वास व्यक्त करती है ।"

हम यह प्रस्ताव देश के जनसाधारण के बढ़ते हुए दुःखों को देखते हुये प्रस्तुत कर रहे हैं। जीवन के हर क्षेत्र में, सामाजिक, राजनैतिक आर्थिक और अन्य सभी क्षेत्रों में संकट बढ़ता जा रहा है। इस के लिए मैं सरकार को उत्तरदायी ठहराता हूं। सरकार ने पिछले 17 वर्षों में जो अभागी नीतियां अपनाई हैं, मैं उनके लिए सरकार को दोषी ठहराता हूं चूंकि संसद ने खाद्य नीति की पुष्टि कर दी है इसलिए सरकार को आत्म-संतुष्ट हो कर बैठ नहीं जाना चाहिये ।

हमें यकीन हो चुका है कि पतन धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है और लोग सहनशक्ति की सीमा तक पहुंच चुके हैं । मंत्रियों के भाषणों और घोषणाओं के बावजूद हमारे लाखों लोगों का जीवन दुखमय हो चुका है । यह सब सरकार की प्रशासनीय अक्षमता का परिणाम है । लोगों का जीवन दुखभरा बनाने में चोरबाजारी करने वालों, मुनाफाखोरों और एकाधिकार वालों का हाथ है । पिछले 10 वर्षों में सरकार ने उन्हें खुली छुट्टी दी है, क्योंकि वे समय समय पर सत्तारूढ़ दल को चन्दा देते रहते हैं । कांग्रेस को धन देने वाले बड़े बड़े व्यापारी अब उस के मालिक बन गये हैं । भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए छोटे छोटे कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करना निरर्थक है । क्योंकि भ्रष्टाचार ऊपर से शुरू करना पड़ता है । पंजाब में श्री दास ने जो रहस्योद्घाटन किये हैं, उसी तरह की हालत लगभग सभी राज्यों में है । केरल में आपने क्या किया है ? केरल कांग्रेस के प्रधान की मांग पर भी वहां के मुख्य मंत्री के विरुद्ध जांच नहीं की गई । इसके अतिरिक्त, उड़ीसा, बिहार पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश सभी राज्यों में भ्रष्टाचार की जांच करवाने की मांग की गई है । यदि यह जांच ईमानदारी से की जाये, तो वही चित्र देखने को मिलेगा जो पंजाब में प्रकट हुआ है ।

काश्मीर हमें बहुत मंहगा पड़ा है । बेकार भारतीय करदाताओं का करोड़ों रुपया काश्मीर में नष्ट हो गया है । यह अनुभव किया जाता है कि उस राज्य में भारत सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है । जनता किसी प्रकार भी काश्मीर के बारे में सौदेबाजी नहीं होने देगी और जनता स्पष्ट रूप से यह आश्वासन चाहती है कि वह भारत का एक अभिन्न अंग बना रहेगा और उसका भारत में विलय अन्तिम और अपरिवर्तनीय है । हमारा आरोप यह है कि सरकार अपने प्रयोजन सिद्ध करने के लिए और लोगों के अधिकारों को दबाने के लिए आपातकालीन स्थिति जारी रख रही है । इन आपातकालीन शक्तियों के अन्तर्गत जमाखोरों, मुनाफाखोरों और चोरबाजारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

चीनी आक्रमण के समय हमारे लोगों ने बिना संकोच के बड़े से बड़ा बलिदान दिया है और सारे अधिकार सरकार के हाथ में दे दिये हैं । किन्तु आपातकाल के नाम में सभी मूलभूत अधिकार कल्पना मात्र बना दिये गये हैं । न्यायालयों तक पहुंचने का मार्ग प्रायः अवरुद्ध कर दिया गया है । लोगों को

विश्वास था कि सरकार हमलावरों को निकालने के लिए ठोस कार्यवाही करेगी लेकिन अभी तक उन से एक इंच भूमि भी वापस नहीं ली गई। आपातकाल के नाम में लोगों के मूलभूत अधिकार छीन लिये गये हैं। यदि यह सरकार हट जाये, तो आपातकाल भी हट जायेगा। हमारी अक्षम सरकार कोलम्बो योजना की पुजारी है और केवल पत्र-व्यवहार और बातचीत में विश्वास करती है। उसे भारत की मर्यादा का कुछ ख्याल नहीं है। इस पर बस नहीं। चीनी सिक्किम में घुसने की तैयारी कर रहे हैं। सरकार पश्चिमी देशों में भीख मांग रही है कि उन्हें कहीं से सहायता मिल सके। मेरा निवेदन है कि आपातकाल की उद्घोषणा को समाप्त किया जाये।

आजादी के बाद पंजाब की तरह बंगाल का भी विभाजन हुआ था। किन्तु उसके बाद से अल्पसंख्यकों को, जिन की संख्या 50 लाख से भी अधिक है बड़ी निर्दयता से निकाला गया है और आर्थिक दृष्टि से उनका सर्वनाश हुआ है। उन्हें और कहीं न कहीं आश्रय लेना पड़ा है। मेरा सरकार के विरुद्ध यह आरोप है कि उस ने शरणार्थी समस्या पर निर्दयतापूर्ण उदासीनता दिखाई है। उन में से आधे व्यक्तियों का भी पुनर्वास नहीं किया गया। दूसरी ओर, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार करने की नीति निरन्तर जारी है। सरकार ने लाखों शरणार्थियों द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति अथवा नकदी के लिये न तो क्षतिपूर्ति की मांग की है और न ही लोगों के घरों से भगाई गई महिलाओं को वापस कराने का प्रयत्न किया है।

सरकार खाद्य पदार्थों और दैनिक इस्तेमाल की अन्य आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने में पूर्णतया असफल रही है।

यह बड़ी लज्जा की बात है कि दंडकारण्य के एक उच्च पदाधिकारी को सरकार की पुनर्वास नीति की आलोचना करने के अपराध में पदच्युत कर दिया गया। सरकार पुनर्वास समस्या को हल करने में बुरी तरह असफल रही है। पूर्वी बंगाल से आये हुये शरणार्थियों को जो आश्वासन और वचन दिये गये थे, उन्हें पूरा नहीं किया, जो कि भारत के स्वर्गीय प्रधान मंत्री की ओर से दिये गये थे।

मूल्यों में वृद्धि, भ्रष्टाचार और नियंत्रणों के प्रश्नों पर सरकार चुप साधे बैठी है। वह मुनाफाखोरों पर वार नहीं कर सकती। बल्कि उसने उन लोगों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने जमाखोरों और मुनाफाखोरों के विरुद्ध आवाज उठाई है। उत्तर प्रदेश में कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों को इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि उन्होंने समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध प्रदर्शन किये थे।

पिछले राष्ट्रमंडलीय सम्मेलन में भारत की प्रतिष्ठा को बहुत धक्का लगा था। हमारे प्रतिनिधियों को उचित हिदायतें नहीं दी गई थीं। भारत और पाकिस्तान के बीच के विवाद का उल्लेख किया गया वह पाकिस्तान समर्थक रवैया व्यक्त करता है, जो कि ब्रिटेन भारत के प्रति पहले से अपनाता रहा है।

वर्तमान प्रस्ताव पर इसलिए जोर दिया जा रहा है क्योंकि सरकार आर्थिक स्वतंत्रता का संरक्षण नहीं कर सकी; विदेशों से खाद्यान्न के आयात पर बहुत निर्भर है, निजी एकाधिकारवादियों के आगे बहुत झुकती है। मूल्यों के स्थिर रखने में असफल रही है; देश के लोगों के जान व माल का संरक्षण नहीं कर सकी। बर्मा, लंका और पूर्वी अफ्रीका में बसे भारतीयों के हितों की रक्षा नहीं कर सकी।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री नारायणडांडेकर (गोंडा) : मैं अनुभव करता हूं कि इस प्रस्ताव के सम्बंध में देश की वास्तविक स्थिति का पुनर्विलोकन करना आवश्यक है । यद्यपि मेरा यह पुनर्विलोकन मुख्यता आलोचनात्मक होगा फिर भी मैं यह स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि इस समय मैं इस अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में नहीं हूं । मुझे विश्वास है कि देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति दूसरी पंचवर्षीय योजना की पूर्ण असफलता और तीसरी योजना की भावी असफलताओं के कारण उत्पन्न हुई है । इन असफलताओं के निष्फल होने के मुख्य कारण ये हैं कि जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे, उन्हें प्राप्त करना असंभव था । मेरा निवेदन है कि योजनाओं के असफल होने के कारण ये थे कि कृषि की उपेक्षा कर के औद्योगिक विकास पर अधिक जोर दिया गया था । भारी उद्योगों पर अत्यधिक जोर दिया गया है जिससे उपभोक्ता उद्योगों को हानि हुई है और सरकारी क्षेत्र में विकास को असाधारण प्राथमिकता दी गई है । मैंने प्रायः यह सोचा है कि ऐसा क्यों किया गया है ।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश की 10 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या ग्रामीण है, हमें यह याद रखना चाहिये कि देश का बुनियादी उद्योग कृषि है और कुछ नहीं । दूसरी और तीसरी योजना में बुनियादी उद्योग का बिल्कुल गलत अर्थ लिया जाता रहा है । इसके साथ साथ हमारी यह धारणा भी रही है कि सरकारी क्षेत्र ही आर्थिक विकास के लिए सब से अधिक महत्वपूर्ण है । योजना के सम्बंध में एक और गलत धारणा इसके वास्तविक व्यय के बारे में थी । इस व्यय को निश्चित करने में संसाधनों को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखा गया । परिणामस्वरूप ये योजनाएं हमें दीवालियापन की ओर ले गई हैं । आय और धन की विषमता कम करना, आर्थिक शक्ति के संचय को कम करना और एकाधिकारों को बढ़ने से रोकना—इनके बारे में ऊंची ऊंची बातें करना बिल्कुल बेकार है । ऐसी बातें करने से संघर्ष और घृणा बढ़ती है और इससे हमारी आय और धन में कोई वृद्धि नहीं होती ।

एकाधिकारों को रोकने के लिए बहुत जोरशोर से बातें की जाती हैं । वास्तव में देश में एक ही एकाधिकारवादी है और वह सरकार है । इसने सभी उद्योगों पर एकाधिकार कर रखा है और अन्य विविध प्रकार के व्यापारों पर अधिक एकाधिकार जमाने का विचार कर रही है ।

देश में हर प्रकार के कारखानों में बहुत सी उत्पादन क्षमता बेकार पड़ी है और विदेशी मुद्रा का संकट कई वर्षों से हमें घेरे हुए है ।

{उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुईं
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*}

इसके बाद मुद्रास्फीति का संकट है, जिसके कारण खाद्यान्न का संकट भी पैदा हुआ है । यह संकट केवल खाद्यान्न की उपलब्धता के पहलू से नहीं, मूल्यों के पहलू से भी है । इन सब का परिणाम यह है, जैसा कि जांच करने वाली समिति ने कहा है कि वर्षों के आयोजन के बाद, ग्रामीण लोगों की वास्तविक आय कम हुई है, बड़ी नहीं है ।

अब मैं आर्थिक स्थिति को छोड़कर, संवैधानिक और कानूनी स्थिति को लेता हूं । हमारा संविधान 15 वर्ष पूर्व बहुत बुद्धिमान व्यक्तियों ने बनाया था । किन्तु, इन 15 वर्षों में इसमें इतने परिवर्तन और संशोधन किये गये हैं और इन सब का उद्दश्य यह है कि देश के नागरिकों के बुनियादी अधिकारों को कम किया जाये । संविधान के संशोधनों के साथ साथ अन्य विधियों में भी

जो संशोधन किये गये हैं, उन सब का भी यही उद्देश्य है। केन्द्रीय और राज्य के कानूनों की संख्या सीमा से बाहर हो गई है। इनका सब से बड़ा पहलू यह है कि न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को कम से कम किया जाये और कार्यपालिका को अधिक से अधिक शक्ति दी जाये। जब भी उच्चतम न्यायालय कोई प्रतिकूल निर्णय देता है तो उसे रद्द करने के लिए नया कानून बना दिया जाता है।

प्रजातंत्रात्मक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया से हर गांव, हर ताल्लुक और हर जिले में खिंचाव और तनाव बढ़ा है, कम नहीं हुआ, हम जानते हैं कि जनसाधारण का जमींदार अथवा तथा-कथित पूंजीपतियों द्वारा ही शोषण नहीं किया जा रहा बल्कि राजनैतिक स्वामियों द्वारा उनको शोषण किया जा रहा है।

मैं समझता हूं कि वर्तमान सरकार एक नई सरकार है और इसने अभी अपनी धाक जमानी हैं। इसे स्थिति में सुधार करने का कुछ अवसर देना चाहिये।

मेरे विचार में भारी इंजीनियरिंग पर जोर देना गलत बात है। इससे कृषि को हानि पहुंचती है। देश के 85 से 90 प्रतिशत लोगों का जीवन कृषि उत्पादन पर आश्रित है। मुझे इस्पात अथवा अनाज के आयात में एक को प्राथमिकता देनी होगी तो निश्चित तौर पर मैं अनाज को प्राथमिकता दूंगा। सब कुछ होते हुए भी हम अनाज का आयात करें यह तो लज्जा की बात है ही परन्तु, देश भूखा रहे और हम इस्पात का आयत करे, यह और भी लज्जा की बात है। मेरे विचार में प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में स्वर्गीय प्रधान मंत्री ने खाद्य पर से नियंत्रण हटाने का गांधी जी का परामर्श स्वीकार कर लिया था। यह कहना कितना हस्यास्पद है कि मैं अनाज तो आयात करूंगा परन्तु इस्पात के मामले में आत्मनिर्भर बनूंगा। मुझे इस बात का कोई औचित्य दिखाई नहीं देता।

मेरे विचार में प्रश्न बहुत अधिक हैं, जिनमें सरकार को दो चार होना पड़ता है, अतः सरकार को समय देना चाहिये। हम गुटों से अलग वाली अवस्था में नहीं हैं। हम सैनिक तटस्थता की स्थिति में हैं। मेरा यही विचार है कि सरकार को मदद देना, चाहिये ताकि इन्हें विभिन्न प्रश्नों से दो चार होने का पूरा अवसर मिल सके। इसलिए मैं इस प्रस्ताव के प्रति तटस्थ हूं।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर): गत चार दिनों से खाद्य स्थिति पर चर्चा हो रही है। माननीय मंत्री महोदय की ओर से विभिन्न प्रकार के आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं, जिनसे यह दिखाने का प्रयत्न किया गया है कि खाद्य के मामले में हम किसी न किसी रूप में आत्मनिर्भर हैं। एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि हम प्रत्येक व्यवित के लिये एक पौंड खाद्य की प्रतिदिन की व्यवस्था कर सकते हैं। वास्तविक स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश जैसे बहुत अधिक उत्पादन करने वाले राज्य में भी गेंहूं के उत्पादन में निरन्तर कमी होती चली गयी है। यह उत्पादन 1961–62 में 41 लाख टन था जो 1962 में 32 लाख टन हो गया। इसमें और आगे कमी हुई और 1963–64 में यह केवल 27 लाख टन रह गया। सरकारी आंकड़ों में बताया गया है कि हमें लोगों को पूरा खाद्य देने के लिये 63 लाख टन गेंहूं विदेशों से मंगवाने की ज़रूरत है। इस पर भी आशा नहीं कि हम आत्मनिर्भर बन जायें। हमें खाद्य पाकिस्तान, थाइलैंड और बर्मा से आयात करना पड़ेगा। अत मेरा कहना है कि अभी तक खाद्य के सम्बंध में सरकार की कोई निर्धारित नीति नहीं है। स कार के ल बाहर से खाद्यान्नों को आयात कर रही है। इस पर भी यदि हम सरकार की नीति को स्वीकृति प्रदान करें तो यह या अत्यंत लज्जाजनक बात है। लोगों में वैसे भी असन्तोष बढ़ रहा है। गत 17 वर्षों में हमने क्या कि है और क्या प्रगति की गयी है, यह गम्भीर अध्ययन का विषय है।

[श्री उ० मू० त्रिवेद]

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार खाद्यान्नों के क्षेत्र में प्रतिरक्षा नीति तथा अन्य राष्ट्रों के साथ अपने देश के अच्छे सम्बंध बनाये रखने के मामले में बुरी तरह असफल रही है। चीन का मुकाबला करने के लिये हम पाकिस्तान से बातचीत करने को तो उत्सुक रहे हैं परन्तु हमने अपने आपको शक्तिशाली नहीं बनाया। यद्यपि चीनी लोग उन क्षेत्रों से हट गए हैं जिन पर उन्होंने पिछले आक्रमण के समय नेफा तथा अन्य स्थानों पर अधिकार कर लिया था, परन्तु हमारी सरकार चीनियों से हमारे वे क्षेत्र वापिस लेने में असफल रही जो अभी भी उनके अधिकार में हैं। चीनियों ने चुम्बी घाटी पर पूर्ण रूप से अधिकार कर रखा है, यह हमारे देश के लिये खतरे की बात है। यह आसाम को भारत से पृथक करने की शुरूआत है। चीन ने हमसे डर कर युद्ध विराम की घोषणा नहीं की थी। उसके युद्ध विराम का कारण यह था कि कुछ उनकी अपनी सम्भरण सम्बंधी कठिनाइयां थीं और दूसरे रूप में उन्हें आवश्यक सहायता देने से इन्कार कर दिया था। खेद की बात हैं हमने इस स्थिति का कोई लाभ नहीं उठाया। जो लोग चीन से लड़ते हुये मारे गये उनके गौरव के लिये हमने कुछ भी नहीं किया है। हमें तिब्बत को वापिस लेकर उसे स्वतंत्र देश घोषित करना चाहिये।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पाकिस्तान से हमारे सम्बंध कभी भी अच्छे नहीं हो सकते। मुझे यह सुन कर लज्जा आती है कि श्री जयप्रकाश नारायण प्रधान मंत्री के आर्शीवाद से पाकिस्तान में काश्मीर भेट करने जाते हैं। यदि हमने काश्मीर को इसी प्रकार से ही देना था तो उस पर करोड़ों रुपये खर्च करने की क्या आवश्यकता थी। हम कई बार यह घोषणा कर चुके हैं कि भारत में काश्मीर का विलय पूर्ण और अन्तिम है, फिर पाकिस्तान से बातचीत का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। इस बात से यह समझ लेना चाहिये कि हमारा पाकिस्तान के साथ कोई झगड़ा नहीं। वह तो लटेरा बन कर हमारे घर में घुस रहा है और हम मुंह देख रहे हैं। पूर्व पाकिस्ता., से लाखों की संख्या में लोग हमारी जनसंख्या की वृद्धि करने के लिये आ रहे हैं। पूर्वी पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं। इस पर भी हम उनसे कोई भूमि की मांग नहीं कर रहे प्रत्युत उसे बेरूबाड़ी देने के लिये तैयार हैं। आसाम से हम 20 मील के क्षेत्र में चल रही रेलवे में भी अपने हितों की रक्षा करने में असमर्थ हो रहे हैं। इसके साथ साथ आसाम में पाकिस्तानी लोगों की बड़ी भारी घुसपैठ जारी है। सरकार के कथनानुसार इस प्रकार के आने वालों की संख्या 20 लख है। अभी भी अमृतसर के पास लाखों पाकिस्तानी पड़े हैं। इन हालात में हम किस प्रकार पाकिस्तान को अपना मित्र कह सकते हैं।

मित्रता हमेशा दो बराबर की शक्तियों में होती है। पाकिस्तान से तो हम मित्रता की इच्छा कर रहे हैं परन्तु यह आश्चर्य की बात है कि भारत अमरीका तथा अन्य देशों से अधिक से अधिक सहायता प्राप्त करने पर भी सदा उन्हें अप्रसन्न करता चला आ रहा है। राष्ट्रपति अय्यूब ने अभी हाल ही में यह कहा था कि भारत के आस पास सभी उसके शत्रु हैं, इससे स्पष्ट होता है कि भारत की नीति किस प्रकार की है। सचमुच यह खेद की बात है नेपाल, बर्मा, लंका, आदि पड़ौसी देशों के साथ भारत के संबंध मैत्रीपूर्ण नहीं हैं। चीन द्वारा बर्मा को सहायता दिये जाने के कारण बर्मा पर चीन का बड़ा प्रभुत्व है जबकि भारतीयों को वहां पर प्रत्येक क्षेत्र में हानि उठानी पड़ रही है। ब्रिटिश गियाना में भारतीय उद्भव के लोग लाखों की संख्या में मारे जा रहे हैं। जमैका तथा अन्य देशों में भी भारतीयों की यही स्थिति है।

देश के भीतर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। कोई आशा नहीं है कि यह समाप्त हो जायेगा। हमें देश का नैतिक स्तर ऊंचा उठाना है जिसके लिये भ्रष्टाचार को समाप्त करना होगा। सरकार करों के बारे में एक गलत नीति अपना रही है जनता पर अप्रत्यक्ष रूप से भी कर लगाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। सरकार को यह देखना चाहिये कि जनता पर करों का बोझ न बढ़े हर वस्तु पर उत्पादन शुल्क नहीं लगना चाहिये और चुंगी हर कस्बे की सीमा पर वसूल नहीं की जानी चाहिये।

राजस्थान नहर से तत्काल कोई लाभ नहीं उठाया जा रहा। यद्यपि वहां पर एक लाख एकड़ भूमि नष्ट कर दी गयी है, किन्तु वहां एक दाना भी अनाज का पैदा नहीं किया गया। लगभग 8000 एकड़ भूमि जलमग्न होने के कारण कुछ पैदा नहीं कर रही है। मेरा निवेदन है कि हमें इन परियोजनाओं से लाभ उठाना चाहिये। इन परियोजनाओं पर उन लोगों को लगाना चाहिये जिनको कुछ व्यवहारिक अनुभव हो। केवल किताबी ज्ञान वाले लोगों से काम नहीं चलेगा। सरकार को आंखें खोलकर काम करना चाहिये।

भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि चीन एक विस्तार बादी देश बन चुका है और युद्ध में उसका विश्वास बढ़ चुका है। सह अस्तित्व में उसका विश्वास नहीं रहा है। यह विचार उस व्यक्ति के थे जो सारे देश में हिन्दी चीनी भाई भाई के नारे लगाने का वातावरण निर्माण करने वाला था। हमें एक बात स्पष्ट समझ लेनी चाहिए कि यदि चीन को मनाने में कोई भूल की तो यह देश के हित की दृष्टि से बहुत ही भंयकर बात होगी। हमें पाकिस्तान से भी बातचीत बन्द कर देनी चाहिए और हमेशा के लिए यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि काश्मीर हमारा है। इन शब्दों के साथ मैं श्री नि० चं० चटर्जी के प्रस्ताव का समर्थन करता है।

श्री हनुमन्तैया (बगंलौर नगर): लगभग 13 मास पूर्व भी प्रथम अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ था। उसे हमारे देश के एक वरिष्ट नेता श्री कृपलानी जी ने प्रस्तुत किया था। अब श्री चटर्जी ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। उन्होंने भ्रष्टाचार की बात कही है। परन्तु भ्रष्टाचार के आरोप केवल विरोधी पक्ष के लोग ही नहीं स्वयं कांग्रेस दल के लोग भी लगा रहे हैं। हमें यह बात समझनी चाहिए कि शासक दल में स्वविनियामक बहुमत है। अतः जब दल के सदस्य यह देखते हैं कि गलत कार्य हो रहा है तो वे ही अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक शोर मचाने लगते हैं। यही कारण है कि लोगों का विश्वास दल को इस मात्रा में प्राप्त है। इस दिशा में दास आयोग का प्रतिवेदन तथा उसके बाद की गयी कार्यवाही एक अच्छा उदाहरण है।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य अपना भाषण सोमवार को कर सकेंगे। अभी कुछ गैर-सरकारी कार्य पर विचार किया जायेगा।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILL AND RESOLUTICN

छियालीसवां प्रतिवेदन

श्री मुथिया (तिरुनेलवेली): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के छियालीसवें प्रतिवेदन से, जो 9 सितम्बर, 1964 को सभा में पेश किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के छियालीसवें प्रतिवेदन से, जो 9 सितम्बर, 1964 को सभा में पेश किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion Was Adopted

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

(धारा 127, 128 और 129 का संशोधन)

CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः-स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion Was Adopted

श्री हरि विष्णु कामत : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

ुस्तकें तथा समाचार पत्र पहूंचाना (सार्बजनिक पुस्तकालय) संशोधन विधेयक

धारा 2 और 3 का संशोधन

DELIVERY OF BOOKS AND NEWSPAPERS (PUBLIC LIBRARIES) AMENDMENT BILL

(Amendments of sections 2 and 3)

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि पुस्तकें तथा समाचारपत्र पहुंचाना (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम, 1954 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

*उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पुस्तकें तथा समाचारपत्र पहुंचाना (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम, 1954 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री हरि विष्णु कामत : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

संविधान संशोधन विधेयक

(अनुच्छेद ३१६ का संशोधन)

(CONSTITUTION AMENDMENT BILL)

Amendment of Section 316

श्री श० ना० चतुर्वेदी (फिरोजाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री श० ना० चतुर्वेदी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

(धारा 109 का लोप)

CODE OF CRIMINAL PROCEDURE (AMENDMENT) BILL

(Omission of Section 109)

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Code of Criminal Procedure, 1898.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

Dr. Ram Manohar Lohia : Sir, I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 295 का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(Amendment of article 295)

श्री पाराशर (शिवपुरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री पाराशर : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

भारतीय स्टाम्प (संशोधन) विधेयक

(धारा 3 और अनुसूची 1 का संशोधन)

INDIAN STAMP (AMENDMENT) BILL

(Amendment of section 3 and schedule 1)

श्री नि० रं० लास्कर (करीमगंज) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री नि० रं० लास्कर : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 75 का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(Amendment of Section 75)

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री यशपाल सिंह : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 75, 1 ›ε और 164 का संशोधन)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(Amendment of articles 75, 153 and 164)

श्री कृष्णपाल सिंह (जालेसर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री कृष्णपाल सिंह : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 331 का लोप)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(Omission of article 331)

Shri P.L. Barupal (Ganganaae) : Sir, I beg to move ror leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

Shri P. L. Barupal : Sir, I introduce the Bill.

संविधान (संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 370 का लोप)

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(Omission of article 370)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्रकाशवीर शास्त्री अपना विधेयक विचार के लिये प्रस्तुत करें।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnors) : Mr. Deputy Speaker, I beg to move

"That the Bill further to amend the Constitution of India be taken into consideration".

The critical situaion prevailing in Jammu and Kashmir has arisen because of lack of faresight edness on the part of our leaders. The Kashmir problem has not been solved even after 17 years. Lakhs of rupees have been spent on that State and lives of many jawans sacrificed there but still the situation is worse than before.

The assurances given in the past by Lord Mountbatten, Pt. Jawaharlal Nehru and Shri Gopalaswami Ayyangar that people of Jammu and Kahmir will have to voice their opinion, was just a political wish which does not bind India in any manner.

Keeping in view the situation pervailing in Jammu and Kashmir, it is imperative that article 370 should be abrogated and it should not be amended in a manner desired by Shri Sadiq, the Prime Minister of Kashmir. Shri Gopalaswami Ayyangar had said that special arrangements had been made for the administra ion of the State because Paki tan had launched anarmed attack on it. There has never been any provision for provisional accession. This accession is final and irrevocable. The previous speeches of Sheikh Abdulla and other leaders confirm this view.

Now Sheikh Abdulla has charged his attitude. He is making anti-Indian speeches. No further negotnations should be held with him. It has also been a mistake to release him from detention.

The retention of Sec. 370 casts adverse repercussion both inside and outside the country. It has given rise to the demand for plabiseite inside the country. Outside the country it has given rise to this impression that the accession is doubtful and not final or complete.

So far as India is concerned, the question before the U.N. is that the Pakistani aggressors should be driven out and then territory occupied by it handed back to India, The question of plabiscite in the State does not arrie.

Jammu and Kashmir is as much a part of India as other States which extend upto Cape Comorin. Therefore all the people of all other States should be given all facilities to settle in Kashmir.

From the point of view of the effective defence of the border areas and from the point of view of meeting the danger of any external aggression, Jammu and Kashmir, Punjab, Himachal Pradesh and Rajasthan should be united and formed into a large border State. For this purpose action could be taken according to Article 3(*a*) of the Constitution after abrogating Article 370.

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा (नामनिर्देशित—जम्मू तथा काश्मीर) : मैं इस विधेयक का हार्दिक समर्थन करता हूं जो श्री शास्त्री ने प्रस्तावित किया है । मैं उन से बिलकुल सहमत हूं कि अनुच्छेद 370 को संविधान से हटा दिया जाये । राज्य के लोगों को इस अनुच्छेद के प्रति कोई प्रेम नहीं है । किन्तु मैं चाहता हूं कि इसे शेख अब्दुल्ला के कार्यवाहियों और राजनैतिक स्थिति के साथ संबद्ध न किया जाये । मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय नेता और सरकार शेख अब्दुल्ला के प्रति अपने रवैये को बदलें शेख अब्दुल्ला से अधिक हम चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सम्बन्धों में सुधार हो, किन्तु जब वे काश्मीर के विलय के प्रश्न पर आपत्ति करते हैं, तो इस से न केवल काश्मीरी मुसलमानों के मन में, बल्कि काश्मीर की सारी जनसंख्या के मन में शंका उत्पन्न होती है ।

मैं गृह मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे इस विधेयक का विरोध न करें ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने इस अनुच्छेद को हटाने के लिए बहुत अच्छी दलीलें दी हैं । 1962 में गृह मंत्री श्री शास्त्री ने यह आश्वासन दिया था कि जम्मू और काश्मीर राज्य को शेष भारत के साथ मिलाने के लिए जल्दी कदम उठाये जायेंगे । वर्तमान शिक्षा मंत्री ने भी, दो मास पहले जब वे काश्मीर में थे, इस अनुच्छेद का उल्लेख किया था और कहा था कि इसे हटा देना चाहिये ।

मैं समझता हूं कि इस विषय पर मंत्रिमंडल, या कांग्रेस दल या संसद् में कोई मतभेद नहीं है । कठिनाई केवल उचित समय के बारे में हो सकती है । मैं गृह मंत्री से पूछूंगा कि क्या अब इस के लिए समय नहीं आ गया ।

मुझे दुःख से कहना पड़ता है कि शेख अब्दुल्ला ने अब अपना रवैया बदल लिया है और अब वह काश्मीर के विलय पर आपत्ति करते हैं । मैं और मेरा दल उन का विरोध करता है और उन से कहता है कि राज्य का विलय अन्तिम और निश्चित है और इसे बदला नहीं जा सकता । इस तथ्य का स्वाभाविक परिणाम यही है कि अनुच्छेद 370 को निरसित किया जाये । इस के कारण राज्य को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । यदि इस का निरसन कर दिया जाये, तो काश्मीर को भी वही सुविधायें प्राप्त हो जायेंगी, जो अन्य राज्यों को मिल रही हैं । भारत और पाकिस्तान भविष्य में एक संघ में शामिल हो सकते हैं, जैसाकि श्री नेहरू ने कहा था, किन्तु जम्मू और काश्मीर भारत का एक अटूट अंग रहेगा ।

श्री श्याम लाल सर्राफ (जम्मू और काश्मीर) : मैं श्री प्रकाशवीर के प्रस्ताव का हार्दिक स्वागत करता हूं । इस मामले के संवैधानिक पहलू में जाने से पहले, मैं यह बताना चाहूंगा कि काश्मीर ने अपनी सारी प्रेरणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उस के नेताओं, महात्मा गांधी, श्री जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद आदि से प्राप्त की है । मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जब विभाजन की शक्तियां बहुत प्रबल थीं, काश्मीर ने विशेष कर इस की मुस्लिम बहुसंख्या ने इस का घोर विरोध किया था । किन्तु जब देश का विभाजन हुआ, तो काश्मीर के महाराजा द्वारा राज्य का भारत में विलय पूर्ण रूप से संवैधानिक और वैध था । वहां के मुख्य राजनैतिक दल ने और इस के सभी नेताओं ने इस का पूरा समर्थन किया था ।

1956 में राज्य संविधान सभा ने अपना संविधान बनाया और जब इसे अन्तिम रूप दिया गया, तो काश्मीर का विलय पूर्ण माना गया था । इस प्रश्न को पुनः खोलने का सवाल नहीं पैदा

[श्री श्यामलाल सर्राफ]

होता । इस के बाद कुछ और समझौते भी हुए । जिन का मैंने समर्थन किया था । किन्तु मैं यह कहूंगा कि पिछले 10 वर्षों में काश्मीर के अन्य राज्यों के बराबर न होने के कारण उसे काफी हानि पहुंची है । अनुच्छेद 370 के रहने के कारण राज्य में एक असुरक्षा की भावना बनी हुई है । दूसरे कुल स्थानीय जागीरदार और जमींदार वर्तमान स्थिति से फायदा उठाना चाहते हैं । मैं समझता हूं कि यदि काश्मीर के लोग भी देश के अन्य भागों के लोगों की तरह चल सकें, तो उन्हें बहुत लाभ होगा । वहां के लोगों के मन से असुरक्षा की भावना हटानी चाहिये और भारत-विरोधी प्रचार को बन्द करना चाहिये ।

[श्री सोनावाने पीठासीन हुए
SHRI SONAVANE *in the chair*]

वहां के लोगों को केन्द्र से पूरे लाभ मिलने चाहियें । इस समय उन्हें छात्रवृत्तियां आदि लेने में और विशेष विद्यालयों में प्रवेश पाने में काफ़ी कठिनाई होती है । श्रम सम्बन्धी कानून भी वहां लागू नहीं होते । उस राज्य में लाखों श्रमिक हैं जो दस्तकारी का काम करते हैं और वे इन कानूनों से लाभ उठा सकते हैं, यदि इन्हें वहां लागू किया जाये ।

मैं प्रस्तावक के इस सुझाव से सहमत नहीं हूं कि जम्मू तथा काश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब को मिला कर एक राज्य बना दिया जाये क्योंकि हिमाचल और काश्मीर पंजाब से बहुत पीछे हैं । पंजाब बहुत उन्नत है । जम्मू और काश्मीर को एक अलग राज्य रहना चाहिये और इसे अलग एकक के रूप में विकसित करना चाहिये । इस समय काश्मीर में साम्प्रदायिक प्रकार का वातावरण पैदा किया जा रहा है । मैं समझता हूं कि जो कानून संसद् ने राज्यों के अलग होने के प्रचार के बारे में किया है वह शेख अब्दुल्ला पर भी लागू होना चाहिये ।

सारे भारत में काश्मीर ही एक ऐसा स्थान है, जहां मुसलमानों का बहुमत है और यह बड़े गर्व की बात है कि वे सदा धर्मनिर्पेक्ष रहे हैं ।

सरकार को चाहिये कि वह एक उपयुक्त विधेयक प्रस्तुत कर के इस अनुच्छेद को संविधान से निकाल दे और जम्मू तथा काश्मीर को एक प्रतिष्ठित दर्जा दिया जाये ।

Shri Sarju Pandey (Rasra) : The Government has, from the beginning, following wrong policies in regard to Kashmir. If it had framed the correct policies and had implemented them properly, the question of plebiscite would not have arisen after these 17 years and Shri Abdulla and some others would not have spoken as they are speaking now.

At this time, the prime need of the hour is the formulation of a clear and determined policy. Government should explain what difficulty there is in bringing Jammu and Kashmir on par with the other States in India and why it is not bringing forward the necessary amending legislation. It should clearly tell Britain, the United States and their allies that they have no right to interfere in the Kashmir affair. The attitude of both these Countries has always been hostile to us. If we had not the support of Russia, we would not have been able to retain Kashmir. The Government should create an atmosphere which leads the people of the State to believe that they are a part of India and would always remain so.

श्री हनुमन्तैया (बंगलौर नगर) : इस समय संवैधानिक स्थिति यह है कि काश्मीर भारत का एक अटूट अंग है और इस में कोई संदेह नहीं है। वर्तमान विधेयक केवल उस विभेद को दूर करना चाहता है जो अनुच्छेद 370 के कारण उत्पन्न होता है। काश्मीर के प्रतिनिधि इसे हटाने के सुझाव का समर्थन करते हैं। मैं गृह मंत्री से कहूंगा कि वह इस सुझाव को स्वीकार कर लें। सदन के सभी विभाग चाहते हैं कि इस विधेयक को कानून का रूप दिया जाये, यदि हमारे नेता पश्चिमी या पूर्वी देशों में पाये जाने वाले लोकमत से घबराते हैं, तो उन्हें याद रखना चाहिये, कि वे हमारे मालिक नहीं हैं और हमें कोई आदेश नहीं दे सकते। सरकार ने अपने निर्णय आप ही करने हैं। चूंकि हमारी नीति तटस्थ नीति है, हमें औरों की राय से घबराना नहीं चाहिये। हम समझते हैं कि यदि किसी विदेशी ताकत ने हमारी नीति पसन्द न की, तो हमें कठिनाई होगी। मैं चाहता हूं कि सरकार एक दृढ़ नीति निश्चित करे और इस विधेयक के सिद्धान्तों को स्वीकार करे या संविधान में संशोधन के लिए एक नया विधेयक प्रस्तुत करे।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : Many people wish that relations between India and Pakistan should improve and I am one of those. The problem of Kashmir is undoubtedly a great impediment in the process of improving relations. It is not that the people of one Country only want that Kashmir should form part of their territory. People of each country are eager to possess Kashmir. This fact has got to be realised by President Ayub Khan. Our Government being weak and incapable, it seeks help of Sarvodaya people whose efforts in every other direction have proved abortive. In order to solve this issue, our Government will have to have a flexible kind of approach. Confederation of India and Pakistan is the only answer to the problems of two countries, we must undo the sins we committed 17 years ago. The argument that Pakistan is not prepared to form a confederation is not tenable. In the course of time, Governments change and so also change their policies. There should be only one citizenship in the Confederation that we form.

I have also to point out to America and Russia that situation in this Continent can improve only by bringing the two separated peoples together once again. I would request people like ex-Presidents Trumanand Eisenhower to use their influence as well as good offices in transforming this idea of confederation into a reality. I would aslo appeal to writers of great eminence and influence, like Walter Lippman and others, to consider this issue in this light and to try to undo the wrong that was done 17 years ago.

I have received letters from Pakistan in which the people of that country have approved the idea of a confederation. Our Prime Minister, Shri Lal Bahadur shastri, Should also give due consideration to it and try to resolve this issue in this light otherwise this Government will be held responsible for any kind of disturbance that may occur in future.

Shri R. S. Pandey (Guna) : I support the Bill moved by Shri Prakash Vir Shastri. Kashmir is an inseparable part of India. It was on the 20th October, 1947 that the Maharaja of Kashmir approached us for help. We helped and the sacrifices of our soldiers at that juncture of history will not be erased easily from our memory. Had we not accepted the imported concept of cease-fire at that time, the so- called Azad Kashmir would have fallen in our hands within two days time.

It is wrong to say that only Maharaja of Kashmir had approached us for the accession of Kashmir. At that time various leaders of Kashmir who represented

[Sri R.S. Pandey]

the popular will also came to us and asked us for help because they were in trouble. Therefore it was natural and essential for us to stand by them at that time of need. As a matter of universal principle we accepted the fact that Kashmir is an integral part of India and this fact or principle is unalterable.

At that time Sheikh Abdullah himself pleaded for Kashmir's accession to India. He represented us at U. N. O. But today he is a changed man. He talks in terms of a tripartite conference to settle the issue of Kashmir. The same person once said that Kashmir's future had been settled and that no power on earth could alter that situation.

An impression has somehow been created that we take a weak stand and that we tend to adopt the policy of appeasement. Therefore our leaders should make a firm declaration that so far as Kashmir is concerned we will not budge an inch from our accepted stand. Feeling of weakness on our part will lead to disastrous consequences. There can be a compromise on policies but no compromise can be made on principles.

We are grateful to Russia for the support it has all along extended to us in this matter. We condemn in strongest possible words the attitude that Britain has adopted. Their "Divide and Rule" policy is condemnable.

Shri Gopal Datt Mengi (Nominated--Jammu and Kashmir): I am grateful to hon. Members for the support that they have extended for the proposed measure. People of Kashmir are even today faced with innumerable hardships and a word of sympathy from India is a great solace and encouragement to them.

I welcome the proposed measure but not the words in which it has been couched. I think instead of abrogating article 370 a suitable amending article should be introduced so that the long established relations between Kashmir and India may not be hurt. By the said amending article the whole of our Constitution should be made applicable, in the Jurisdiction of Jammu and Kashmir. Kashmir should have the same status as other states enjoy in the Indian Union.

Kashmir has remained backward due to the presence of article 370. Its position and condition has deteriorated. In order that the people of Kashmir may move ahead on the path of progress and prosperity. it is imperative to nullify the effects of this article.

I am sorry to say that there is a wide spread feeling that people of Kashmir are not one with the rest of India. As an instance I can say that congress Organisation is operating in all States except Kashmir. For a long time we have been thinking of extending Congress organisation to the State of Kashmir but no practical step has so far been taken in that direction. We the Kashmiris want to establish and share a harmony with the political and social life of India. Except Kashmir the rest of India is linked with Railway lines. There are no central Projects in Kashmir. There are no public undertakings there. I have to make it clear that Kashmir no more wants to remain a somewhat

separate entity now. We will never tolerate this kind of social and political separation.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the chair*]

I had a talk with Mir Kassim, the General secretary of National Conference, today morning. He has given a very nice suggestion. He says that Committee of Central Government legal experts may be appointed which may study a method of amending the article 370 in such a way that the whole of the Constitution of India may become applicable to the State of Kashmir. Government of India should take such a step now.

Shri Bhagwat Jha Azad (Bhagalpur) : I support the proposed measure. A feeling is spreading among the people today that Kashmir should be made a complete and integral part of India. Though in fact Kashmir is an integral part of India, still some people doubt it and steps should be taken to remove these doubts. Britain is a great sinner in this regard .I myself saw in Britain that the labour party members wanted Kashmir to become a part of Pakistan. I was sorry to see that. Our Government should not make friends with such double dealers. In America also I saw the extension of same kinds of views. Americans consider India a land of snake-charmers and astrologers. They also feel that Kashmir should go to Pakistan. The main cause of their holding such views is the existence of Article 370. The Constitution Should be amended and this article should be abrogated.

We should not pay any heed to the changing views of sheikh Abdullah. He himself once characterised Pakistan as aggressor, cruel and religious country. Masses of our Country regard Sheikh as treacherous and umpatriotic. Our Government should express its views without any fear. We should pay scant regard to Britain and America. Russia is our real friend who always stood by us. Mr. Khruschev always extended his hand of friendship. The Government should declare its policies in regard to Kashmir without any apprehensions and abrogate the article 370. The masses of India want to see Kashmir as an integral part of India and no power or Government in India will be able to go against their wishes.

Shri Kashi Ram Gupta (Alwar) : I welcome the proposed measure. Article 370 is at the root of the trouble today so far as Kashmir is concerned.

Sheikh Abdullah never calls himself an Indian, therefore I fail to understand why our Government extended its hand of friendship for him and why was he sent to Pakistan. It seems our Government is impotent and it will therefore never be successful in its aims.

Leaving aside people living in and around Srinagar the rest of the people of Kashmir are very clear in their minds about their future. They consider their present relations with India as unalterable. But Sheikh Abdullah and his associates are trying to dupe them to create a misunderstanding among them. They are carrying on their venomous propaganda in the same way as did Muslim league in many parts of the country in the past. They are trying to create the same old atmosphere of hostility. Kashmiris are being forced to adopt a different outlook. It is therefore a matter of shame that we give recognition to Sheikh Abdullah and Farruque. All this fuss has been created by Article 370 which must be abrogated forthwith. If the article 370 is gone the air of uncertainty will also go there with. Apart from abrogating this article,

[Shri Kashi Ram Gupta]

our people should go there and try to make the Kashmiris understand what is right and what is wrong and thus counteract the venomous propaganda carried on by Sheikh Abdullah and others. Otherwise the poisionous air will reach rural areas also and then it would become difficult to tackle the Situation.

श्री वी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : हमारा संविधान सारे संसार में एक प्रगतिशील दस्तावेज है । अन्य देश इसे नमूने के रूप में मान्यता प्रदान करते हैं । परन्तु हमारे संविधान में यह अनुच्छेद 370 एक बड़ा भारी कलंक है । इसे हटाया जाना चाहिए । महाराजा की बात कही जाती है, परन्तु अब तो राजे महाराजे समाप्त हो चुके हैं । अब तो काश्मीर में चुना हुआ सदरे रियासत है । मेरे विचार में इस समय इस अनुच्छेद की कोई आवश्यकता नहीं हैं, इसे तुरन्त हटा दिया जाना चाहिये । जिन परिस्थितियों का इस से में उल्लेख है वे अब नहीं रही हैं ।

मैं इस बात के पक्ष में नहीं हूं कि काश्मीर राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और पंजाब का एक एकक बना दिया जाये । जम्मू और काश्मीर का अपना पृथक् एकक रहे इस में मुझे कोई आपत्ति नहीं । उस का अपना व्यक्तित्व है और वह कायम रखा जा सकता है । बड़े खेद की बात है कि हम समस्यायें सुलझाने के स्थान पर उन्हें उलझा रहे हैं ।

शेख अब्दुल्ला को रिहा कर के हमने भारी भूल की है । मेरा निवेदन है कि शेख अब्दुल्ला को अधिक महत्व नहीं देना चाहिये । और यह भी नहीं समझना चाहिये कि वह अपने प्रयत्नों द्वारा भारत और पाकिस्तान का संघ बनवा सकेगा । उसे शांति दूत के रूप में पाकिस्तान भेजना भी भयंकर भूल है । हमें यह बात अच्छी प्रकार से मालूम करनी चाहिए कि जो व्यक्ति अपने आप को भारत का नागरिक ही नहीं मानता और जो यह चाहता है कि काश्मीर भारत का अंग न बने वह कैसे भारत और पाकिस्तान के बीच अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने में सहायक हो सकता है । वह तो केवल यह चाहता है कि काश्मीर भारत के हाथ से निकल जाय । यह ठीक ही कहा है श्री महंगी और श्री मल्होत्रा ने कि जम्मू और काश्मीर का दिल मजबूत है । परन्तु यदि हालात ऐसे ही चलते रहे जैसे हैं तो दिल मजबूत नहीं रह सकेगा । यह शेख अब्दुल्ला और भारत का नाटक समाप्त होना चाहिये । जो आदमी यह कहता है कि भारत में काश्मीर का विलय अन्तिम नहीं है वह हमारा मित्र नहीं हो सकता ।

मेरा निवेदन है कि जम्मू और काश्मीर के लोग हमारे अभिन्न अंग हैं । वहां के लोग हमारे भाई हैं, इस बारे में हमारे दिलों में किसी भी प्रकार का सन्देह नहीं रहना चाहिये । इस विषय में समस्त गलत धारणाओं का अन्त होना चाहिये । इस राज्य में रहने वाले लोगों के दिलों में पूर्ण सुरक्षा का भाव पैदा किया जाना चाहिये । यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि जम्मू और काश्मीर की जनता शेख अब्दुल्ला के साथ नहीं है, उसका सही प्रतिनिधित्व सुरक्षा परिषद् में श्री मु० क० चागला ने किया है । भारत और जम्मू काश्मीर राज्य का भला इसी में है कि अनुच्छेद 370 को तुरन्त समाप्त कर दिया जाये ।

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार १४ सितम्बर, १९६४/२३ भाद्र १८८६ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Monday, the 14th September, 1964/ Bhadra 23, 1886 (Saka)